

दशम् वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21



॥सर्वे सन्तु निरामयाः॥



“आवश्यक औषधियों तक सुगम पहुँच”

आरएमएससी आदर्श वाक्य

सभी आवश्यक दवाएं, बुनियादी नैदानिक परीक्षण, सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में हर समय।
ताकि किसी भी इंसान की मौत इलाज के अभाव में न हो।

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड
(राजस्थान साकार का उपक्रम)

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005



जिला औषधि भण्डार गृह, पाली का प्रबन्ध निदेशक मछेदया द्वारा निरीक्षण करते हुए

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना : एक नजर.....

- ❖ “मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना” 2 अक्टूबर, 2011 से प्रारम्भ की गई। योजना का लक्ष्य सरकारी अस्पतालों में आने वाले समस्त मरीजों को लाभ पहुँचाना है।
- ❖ योजना राज्य के जन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य है कि कोई भी मरीज आवश्यक दवाइयों से एवंचित न रहे। योजना अन्तर्गत राज्य की 7 करोड़ से अधिक जनसंख्या को निःशुल्क औषधियाँ उपलब्ध कराई जाती है।
- ❖ योजना अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पतालों, जिला अस्पतालों, उपखण्डीय अस्पतालों, सेटेलाइट अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचार के लिए आने वाले सभी बहिरंग व अन्तरंग रोगियों के लिए सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक औषधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं।
- ❖ वर्तमान की आवश्यक औषधि सूची में 713 औषधियाँ, 181 सर्जिकल्स एवं 77 सूचर्स शामिल हैं।
- ❖ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों के लिए औषधियों, सर्जिकल्स, सूचर्स एवं चिकित्सकीय उपकरण व अन्य अस्पताल आपूर्ति के उपापन, आपूर्ति एवं निर्गमन के लिए केन्द्रीय उपापन एजेन्सी के रूप में राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम का गठन किया गया है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन द्वारा राज्य के सभी 33 जिलों में स्थापित 34 जिला औषधि भण्डार गृहों (डी.डी.डब्ल्यू) / 6 चिकित्सा महाविद्यालय औषधि भण्डार गृहों (एम.सी.डी. डब्ल्यू) के माध्यम से समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों को औषधियाँ आदि की आपूर्ति करके सभी तरह के रोगियों को निःशुल्क औषधियाँ उपलब्ध कराई जा रही है।
- ❖ मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध 56 अस्पतालों, 36 जिला अस्पतालों, 28 उपखण्डीय अस्पतालों, 07 सेटेलाइट अस्पतालों, 693 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 2170 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 300 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (एनयूएचएम), 190 डिस्पेन्सरियों, 60 ट्रॉमा सेन्टरों, 37 एमसीएच केन्द्र, 12 जनता क्लिनिकों एवं 14423 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों सहित कुल लगभग 17774 में स्थापित औषधि वितरण केन्द्रों (DDCs) के माध्यम से रोगियों को औषधियों / सर्जिकल्स / सूचर्स का वितरण सुनिश्चित किया गया है (जिला औषधि वितरण केन्द्रों की संख्या रोगीभार के अनुसार है।)
- ❖ राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त मांग एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आधार पर खुली बोली आमंत्रित की जाकर दर संविदा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपकरणों का क्रय किया जाकर अनुबंधित की गई दर संविदाकृत फर्मों के माध्यम से किया जाता है।
- ❖ विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त होने वाली मांग अनुरूप समय-समय पर 400 से अधिक प्रकार के उपकरणों की दर संविदायें संपादित की जाती है। वर्ष 2020-21 में 275 क्रयादेशों के माध्यम से राशि रु. 72.39 करोड़ के उपकरणों का क्रय किया गया।
- ❖ ई-उपकरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से तय किये गये 147 प्रकार के उपकरणों का रख-रखाव व रिपेयर कार्य केन्द्रीकृत व्यवस्था अन्तर्गत खुली बोली के माध्यम से चयनित सेवाप्रदाता फर्म के माध्यम से कराया जाता है। इस हेतु वर्तमान में फर्म मैसर्स Kirloskar Technology Pvt. Ltd. New Delhi द्वारा रख-रखाव व रिपेयर कार्य संपादित किया जा रहा है।
- ❖ उपकरण संधारण की शिकायतों को दर्ज किये जाने, उनके निवारण संबंधी कार्यवाही आदि को मॉनिटर करने हेतु ई-उपकरण सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसे सभी हितधारकों की आवश्यकता अनुसार समय-समय पर उन्नत भी किया जाता है।



- ❖ ई-उपकरण सॉफ्टवेयर को क्रय प्रक्रिया से जोड़ा जाकर उन्नत किये जाने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।
- ❖ Repair, Calibration, Training and Preventive maintenance.
- ❖ शिकायत पंजीकरण IVRS, E-Upkaran Software And E-Upkaran Mobile Application के माध्यम से।
- ❖ ई-उपकरण पर दर्ज उपकरणों की संख्या 60061 है, जिनकी अनुमानित लागत रु. 433.95 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष वार उपकरण शिकायत की स्थिति :

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	शिकायत उठाई गई	शिकायत का समाधान
1	2020-21	13819	13811
कुल		13819	13811

- ❖ योजनान्तर्गत गम्भीर बीमारियों के उपचारार्थ भी औषधियाँ उपलब्ध हैं जैसे: कैंसर के लिए 57 औषधियाँ, हृदय रोग के लिए 61 औषधियाँ, मधुमेह के लिए 20 औषधियाँ तथा अस्थमा एवं श्वसन रोग के लिए 24 औषधियाँ।

आवश्यक दवा सूची – औषधियाँ, सर्जिकल्स एवं सूचर्स का प्रावधान

क्र. सं.	स्तर	औषधि वितरण केन्द्रों का प्रकार	औषधियाँ	सर्जिकल्स	सूचर्स	कुल
1	तृतीयक स्तर के चिकित्सा संस्थान	मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सा संस्थान	713	181	77	971

2	द्वितीयक स्तर के चिकित्सा संस्थान	जिला/सेटेलाईट उप जिला अस्पताल	640	165	37	842
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	496	124	12	632
3	प्राथमिक स्तर के चिकित्सा संस्थान	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	329	78	3	410
		सब-सेन्टर	39	10	0	49

प्रभाव :

- ❖ योजना के क्रियान्वयन उपरान्त, सरकारी अस्पतालों में बहिरंग एवं अतरंग मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।
- ❖ योजना के क्रियान्वयन पश्चात् काफी युवाओं को रोजगार मिला है इस अन्तर्गत फार्मासिस्ट एवं सूचना सहायक स्थायी रूप से भर्ती किए गए हैं।
- ❖ योजना के क्रियान्वयन उपरान्त, सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाली लड़कियों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है।
- ❖ उपचार हेतु जन सामान्य की जेब से होने वाले खर्च में व्यय में भारी कमी हुई है क्योंकि अब महँगी दवाइयाँ भी जन सामान्य को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन नं. U24232RJ2011SGC035067

निदेशक मण्डल

(दिनांक 02.02.2022 को)

श्री आशुतोष पेडनेकर, आई.ए.एस.

सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

श्री वैभव गालरिया, आई.ए.एस.

सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग

श्रीमती विनिता श्रीवास्तव, आई.ए.एस.

सचिव आर्युवेद एवं भारतीय विभाग

श्री जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

मिशन निदेशक, एनएचएम, एवं संयुक्त सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

श्रीमती अनुपमा जोरवाल, आई.ए.एस.

प्रबंध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल.

श्रीमती हेमपुष्पा शर्मा आई.ए.एस.

वित्तीय सलाहकार, कार्मिक विभाग, जयपुर

श्री ब्रजेश किशोर शर्मा

निदेशक (बजट), वित्त विभाग, जयपुर

डॉ वी. के. माथुर

निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर

डॉ रविप्रकाश शर्मा

निदेशक (एड्स), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर

डॉ कन्हैया लाल मीणा

निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर

श्री अरविंद कुमार मिश्रा

वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर

श्री अरविन्द दीवान

निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर

श्री अजय फाटक

औषधि नियंत्रक, राजस्थान

डॉ एल.सी. शर्मा, डॉ सुभाष नेपालिया

स्वतंत्र निदेशक

श्री मनोज शांडिल्य

कार्यकारी निदेशक (वित्त), आर.एम.एस.सी.एल.

श्रीमती ममता अग्रवाल, कम्पनी सचिव, आर.एम.एस.सी.एल.

वैधानिक अंकेक्षक, मैसर्स एस. एल. गंगवाल एवं कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, जयपुर

सचिवीय अंकेक्षक, मैसर्स सी.एम. बिन्दल एण्ड कम्पनी, कम्पनी सचिव, जयपुर

पंजीकृत कार्यालय

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नं. : 01412228066

फैक्स नं. : 01412228065

ई-मेल : mdrmsc@nic.in

वेबसाईट : www.rmsc.health.rajasthan.gov.in



अनुक्रमणिका

क्र.म.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	नोटिस	5—10
2.	निदेशकों का प्रतिवेदन	11—21
3	सीएसआर गतिविधियों का वार्षिक विवरण	22—26
4	एम.जी.टी. 9 वार्षिक विवरणी का सारांश	27—36
5	प्रपत्र क्र. एमआर—3 सचिवीय अंकक्षण प्रतिवेदन	37—40
6	स्वतन्त्र अंकक्षक प्रतिवेदन	41—56
7	तुलन पत्र	57—58
8	लाभ हानि खाता विवरण	59—60
9	नकद् प्रवाह विवरण पत्र	61—62
10	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	63—91
11	भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	92—94



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं. : 0141-2228062, फैक्स नं. : 0141-2228065

सीआईएन नं. U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल: mdrmsc@nic.in

वेबसाइट: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की दसवीं वार्षिक साधारण सभा निगम के पंजीकृत कार्यालय स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान) में शुक्रवार, दिनांक 31 दिसंबर, 2021 को मध्याह्न 01:00 बजे निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित करने हेतु आयोजित होगी :-

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिये कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरण और उन पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, उस पर विचार करना एवं स्वीकार करना।
2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने और नियुक्ति की पुष्टि करने के लिए।

यदि कोई संशोधन हो तो उसके सहित/रहित निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में विचार करना और उसे पारित करना:

“संकल्प किया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक सी.ए.वी./सी.ओ.वाई./राजस्थान, आरजेएमएससीएल (0)/736 दिनांक 24.08.2021 के द्वारा मैसर्स एस.एल. गंगवाल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, जयपुर को कम्पनी के वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की एवं मंजूरी दी गई है।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के वैधानिक अंकेक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण एवं उसे तय करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को, एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है।”

विशेष कार्य

3. निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. लक्ष्मी चंद शर्मा की नियुक्ति

निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में यदि कोई संशोधन हो तो उसके सहित/रहित विचार करना और उसे पारित करना।

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”), कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 की अनुसूची IV और अन्य सभी लागू प्रावधानों सपठित धारा 149, 150, 152 और 161 के प्रावधानों के अनुसार, (किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधन) या उसके पुनः अधिनियमन सहित, कुछ समय के लिए), और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, के अनुसार डॉ लक्ष्मी चंद शर्मा (डीआईएन-08741786), जिन्हें दिनांक 07 अप्रैल, 2021 से कंपनी के निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक (गैर कार्यकारी और स्वतंत्र) के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक साधारण सभा की तारीख तक पद धारण करते हैं, उन्हें उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख, अर्थात् 07 अप्रैल, 2021 से लगातार दो वर्षों की अवधि के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और यह कि वह रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।



“आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के प्रबंध निदेशक और कंपनी सचिव को, अलग-अलग और/या संयुक्त रूप से, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए, हस्ताक्षर करने और फाइल करने और सभी या किसी भी आवश्यक फाइलिंग, अनुपालन करने और ऐसे सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है जो आवश्यक, उचित और उपयुक्त है।

4. निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. सुभाष नेपालिया की नियुक्ति

निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में यदि कोई संशोधन हो तो उसके सहित/रहित विचार करना और उसे पारित करना।

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”), कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 की अनुसूची IV और अन्य सभी लागू प्रावधानों सपठित धारा 149, 150, 152 और 161 के प्रावधानों के अनुसार, (किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधन) या उसके पुनः अधिनियमन सहित, कुछ समय के लिए), और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, के अनुसार डॉ. सुभाष नेपालिया (डीआईएन-08777380), जिन्हें दिनांक 07 अप्रैल, 2021 से कंपनी के निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक (गैर कार्यकारी और स्वतंत्र) के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक साधारण सभा की तारीख तक पद धारण करते हैं, उन्हें उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख, अर्थात् 07 अप्रैल, 2021 से लगातार दो वर्षों की अवधि के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और यह कि वह रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के प्रबंध निदेशक और कंपनी सचिव को, अलग-अलग और/या संयुक्त रूप से, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए, हस्ताक्षर करने और फाइल करने और सभी या किसी भी आवश्यक फाइलिंग, अनुपालन करने और ऐसे सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है जो आवश्यक, उचित और उपयुक्त है।

निदेशक मंडल के आदेश से
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लि. के लिए

ह./.

ममता अग्रवाल
(कम्पनी सचिव)

दिनांक : 27.12.2021

पंजीकृत कार्यालय

स्वास्थ्य भवन,

तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)

टिप्पणियाँ :-

- 1 कोई सदस्य जो बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिये अधिकृत है, वह बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिये अपने स्थान पद प्रोक्सी नियुक्त करने के लिये अधिकृत है, एवं यह आवश्यक नहीं है कि उक्त प्रोक्सी कम्पनी का सदस्य हो।
- 2 संलग्न प्रोक्सी फॉर्म के प्रभावी होने के लिये आवश्यक है कि वह पूरा भरके कम्पनी की बैठक प्रारम्भ होने से कम से कम



48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

- 3 नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान एजीएम की तारीख तक निरीक्षण के लिए खुले हैं।
- 4 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधान के अनुसार मद क्रमांक 3 एवं 4 के संबंध में एक व्याख्यात्मक विवरण संलग्न किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद क्र. 3 एवं 4

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 सपठित लागू नियमों के अनुसार, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनियों के निर्धारित वर्ग की श्रेणी में आता है, जिन्हें निगम के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप-5 विभाग, राजस्थान सरकार ने निगम के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए डॉ. लक्ष्मी चंद शर्मा और डॉ. सुभाष नेपालिया का नाम नामित किया है और निर्देश दिया है कि उनका नाम नियमों के अनुसार उनके दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद सामान्य सभा में रखा जाए। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और 161 के प्रावधानों व अनुसूची IV और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार डॉ. लक्ष्मी चंद शर्मा और डॉ. सुभाष नेपालिया को निदेशक मंडल द्वारा एक अतिरिक्त निदेशक (गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र) के रूप में दिनांक 07 अप्रैल, 2021 से नियुक्त किया गया था।

अब, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों के अनुसार, डॉ. लक्ष्मी चंद शर्मा और डॉ. सुभाष नेपालिया एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस एजीएम की तिथि तक पद धारण करते हैं, लेकिन इस वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है। इसलिए, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. लक्ष्मी चंद शर्मा और डॉ. सुभाष नेपालिया की नियुक्ति की पुष्टि करने का एजेंडा आइटम नंबर 3 और 4 पर रखा गया है।

डॉ. लक्ष्मी चंद शर्मा (सेवानिवृत्त) सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने प्रोफेसर प्रमुख नेफ्रोलॉजी, एसएमएस अस्पताल जयपुर के रूप में कार्य किया है। डॉ. सुभाष नेपालिया (सेवानिवृत्त) गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के पूर्व प्रधानाचार्य और नियंत्रक के रूप में कार्य किया है। उन दोनों के पास व्यापक अनुभव है और उनका जुड़ाव कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

कोई निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, उक्त संकल्पों से संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं। निदेशकों ने मद संख्या 3 व 4 में निहित प्रस्ताव को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने की सिफारिश की है।

निदेशक मण्डल के आदेश से

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लि. के लिए

ह./-

ममता अग्रवाल

(कम्पनी सचिव)

दिनांक : 27.12.2021

पंजीकृत कार्यालय

स्वास्थ्य भवन,

तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)

एजीएम स्थल का रूट मैप





राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, 302005

फोन नं. : 0141-2228062, फैक्स नं. : 0141-2228065

सीआईएन नं. U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल mdrmisc@nic.in

वेबसाइट: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

स्थगित वार्षिक सामान्य सभा की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के सदस्यों की (स्थगित) दसवीं वार्षिक सामान्य सभा गुरुवार, 28 अप्रैल, 2022 को दोपहर 12 बजे, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान) में निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित करने हेतु आयोजित होगी :-

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिये कम्पनी के अंकक्षित वित्तीय विवरणों, उस पर निदेशकों की रिपोर्ट, अंकक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी प्राप्त करना, उस पर विचार करना एवं स्वीकार करना।

निदेशक मण्डल के आदेश से

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लि. के लिये

ह./—

ममता अग्रवाल

(कम्पनी सचिव)

दिनांक : 21.04.2022

पंजीकृत कार्यालय

स्वास्थ्य भवन,

तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान) 302005

टिप्पणियाँ :-

1. मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण पर सदस्यों द्वारा मूल रूप से 31 दिसंबर, 2022 को आयोजित 10वीं वार्षिक सामान्य सभा में विचार नहीं किया जा सका क्योंकि वित्तीय विवरण कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किए गए थे। उक्त बैठक में अन्य सभी एजेंडा मदों पर विचार करने के बाद, सदस्यों ने बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का संकल्प लिया, और जब वित्तीय विवरण स्वीकार करने के लिए तैयार हों, तो इसे फिर से बुलाया जाएगा।
2. अब स्थगित 10वीं वार्षिक सामान्य सभा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अंकक्षित वित्तीय विवरणों, निदेशकों और लेखा परीक्षकों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उनकी टिप्पणियों पर विचार करने और अपनाने के लिये फिर से आयोजित की जा रही है।

3. 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक सूचना के साथ संलग्न हैं। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां दिनांक 11.04.2022 को प्राप्त हुई हैं जो भेजी जा रही हैं।
4. कोई सदस्य जो बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिये अधिकृत है वह बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिये अपने स्थान पर प्रोक्सी नियुक्त करने के लिये अधिकृत है, एवं यह आवश्यक नहीं है कि उक्त प्रोक्सी कम्पनी का सदस्य हो।
5. संलग्न प्रोक्सी फॉर्म के प्रभावी होने के लिये, वह विधिवतपूर्ण तथा हस्ताक्षरार्थ कम्पनी की बैठक प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घन्टे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
6. नोटिस में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों एजीएम की तारीख तक कार्यालय समय के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिये खुले हैं।
7. इस स्थगित वार्षिक सामान्य सभा के आयोजन स्थल का रूट मैप नीचे दिया गया है:-





राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

स्वास्थ्य भवन, तिलकमार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, 302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

सीआईएन : U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल : mdrmisc@nic.in

वेबसाइट: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मण्डल को कम्पनी के व्यवसाय व संचालन पर दशम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अंकित वित्तीय विवरण स्वतंत्र निदेशकों की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करने में आपार हर्ष है।

प्रमुख वित्तीय सारांश

31 मार्च 2021, को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से प्राप्त आय	833.41	840.28
अन्य आय	31.15	28.60
कुल आय	864.56	868.88
कुल व्यय	838.13	856.57
अपवादिक मद और कर पूर्व लाभ/(हानि)	26.43	12.31
अपवादिक तथा पूर्व अवधि मद	(5.51)	(0.77)
कर पूर्व लाभ/(हानि)	20.92	11.54
कर व्यय	11.56	04.18
निरंतर संचालन से लाभ/(हानि)	9.36	07.36

कोष

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी ने कोष के लिये कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।

लाभांश

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों द्वारा कोई लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

वर्ष के दौरान कंपनी की कार्यशीलता का संक्षिप्त विवरण

औषधियों / दवाओं तथा सर्जिकल एवं सूचर्स का उपापन

- ❖ वित्तीय वर्ष के दौरान गुणवत्तापूर्ण जैनरिक औषधियों, सर्जिकल, सूचर्स के उपापन में संलग्न रही तथा जन स्वास्थ्य संस्थानों जैसे मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध अस्पतालों, जिला अस्पतालों, उप खण्डीय अस्पतालों, सैटेलाईट अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादि को अग्रगामी वितरण के लिए उपरोक्त सामग्री तथा अन्य अस्पताल की आपूर्ति की गई जिनका राज्य के जन स्वास्थ्य संस्थाओं में उपचार के लिए आने वाली सभी मरीजों में निःशुल्क वितरण किया जा सके।
- ❖ 31 मार्च, 2021 तक आरएमएससीएल की आवश्यक औषधि सूची (ईडीएल) में 713 औषधियाँ एवं 181 सर्जिकल तथा 77 सूचर्स सम्मिलित है।
- ❖ वित्तीय वर्ष के दौरान, आरएमएससीएल की आवश्यक दवा सूची (ईडीएल) में 03 नई औषधियाँ Inj. IgM enriched IVIG, Tab Dasatinib 100 mg & Liquid Medical Oxygen (LMO को सम्मिलित किया गया है। LMO को कोविड -19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन की मौजूदा कमी के प्रति तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जोड़ा गया था।
- ❖ वर्ष के दौरान, निगम ने विभिन्न कोविड -19 दवाओं और वस्तुओं जो कि कोरोनावायरस (कोविड -19) के प्रसार की रोकथाम से संबंधित थी, की खरीद और आपूर्ति की है जैसे वीटीएम किट, पीपीई किट, एन-95 मास्क, सोडियम हाइपोक्लोराइट, हैंड रब (सैनिटाइजर), ट्रिपल लेयर मास्क, नाइट्राइल दस्ताने, डेड बॉडी बैग, एयर टाइट गॉगल्स, ऑटोक्लेवेबल पॉली बैग, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, शू कवर, पीसीआर मशीन, अल्ट्राशील्ड, वर्टिकल आटोक्लेव, वाटर प्रूफ जंप सूट, इंज रेमडेसिवर, इंज टोसीलिजुमैब, लोपिनाविर 200 एमजी + रिटोनाविर 50 एमजी टेबलैट आदि।
- ❖ निगम द्वारा सभी कोविड-19 दवाईयों जैसे इनजेक्शन रेमडेसिवर, इंज. टोसीलिजुमैब और एन 95, वीटीएम किट, हैंड सैनिटाइजर, नाइट्राइल दस्ताने, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ट्रिपल लेयर मास्क आदि की मांग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संकलित कर तदनुसार क्रय किया गया।
- ❖ समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कोरोना वायरस (कोविड-19) के इलाज के लिए जरूरी इं. रेमडेसिवर 100 मिलीग्राम निजी अस्पतालों को भी उपलब्ध कराया गया। कोविड -19 की पहली लहर के दौरान, आरएमएससीएल के पास पर्याप्त मात्रा में कोविड -19 दवाएं और वस्तुएं उपलब्ध थीं।
- ❖ वित्तीय वर्ष के अंत में, निगम के पास ईडीएल में शामिल 713 दवाओं और 258 सर्जिकल्स एवं सूचर्स में से लगभग 639 दवाओं और 75 सर्जिकल सूचर्स का दर अनुबंध है।

गुणवत्ता नियन्त्रण

- ❖ फर्मो एवं कम्पनियों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधियों, सर्जिकलस एवं सूचर्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये निगम की अपनी गुणवत्ता नियंत्रण नीति एवं प्रक्रियाएं है तथा विभिन्न आधारों पर कम्पनी या कम्पनी के उत्पादों को ब्लैकलिस्ट / डिबार करने के लिये दिशानिर्देश बनाये गये हैं।
- ❖ औषधियाँ जन स्वास्थ्य संस्थानों को तभी निर्गमित की जाती हैं जब वे विनिर्दिष्ट सभी पैरल परीक्षणों में सफल हैं एवं माणक गुणवत्ता के रूप में पाए जाते हैं। पैरल परीक्षणों में सूक्ष्मतम न्यूनता भी पाई जाने पर अस्वीकृत औषधियाँ निर्माता को वापस कर दी जाती हैं।

वर्ष के दौरान, आरएमएससीएल की अधिकृत प्रयोगशालाओं से 11857 दवा नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और उनमें से 179 बैचों को प्रामाणिक गुणवत्ता (NOSQ) की कमी और भौतिक दोषों के कारण खारिज कर दिया गया है। वर्ष के दौरान दवाओं की विफलता का प्रतिशत 1.51% था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी द्वारा दवाओं के परीक्षण के लिए 09 प्रयोगशालाओं को पैरल में शामिल किया गया था।

भण्डारण

- ❖ निगम के पास दवाइयों/सर्जिकल्स/सूचर्स के भंडारण एवं जन स्वास्थ्य संस्थानों को त्वरित निर्गम के लिये राजस्थान राज्य के प्रत्येक जिले में कुल 34 जिला औषधि भण्डार गृह हैं (DDW) तथा मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों की जरूरतों को पूरा करने के लिये 6 मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (MCDWs) यथा—अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं जयपुर में निर्मित हैं। वर्ष के दौरान, कोल्ड चेन सिस्टम और भण्डारगृहों के बुनियादी ढांचे/उपकरणों का नियमित रखरखाव किया गया।

उपकरण एवं यंत्रों का उपापन एवं रखरखाव

- ❖ निगम द्वारा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य जन स्वास्थ्य संस्थानों से प्राप्त मांग के अनुसार उपकरणों का उपापन किया जाता है। निगम के द्वारा ई—बीडिंग के माध्यम से पारदर्शी तरीके से सफलबोलीकर्ता के साथ उपकरणों, यंत्रों एवं अन्य अस्पताल जरूरतों की आपूर्ति के लिये दर अनुबंध निष्पादित किया जाता है।
- ❖ वर्ष के दौरान, निगम ने ई—उपकरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से 147 प्रकार के बायो—मेडिकल उपकरणों की मरम्मत और रख—रखाव के कार्य की सफलतापूर्वक निगरानी की है। ये उपकरण पीएचसी और सब—सेन्टर स्तर तक स्थापित किये गये हैं। इससे राज्य सरकार की योजना “मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना” के सफल संचालन में सहायता प्राप्त हुई है।
- ❖ निगम उपकरणों एवं यंत्रों की निविदाओं की निगरानी और ट्रेकिंग के लिये ई—टीएमटीएस (इलेक्ट्रॉनिक निविदा एवं ट्रेकिंग प्रणाली) सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। यह सॉफ्टवेयर आरसी की संख्या से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने, बोलियों की संख्या एवं बोली के मौजूदा चरण, मांग का उत्पादन (demand generation), प्रोफोर्मा चालान एवं खरीद आदेश जारी करने, आपूर्तिकर्ताओं का समय पर भुगतान, आपूर्तिकर्ताओं के पत्रों का जवाब आदि से सम्बंधित रिपोर्ट तैयार करने के लिये उपयोगी है। इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है एवं अपग्रेडेशन के कारण इस सॉफ्टवेयर से खरीद प्रक्रिया की सभी चरणों की स्थिति यानि A & F की प्रप्ति (खरीद प्रक्रिया की प्रारंभिक अवस्था) से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी होने तक की निगरानी की जा सकती है।

ऑनलाईन व्यवहार

निगम ऑनलाइन वेब—आधारित सॉफ्टवेयर ई—औषधि के माध्यम से अपने सभी क्रियाकलाप विशेष रूप से स्टॉक प्रबंधन करता है। इस सॉफ्टवेयर में विभिन्न माड्यूल हैं जैसे वार्षिक मांग निर्माण, दर अनुबंध, खरीद आदेश निर्माण, चालान प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, निर्गम एवं वापसी, आपूर्तिकर्ता इंटरफेस, लैब इंटरफेस एवं विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स जो कि औषधियों की उपलब्धता के प्रबंधन में सहायता करती हैं।

इस सॉफ्टवेयर में “MNDY” के सुचारु संचालन के लिये आवश्यक सभी प्रक्रियाएँ शामिल हैं। सॉफ्टवेयर उन सभी रिपोर्टों को भी प्रदान करता है जो उच्च स्तर के प्रबंधन के लिये निर्णय लेने के लिये आवश्यक हैं। निगम की आवश्यकता के अनुसार ई—औषधि सॉफ्टवेयर में प्रत्येक वर्ष नये माड्यूल जोड़े जाते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित नये माड्यूल / परिवर्तन विकसित किये गये हैं :—

- **जिला औषधि भण्डार हेतु आपूर्ति अनुसूची प्रपत्र** : उप भण्डार को औषधि जारी करने हेतु जिला औषधि भण्डार द्वारा आपूर्ति अनुसूची सम्मिलित करने हेतु एक नई सेवा विकसित की गई है।
- **सब स्टोर के लिए ऑटो इंडेंट प्रक्रिया** : उप स्टोर से दवाओं के इंडेंट लिए निर्दिष्ट शेड्यूल दिन (खपत के आधार पर) पर एक स्वचालित इंडेंट प्रक्रिया विकसित की गई है।



- **ऑटो इंडेंट और सब स्टोर का कार्यान्वयन:** डीडीसी और सब स्टोर्स के लिए ऑटो इंडेंट सुविधा को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।
- **कोविड सूचना प्रपत्र:** कोविड रोगियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रवेश प्रपत्र विकसित किया गया है।

संसाधन

निगम राजस्थान सरकार की निःशुल्क दवा योजना के तहत दवाओं, औषधियों, सर्जिकलस एवं सूचर्स के उपापन हेतु राजस्थान सरकार से अनुदान/धन राशि प्राप्त करता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को राजस्थान सरकार से रु. 462.71 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से औषधियों, सर्जिकलस एवं सूचर्स के उपापन हेतु 527.05 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, कोविड-19 (दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों) की खरीद के लिए रुपये 139.44 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुए हैं।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष के दौरान निगम ने ₹807.87 करोड़ की औषधियाँ/सर्जिकल्स/सूचर्स एवं उपकरणों का क्रय किया जबकि पूर्व वर्ष में 813.16 करोड़ का क्रय किया गया था। वर्ष के दौरान निगम ने ₹134.77 करोड़ की कोविड-19 (कोरोना वायरस) संबंधित दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों का उपापन किया। इसमें से ₹833.41 करोड़ की औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स एवं उपकरण राज्य के जन स्वास्थ्य संस्थानों को निर्गमित किए गए जबकि पूर्व वर्ष में ₹840.28 करोड़ की औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स एवं उपकरण निर्गमित किए गए थे।

कम्पनी ने पिछले वर्ष में ₹ 11.54 करोड़ की तुलना में इस वर्ष कर से पूर्व ₹ 20.92 करोड़ का लाभ अर्जित किया है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये कर के बाद लाभ ₹ 09.36 करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष कर के बाद लाभ ₹ 7.36 करोड़ था।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो

कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है।

कम्पनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जो संबंधित वित्तीय वर्ष है एवं उक्त रिपोर्ट की तिथि के मध्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धता, यदि कोई हो

कम्पनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धता नहीं है।

अंश पूँजी

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निगम की अधिकृत एवं प्रदत्त अंश पूँजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अंशों की कोई खरीद वापस नहीं की है।



निदेशक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुये हैं :-

- निम्नलिखित को आरएमएससीएल के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया:-

क्र.सं	निदेशकों के नाम	पद	नियुक्ति दिनांक
1.	श्री शरद मेहरा	निदेशक	07.05.2020
2.	श्री अखिल अरोरा	अध्यक्ष	03.07.2020
3.	डॉ. वीना प्रधान	निदेशक	03.07.2020
4.	श्रीमती हेमपुष्पा शर्मा	निदेशक	22.07.2020
5.	श्री सिद्धार्थ महाजन	अध्यक्ष	02.11.2020
6.	डॉ. राजेश शर्मा	प्रबन्ध निदेशक	04.11.2020
7.	डॉ. लक्ष्मण सिंह ओला	निदेशक	18.11.2020
8.	श्री आलोक रंजन	प्रबन्ध निदेशक	01.12.2020
9.	श्री सुरेश चन्द गुप्ता	निदेशक	06.01.2021
10.	डॉ. रवि प्रकाश शर्मा	निदेशक	06.01.2021

वर्ष के दौरान, राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुप-5) विभाग, के आदेश दिनांक 22.07.2020 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा श्रीमती हेमपुष्पा शर्मा, आरएमएससीएल, को दिनांक 22.07.2020 से निगम के निदेशक मंडल में महिला निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया है।

श्री वैभव गलरिया (आईएएस), कंपनी के निदेशक को श्री सिद्धार्थ महाजन (आईएएस) के स्थान पर 20.09.2021 से आरएमएससीएल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीमती अनुपमा जोरवाल (आईएएस) को श्री आलोक रंजन (आईएएस) के स्थान पर 20.09.2021 से आरएमएससीएल का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। श्री वैभव गलरिया (आईएएस) के स्थान पर श्री आशुतोष पेडनेकर (आईएएस) को 17.01.2022 से आरएमएससीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, श्री सुधीर शर्मा (आईएएस), श्री मेघराज सिंह रत्नू (आईएएस), श्री बृजेश किशोर शर्मा, श्री अरविंद कुमार मिश्रा, श्रीमती विनीता श्रीवास्तव (आईएएस), डॉ. कन्हैया लाल मीणा, मिस अरुणा राजोरिया (आईएएस), श्री अजय फाटक, डॉ. वी.के. माथुर और डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी (आईएएस) को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों के रूप में भी नियुक्त किया गया है।

राज्य सरकार ने निगम बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए डॉ. लक्ष्मी चंद शर्मा और डॉ. सुभाष नेपालिया का नाम नामित किया है। डॉ. लक्ष्मी चंद शर्मा और डॉ. सुभाष नेपालिया को 07.04.2021 से कंपनी के निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक (गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र) के रूप में नियुक्त किया गया है जो अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे।

- निम्नलिखित को आरएमएससीएल के बोर्ड में निदेशक के पद से हटाया गया:-



क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	पद समाप्ति दिनांक
1	श्री विमल कुमार गुप्ता	निदेशक	07.05.2020
2	श्री प्रदीप के. गवाण्डे	निदेशक	03.07.2020
3	श्री रोहित कुमार सिंह	निदेशक	03.07.2020
4	श्रीमती गायत्री राठौड	निदेशक	03.07.2020
5	डॉ. राधे श्याम छिपी	निदेशक	28.10.2020
6	श्री अखिल अरोरा	अध्यक्ष	02.11.2020
7	डॉ. वीना प्रधान	निदेशक	04.11.2020
8	डॉ. प्रीतम बी. यशवन्त	प्रबन्ध निदेशक	04.11.2020
9	श्री राजेश शर्मा	प्रबन्ध निदेशक	01.12.2020
10	डॉ राजेन्द्र प्रसाद डोरिया	निदेशक	06.01.2021

हालांकि, श्री नरेश कुमार ठकराल (आईएएस), श्री शरद मेहरा (आईएएस), डॉ. नोपा राम पारीक, श्री सुरेश चंद गुप्ता (आईएएस), डॉ लक्ष्मण सिंह ओला, श्री सुधीर शर्मा (आईएएस), मिस अरुणा राजोरिया (आईएएस) , श्री राजाराम शर्मा, डॉ. केके शर्मा और श्री मेघराज सिंह रत्नू (आईएएस) कंपनी के निदेशक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं रह गए हैं।

बोर्ड के सदस्यों के रूप में निवर्तमान अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और निदेशकों द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी ईमानदारी से सराहना करता है।

निदेशक मण्डल की बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की पांच बैठकें दिनांक 08.05.2020, 09.09.2020, 05.12.2020, 12.01.2021 एवं 04.02.2021 को आयोजित की गईं। मंडल की सभा में निदेशकों की उपस्थिति निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	बैठक आयोजित की गई।	बैठक में उपस्थिति
1	श्री राजाराम शर्मा	5	5
2	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद डोरिया	3	3
3	श्री रोहित कुमार सिंह	1	1
4	श्री विमल कुमार गुप्ता	1	0
5	डॉ. नोपाराम पारीक	5	5
6	श्री नरेश कुमार ठकराल	5	4
7	श्रीमती गायत्री राठौड	1	0

8	श्री वैभव गैलरिया	5	1
9	डॉ. कृष्ण कान्त शर्मा	5	1
10	डॉ. राधे श्याम छिपी	2	2
11	श्री प्रदीप के. गवाण्डे	1	1
12	श्री अरविन्द दीवान	5	4
13	डॉ. प्रीतम बी. यशवन्त	2	2
14	श्री शरद मेहरा	5	3
15	श्री अखिल अरोरा	1	1
16	डॉ. वीना प्रधान	1	1
17	श्रीमती हेमपुष्पा शर्मा	4	4
18	श्री सिद्धार्थ महाजन	3	3
19	डॉ. राजेश शर्मा	1	0
20	डॉ. लक्ष्मण सिंह ओला	3	2
21	श्री आलोक रंजन	3	3
22	श्री सुरेश चन्द गुप्ता	3	0
23	डॉ. रवि प्रकाश शर्मा	2	0

अंकेक्षण समिति

कम्पनी के पास कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 सपटित कम्पनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियाँ) एवं नियम के अनुसार गठित एक अंकेक्षण समिति है। दिनांक 31 मार्च, 2021 को अंकेक्षण समिति की संरचना इस प्रकार थी :-

1. श्री शरद मेहरा, निदेशक (बजट), वित्त विभाग – अध्यक्ष।
2. डॉ. नोपा राम पारीक, वित्तीय सलाहकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग – सदस्य।
3. श्री अरविन्द दीवान, निदेशक (वित्त), एनएचएम – सदस्य

इसके अलावा, 07.04.2021 को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के कारण, लेखापरीक्षा समिति को फिर से गठित किया गया था। वर्तमान में लेखापरीक्षा समिति (08 सितंबर, 2021 को पुनर्गठित) में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. श्री बृजेश किशोर शर्मा, निदेशक (बजट), वित्त विभाग— अध्यक्ष
2. श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग— सदस्य
3. डॉ. एल.सी शर्मा, स्वतंत्र निदेशक— सदस्य
4. डॉ. सुभाष नेपालीया, स्वतंत्र निदेशक—सदस्य

वित्तीय वर्ष 2020–21 दौरान, अंकेक्षण समिति की दो बैठक दिनांक 04.12.2020 एवं 12.01.2021 को आयोजित की गई। जिसमें सदस्यों ने इस प्रकार भाग लिया:-



क्र.सं.	सदस्यों के नाम	बैठक आयोजित	बैठक में उपस्थिति
1	श्री शरद मेहरा	2	1
2	डॉ. नोपा राम पारीक	2	2
3	श्री अरविन्द दिवान	2	1

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। 31.03.2021 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार थी:—

1. डॉ. कृष्ण कान्त शर्मा, निदेशक, (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें — सदस्य।
2. डॉ. नोपा राम पारीक, वित्तीय सलाहकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग — सदस्य।
3. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद डोरिया, निदेशक (AIDS) — सदस्य।

हालांकि, 07.04.2021 को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के कारण, नामांकन और पारिश्रमिक समिति को फिर से गठित किया गया था। वर्तमान में इसमें निम्नलिखित शामिल हैं (17 मई, 2021 को पुर्नगठित)

1. डॉ. कृष्ण कान्त शर्मा, निदेशक, (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें — सदस्य।
2. डॉ. एल.सी. शर्मा, स्वतंत्र निदेशक — सदस्य
3. डॉ. सुभाष नेपालीया स्वतंत्र निदेशक — सदस्य

वर्ष के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। कंपनी एक सरकारी कंपनी है एवं भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक जीएसआर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2) (3) एवं (4) के प्रावधान केवल वरिष्ठ प्रबन्धन एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को छोड़कर, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। कंपनी से सम्बंधित सभी नियुक्तियां राज्य सरकार के अनुमोदन से की जाती हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी की एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर) है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार का गठित किया गया है। 31.03.2021 को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

1. श्री नरेश कुमार ठकराल, मिशन निदेशक, एनएचएम — अध्यक्ष।
2. श्री आलोक रंजन, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल — सदस्य।
3. डॉ. के. के. शर्मा, निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें — सदस्य।
4. श्री अरविन्द दीवान, निदेशक (वित्त), एनएचएम — सदस्य।

इसके अलावा, 07.04.2021 को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के कारण, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति को फिर से गठित किया गया था। वर्तमान में इसमें निम्नलिखित शामिल हैं (17 मई, 2021 को पुर्नगठित):

1. श्री सुधीर कुमार शर्मा, एमडी, एनएचएम—अध्यक्ष
2. श्री आलोक रंजन, एमडी, आरएमएससीएल—सदस्य
3. डॉ. के.के. शर्मा, निदेशक (पीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें —सदस्य
4. डॉ. एल.सी. शर्मा— स्वतंत्र निदेशक — सदस्य



वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिनांक 05.06.2020 और 16.03.2021 को सीएसआर समिति की दो बैठकें हुईं। सीएसआर गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के तहत आवश्यकतानुसार कम्पनी के निदेशक मण्डल रिपोर्ट करते हैं कि :

- i. चालू वर्ष के वित्तीय खाते बनाने में सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था।
- ii. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया, उन्हें निरन्तर प्रयुक्त किया एवं ऐसे निर्णय लिए व अनुमान लगाए जो उचित एवं सूझबूझयुक्त थे ताकि वे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी के कामकाज की सही और उचित स्थिति तथा इस अवधि के लाभ या हानि का सही एवं उचित दृष्टिकोण दिया जा सके।
- iii. निदेशकों ने इस अधिनियम के अनुसार लेखा अभिलेखों के संधारण के लिए, सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिये जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती थी।
- iv. निदेशकों ने अविरत (ऑन गोइंग) के आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया है।
- v. निदेशकों ने समस्त लागू सन्नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित पद्धति को तैयार किया है एवं वह पद्धति पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार कोई ऋण और गारंटी नहीं दी है या निवेश नहीं किया है।

संबंधित पक्षकारों के साथ अनुबंध अथवा व्यवस्था का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) में निर्दिष्ट, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकारों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अव-शोषण एवं विदेशी विनिमय उपार्जित एवं बहिर्गमन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(M), सपठित कंपनी (लेखांकन) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के प्रावधानों के तहत ऊर्जा संरक्षण एवं तकनीकी अव-शोषण के संबंध में आवश्यक विवरण कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुये लागू नहीं है। वर्ष के दौरान कोई भी विदेशी विनिमय का उपार्जन एवं बहिर्गमन नहीं हुआ है।

जोखिम के लिए प्रबंध नीति

कंपनी ने जोखिम को ज्ञात करने, निर्धारित करने, शांत करने के उपाय के लिए जोखिम प्रबंध की उपयुक्त नीति अपना रखी है तथा उनके उपयुक्त एवं सामयिक निर्देशन तथा विवरण के लिए तंत्ररचना कर रखी है। कंपनी ने जोखिम नियंत्रण के लिए अनेक उपाय, जैसे सभी स्तरों पर पर्याप्त प्रबंध एवं आंतरिक अंकेक्षण पद्धति एवं प्रक्रिया का समावेश किया है।

चालू व्यवसाय की स्थिति एवं भविष्य में कंपनी के संचालन पर प्रभाव डालने वाले विनियामकों (प्रबंधकों) या न्यायालयों या ट्रिब्यूनल्स द्वारा जारी महत्वपूर्ण एवं सारवान् आदेश

वर्ष के दौरान, चालू व्यवसाय की स्थिति एवं भविष्य में कंपनी के संचालन पर प्रभाव डालने वाले विनियामकों (प्रबंधकों) या न्यायालयों या ट्रिब्यूनल्स द्वारा जारी कोई महत्वपूर्ण एवं सारवान् आदेश नहीं है। लंबित अदालती मामलों/अपीलों के संबंध में प्रासंगिक देयता लेखा विवरण के अवलेखन संख्या 28(बी) पर प्रस्तुत की गई है।



वार्षिक विवरणी का सारांश

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के अंतर्गत आवश्यक वार्षिक विवरणी का सारांश फॉर्म नं. MGT-9 में, इस प्रतिवेदन के एक भाग के रूप में अनुलग्नक-II में संलग्न है।

सचिवीय अंकेक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 सपटित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स सी.एम. बिंदल एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जयपुर को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी का सचिवीय अंकेक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था। सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट अनुलग्नक-III के रूप में इसके साथ संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है। सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किए गए एक अवलोकन का विवरण इस प्रकार है: —

S.No.	Observation	Reply
01.	कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास समीक्षाधीन वर्ष से संबंधित एमएसएमई रिटर्न दाखिल करने में विफल रही है।	कंपनी द्वारा MSME आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित जानकारी को अलग किया जा रहा है। सूचना के संकलन के बाद, एमएसएमई रिटर्न जल्द से जल्द दाखिल किया जाएगा।

वैधानिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 03.09.2020 के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक खातों का अंकेक्षण करने के लिये मेसर्स एसएल गंगवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, जयपुर को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया। वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट बैलेंस शीट के साथ संलग्न है। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन के जवाब संलग्न हैं जो बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के प्रावधानों के अनुसार, सांविधिक लेखा परीक्षकों ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की किसी भी घटना की सूचना नहीं दी है। इसलिए, इस संबंध में जानकारी को "शून्य" माना जा सकता है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के कर्मचारियों में से कोई भी कर्मचारी, कम्पनी (प्रबंधीय कार्यकत्ताओं की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के प्रावधान के दायरे में नहीं आते हैं।

कार्मिक और औद्योगिक संबंध

निगम के प्रबंधन एवं कार्मिकों के बीच वर्षभर खुश एवं सुखद संबंध बने रहे हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं रोकथाम) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटन

कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं रोकथाम) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अनुपालना में लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिये आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया हुआ है।



वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं रोकथाम) अधिनियम 2013 के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है।

अन्य प्रकटन

- i. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय V सपठित कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के तहत न तो कोई जमा स्वीकार किया है और न ही उसका नवीनीकरण किया है।
- ii. कम्पनी अधिनियम की धारा 125 के प्रावधानों के अनुसार कोई अवैतनिक या बिना दावे का लाभांश घोषित और भुगतान नहीं किया गया था, इसलिये कोई खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।
- iii. कंपनी की कोई सहायक, जॉइन्ट वेंचर या संबंधित कंपनी नहीं है।
- iv. वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानक का अनुपालन किया है।
- v. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 सपठित कम्पनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) संशोधित नियम 2014 के प्रावधानों की अनुपालना में लागत लेखापरीक्षा रखरखाव कंपनी पर लागू नहीं होता है।

आभार

निदेशक राज्य सरकार, राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और अधिकारियों, बैंकरों और सभी व्यावसायिक घटकों से प्राप्त सहायता और सहयोग के लिए अपनी ईमानदारी से सराहना करते हैं। निदेशक भी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बेहतर सेवाओं को प्राप्त करने में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिबद्ध सेवाओं के लिए अपनी गहरी प्रशंसा दर्ज करना चाहते हैं और विश्वास करते हैं कि आने वाले वर्षों में निगम के अधिकारी और कर्मचारी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

स्थान : जयपुर

दिनांक : 02.02.2022

ह./—

(अनुपमा जोरवाल)

प्रबंध निदेशक

डी आई एन—09331807

ह./—

(डॉ वी. के माथुर)

निदेशक

डी आई एन—07138460

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति तैयार की है। कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति एक कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कंपनी के दर्शन को शामिल करती है और बड़े पैमाने पर समुदाय के कल्याण और सतत विकास के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश और क्रियाविधि दर्शाती है।

कंपनी की सीएसआर गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों के अनुरूप हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचना।

क.स	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक की प्रकृति	साल के दौरान सीएसआर समिति की आयोजित बैठकों की संख्या	सीएसआर समिति की बैठकों में वर्ष के दौरान उपस्थिति की संख्या
01	डॉ. प्रीतम बी. यशवन्त * ¹	प्रबन्ध निदेशक	2	01
02	श्री नरेश कुमार ठकराल	निदेशक	2	02
03	डॉ. कृष्ण कांत शर्मा,	निदेशक	2	02
04.	श्री अरविन्द दीवान	निदेशक	2	02

*कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद से दिनांक 04.11.2020 को समाप्ति।

3 वेब-लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है।

सीएसआर नीति के लिये वेब-लिंक

<http://rmsc.health.rajasthan.gov.in/content/raj/medical/rajasthan-medical-services-corporation-ltd-/en/library/policies---guidelines.html>.

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।

चूंकि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत सीएसआर दायित्व कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8(3) में निर्धारित 10 करोड़ या उससे अधिक की सीमा को पार नहीं करता है, इसलिए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

5 कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।

कं.स.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि यदि कोई हो (रुपये में)
———— लागू नहीं है क्योंकि सेट-ऑफ करने के लिए किसी राशि की आवश्यकता नहीं है —			

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: रु. 18,18,66,476.00

7. (ए) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: रु 36,37,330 /—

(बी) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष :- शून्य

(सी) वित्तीय वर्ष के समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य

(डी) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7a+7b-7c)रु रु 36,37,330 /—

8. (ए) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची टप्प के तहत किसी भी फंड में ट्रांसफर की गई राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि।
Rs. 72,38,357/-*	-	-	-	-	-

* इसमें शामिल है वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए 19.48 लाख रुपये की अव्ययित राशि और वर्ष 2018-19 की अव्ययित राशि रु. 16.53 लाख, जो के लिए राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, जयपुर के पास रखा है।

(b) वित्तीय वर्ष के लिये चल रही परियोजनाओं के खिलाफ खर्च किये गये सीएसआर राशि का विवरण:—



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रमांक	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आईटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)।	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)।	चालू वित्तीय वर्षमें खर्च की गई राशि रु.)	135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु.में)	कार्यान्वयन का तरीका — सीधे (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका — कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर रजि0 न.
लागू नहीं है												

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आईटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ नहीं)।	परियोजना का स्थान		परियोजना पर खर्च की गई राशि (रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका – सीधे (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर रजि० न.
1	एक जनता क्लिनिक के लिए सिविल इंफ्रा और आईटी प्रतिष्ठान की पूंजीगत लागत	स्वास्थ्य सेवा	हाँ।	राजस्थान	जयपुर	20,00,000	नहीं	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति, जयपुर	
2	जनता क्लिनिक के लिए उपकरण 04 आरओ, 05 एसी, 03 रेफ्रिजरेटर, 11 वॉल माउंटेड फैन और 01 कंप्यूटर प्रिंटर और स्कैनर के साथ	स्वास्थ्य सेवा	हाँ।	राजस्थान	जयपुर	3,00,000	नहीं	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति, जयपुर स्वास्थ्य सेवा	
3	कोविड रोगियों के तनाव प्रबंधन के लिए समर्पित कोविड अस्पताल, आरयूएचएस, जयपुर में 12 एलईडी टीवी (50–55")	स्वास्थ्य सेवा	हाँ।	राजस्थान	जयपुर	6,00,000	नहीं	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति, जयपुर स्वास्थ्य सेवा	
4	04 आरओ स्वास्थ्य भवन के लिए	सुरक्षित पेयजल सुविधा	हाँ।	राजस्थान	जयपुर	2,00,000	नहीं	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति, जयपुर स्वास्थ्य सेवा	
5	ASMAN - के तहत ऑनलाइन निगरानी के लिए सरकारी सीएचसी के हाई डिलीवरी लेबर रूम में 10" टैबलेट (संख्या 100)	स्वास्थ्य सेवा	हाँ।	राजस्थान	जयपुर	20,00,000	नहीं	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति, जयपुर स्वास्थ्य सेवा	



6	जिला चिकित्सालय केकड़ी में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	हैं।	राजस्थान	अजमेर केकड़ी	20,95,000/-	नहीं	मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, केकड़ी, अजमेर
7	स्वास्थ्य भवन, जयपुर के परिसर में पौधरोपण	पारिस्थितिकी संतुलन	हैं।	राजस्थान	जयपुर	43,357/-		
	कुल					72,38,357/-		

(डी) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि : शून्य

(ई) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(एफ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8बी+8सी+8डी+8ई): रु. 72,38,357 / –

(जी) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: शून्य

क्रम संख्या	विवरण	राशि (रु में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत	-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	-
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	-

9. (ए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्रम संख्या	पिछले वित्तीय वर्ष।	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की गयी राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)।	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित राशि (यदि कोई हो)			अगले वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				नम	राशि	दिनांक	
1.	2019-20	-	19,48,110/-	-	-	-	-
2.	2018-19	-	16,52,917/-*	-	-	-	-
3.	2017-18	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		36,01,027/-				



b. पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र.सं	परियोजना पहचान	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना थी शुरू किया।	परियोजना समयांतराल	कुल रकम आवंटित के लिए परियोजना (रुपये में)।	वित्तीय वर्ष में परियोजना रिपोर्टिंग पर खर्च किया राशि (में रु.)	संचयी राशि खर्च के अंत में रिपोर्टिंग वित्तीय साल। (रुपये में)	परियोजना की स्थिति
लागू नहीं								

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: लागू नहीं

(संपत्ति-वार विवरण)।

(ए) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि: लागू नहीं

(बी) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि: लागू नहीं

(सी) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि: लागू नहीं

(डी) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) लागू नहीं

11. धारा 135(5) के अनुसार यदि कंपनी औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो कारण निर्दिष्ट करें: लागू नहीं

ह./—

(अनुपमा जोरवाल)

प्रबंध निदेशक

डी आई एन-09331807

ह./—

(डॉ वी.के माथुर)

निदेशक

डी आई एन-07138460



अनुलग्नक-II

प्रारूप क्रमांक एम.जी.टी. 9

वार्षिक विवरणी का सांराश

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए
खकम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कम्पनी (प्रबन्ध एवं प्रशासन)
नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में,

I. पंजीयन एवं अन्य विवरण:-

i)	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN)	U24232RJ2011SGC035067
ii)	पंजीयन तिथि	4, मई, 2011
iii)	कम्पनी का नाम	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
iv)	कम्पनी की श्रेणी/उपश्रेणी	अंश द्वारा सीमित कम्पनी, राज्य सरकार कम्पनी
v)	कम्पनी कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302004 फोन नं.: 0141-2228066, फेक्स नं.: 0141-2228065 ई-मेल: mdrmsc@nic.in वेबसाइट: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in
vi)	कम्पनी की सूचीबद्धता हों/नहीं	—नहीं—
vii)	पंजीयक तथा हस्तान्तरणकर्ता का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण यदि कोई हो	लागू नहीं

II. कम्पनी का मुख्य व्यावसायिक क्रियाकलाप

कम्पनी के कुल आवर्त का 10 प्रतिशत या अधिक अंशदान का समस्त व्यावसायिक क्रियाकलाप निर्दिष्ट किया जायेगा:-

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल आवर्त का प्रतिशत
1	औषधियाँ एवं चिकित्सा सामग्री	46497	89.45%
2	चिकित्सा एवं सर्जिकल्स यंत्र, उपकरण एवं औजार	46596	10.55%

III. सूत्रधारी, सहायक एवं संबंधित कम्पनियों का विवरण *

क्र.सं.	कम्पनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	सूत्रधारी/सहायक/संबंधित	अंशधारिता का प्रतिशत	लागू धारा
1					
2					

* कम्पनी की कोई सूत्रधारी, सहायक अथवा संबंधित कम्पनी नहीं है।



IV. अंशधारण पद्धति (कुल समता के प्रतिशत के रूप में समता अंश पूँजी का विघटन)

(I) श्रेणीबद्ध अंशधारिता

अंशधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारिता की संख्या				वर्ष के अन्त में अंशधारिता की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत में परिवर्तन
	डिमेट	भौतिक	योग	कुल अंशों का प्रतिशत	डिमेट	भौतिक	योग	कुल अंशों का प्रतिशत	
e) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपयोग (A) (2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तक की कुल अंशधारिता (A)=(A)(1)+(A)(2)	-	500000	500000	100.00	-	500000	500000	100.00	-
B. सार्वजनिक अंशधारिता									
1. संस्थाएँ									
a) पारस्परिक कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) बैंक / वित्तीय संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) अदृश्य पूँजी कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) बीमा कंपनियों	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) वित्तीय विनियोग संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) विदेशी अदृश्य पूँजी कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) अन्य (विशेष)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपयोग (B)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थागत									
a) निगमित निकाय									
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) व्यक्तिगत अंश धारक राशि ₹1.00 लाख तक नाम मात्र के अंशपूँजी धारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) व्यक्तिगत अंश धारक राशि ₹1.00 लाख से अधिक नाम मात्र के अंशपूँजी धारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) अन्य (विशेष)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपयोग (B)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक अंशधारिता (B)=(B)(1)+ (B)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. GDRs एवं ADRs के अभिरक्षको द्वारा अंशधारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महायोग (A+B+C)	-	500000	500000	100.00	-	500000	500000	100.00	-

(ii) प्रवर्तकों की अंशधारिता

क्र.सं.	अंशधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारिता की संख्या			वर्ष के अन्त में अंशधारिता की संख्या			वर्ष के दौरान अंशधारिता में प्रतिशत परिवर्तन
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों का गिरवी/प्रतिबंधित अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों का गिरवी/प्रतिबंधित अंशों का प्रतिशत	
1	राजस्थान के महामहीम राज्यपाल	495000	99.00		495000	99.00		-
2	श्री नरेश कुमार ठकराल	800	0.16		800	0.16		-
3	डॉ. कृष्ण कान्त शर्मा	400	0.08		400	0.08		-
4	डॉ. राधेश्याम छिपी	200	0.04		0	0		-
5	श्री विमल कुमार गुप्ता	400	0.08		0	0		-
6	श्री राजाराम शर्मा	400	0.08		400	0.08		-
7	डॉ. नोपाराम पारीक	400	0.08		400	0.08		-
8	श्री वैभव गैलरिया	400	0.08		400	0.08		-
9	श्री रोहित कुमार सिंह	400	0.08		0	0		-
10	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद डोरिया	400	0.08		0	0		-
11	श्री उषसपति त्रिपाठी	400	0.08		0	0		-
12	श्रीमती गायत्री राठौड़	400	0.08		0	0		-
13	श्री सुरेश चन्द गुप्ता	400	0.08		400	0.08		-
14	डॉ. लक्ष्मण सिंह ओला	0	0		200	0.04		-
15	श्री अरविन्द दीवान	0	0		400	0.08		-
16	श्री सिद्धार्थ महाजन	0	0		400	0.08		-
17	डॉ. रवि प्रकाश शर्मा	0	0		400	0.08		-i
18	श्री शरद मेहरा	0	0		400	0.08		-
19	श्री आलोक रंजन	0	0		400	0.08		-
	योग	500000	100.00		500000	100.00		

*अंशधारण राजस्थान सरकार के नामित की भौति

(iii) प्रवर्तक की अंशधारिता में परिवर्तन (यदि परिवर्तन न हो तो कृपया सूचित करें)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारिता	वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता		
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में	500000	100.00	500000	100.00
	वृद्धि/हास का कारण (जैसे आवंटन/हस्तान्तरण/बोनस/पारितोषिक समता इत्यादि) सूचित करते हुए प्रवर्तकों की वर्ष के दौरान अंशधारिता में तिथिबद्ध वृद्धि/हास				



1	दिनांक 08.05.2020 को श्री सुरेश चन्द गुप्ता से श्री प्रदीप के गवान्डे को अंश हस्तान्तरण	400	0.08	400	0.08
2	दिनांक 08.05.2020 को श्री उषसपति त्रिपाठी से श्री विमल कुमार गुप्ता को अंश हस्तान्तरण	400	0.08	400	0.08
3	दिनांक 08.05.2020 को श्री विमल कुमार गुप्ता से श्री अरविन्द दीवान को अंश हस्तान्तरण	400	0.08	400	0.08
4	दिनांक 09.09.2020 को श्री विमल कुमार गुप्ता से श्री शरद मेहरा को अंश हस्तान्तरण	400	0.08	400	0.08
5	दिनांक 09.09.2020 को श्री प्रदीप के गवान्डे से डॉ. प्रीतम बी यशवंत को अंश हस्तान्तरण	400	0.08	400	0.08
6	दिनांक 09.09.2020 को श्री रोहित कुमार सिंह से श्री अखिल अरोरा को अंश हस्तान्तरण	400	0.08	400	0.08
7	दिनांक 09.09.2020 को श्रीमती गायत्री राठौड़ से डॉ. वीना प्रधान को अंश हस्तान्तरण	400	0.08	400	0.08
8	दिनांक 05.12.2020 को श्री अखिल अरोरा से श्री सिद्धार्थ महाजन को अंश हस्तान्तरण	400	0.08	400	0.08
9	दिनांक 05.12.2020 को डॉ. राधेश्याम छिपी से डॉ. लक्ष्मण सिंह ओला को अंश हस्तान्तरण	200	0.04	200	0.04
10	दिनांक 04.02.2021 को डॉ. प्रीतम बी यशवंत से श्री आलोक रंजन को अंश हस्तान्तरण	400	0.08	400	0.08
11	दिनांक 04.02.2021 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद डोरिया से डॉ. रवि प्रकाश शर्मा को अंश हस्तान्तरण	400	0.08	400	0.08
18	दिनांक 04.02.2021 को डॉ. वीना प्रधान से श्री सुरेश चन्द गुप्ता को अंश हस्तान्तरण	400	0.08	400	0.08
	वर्ष के अन्त में	500000	100.00	500000	100.00

(iv) शीर्षस्थ दस अंशधारकों की अंशधारिता का नमूना (निदेशक, प्रवर्तक एवं GDR तथा ADR धारकों के अलावा):

क्र.सं.	शीर्षस्थ 10 अंशधारकों के प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में				
	वृद्धि/ह्रास का कारण (जैसे आवंटन/हस्तान्तरण/बोनस/पारितोषिक समता इत्यादि) सूचित करते हुए प्रवर्तकों की वर्ष के दौरान अंशधारिता में तिथिबद्ध वृद्धि/ह्रास	शून्य			
	वर्ष के अन्त में (अथवा पृथक्करण की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक् हों)				



(v) निदेशक तथा मुख्य प्रबन्ध कार्यकर्ताओं की अंशधारितारू

क्र.सं.	निदेशक तथा मुख्य प्रबन्ध कार्यकर्ताओं प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
1.	श्री राजाराम शर्मा				
	वर्ष के प्रारम्भ में	400	0.08	400	0.08
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ह्रास	-	-	400	0.08
	वर्ष के अन्त में	400	0.08	400	0.08
2.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद डोरिया				
	वर्ष के प्रारम्भ में	400	0.08	400	0.08
	दिनांक 04.02.2021 को हस्तान्तरण के कारण ह्रास	400	0.08	0	0
	वर्ष के अन्त में	-	-	0	0
3.	श्री रोहित कुमार सिंह				
	वर्ष के प्रारम्भ में	400	0.08	400	0.08
	दिनांक 09.09.2020 को हस्तान्तरण के कारण ह्रास	400	0.08	0	0
	वर्ष के अन्त में	-	-	0	0
4.	श्री विमल कुमार गुप्ता				
	वर्ष के प्रारम्भ में	400	0.08	400	0.08
	दिनांक 08.05.2020 को हस्तान्तरण के कारण वृद्धि	400	0.08	800	0.16
	दिनांक 08.05.2020 को हस्तान्तरण के कारण ह्रास	400	0.08	400	0.08
	दिनांक 09.09.2020 को हस्तान्तरण के कारण ह्रास	400	0.08	0	0
	वर्ष के अन्त में	-	-	0	0
5.	डॉ. नोपाराम पारीक				
	वर्ष के प्रारम्भ में	400	0.08	400	0.08
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ह्रास	-	-	400	0.08
	वर्ष के अन्त में	400	0.08	400	0.08
6.	श्री नरेश कुमार ठकराल				
	वर्ष के प्रारम्भ में	800	0.16	800	0.16
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ह्रास	-	-	800	0.16
	वर्ष के अन्त में	800	0.16	800	0.16
7.	श्रीमती गायत्री राठौड़				
	वर्ष के प्रारम्भ में	400	0.08	400	0.08
	दिनांक 09.09.2020 को हस्तान्तरण के कारण ह्रास	400	0.08	0	0
	वर्ष के अन्त में	-	-	0	0
8.	श्री वैभव गैलरिया				
	वर्ष के प्रारम्भ में	400	0.08	400	0.08
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ह्रास	-	-	400	0.08
	वर्ष के अन्त में	400	0.08	400	0.08



9.	डॉ कृष्ण कान्त शर्मा				
	वर्ष के प्रारम्भ में	400	0.08	400	0.08
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ह्रास	-	-	400	0.08
	वर्ष के अन्त में	400	0.08	400	0.08
10	डॉ. राधे श्याम छिपी				
	वर्ष के प्रारम्भ में	200	0.04	200	0.04
	दिनांक 05.12.2020 को हस्तान्तरण के कारण ह्रास	200	0.04	0	0
	वर्ष के अन्त में	-	-	0	0
11.	श्री प्रदीप के. गवाण्डे				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	दिनांक 08.05.2020 को हस्तान्तरण के कारण वृद्धि	400	0.08	400	0.08
	दिनांक 09.09.2020 को हस्तान्तरण के कारण ह्रास	400	0.08	0	0
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
12	श्री अरविन्द दीवान				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	दिनांक 08.05.2020 को हस्तान्तरण के कारण वृद्धि	400	0.08	400	0.08
	वर्ष के अन्त में	400	0.08	400	0.08
13	डॉ. प्रीतम बी. यशवन्त				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	दिनांक 09.09.2020 को हस्तान्तरण के कारण वृद्धि	400	0.08	400	0.08
	दिनांक 04.02.2021 को हस्तान्तरण के कारण ह्रास	400	0.08	0	0
	वर्ष के अन्त में	-	-	0	0
14.	श्री शरद मेहरा				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	दिनांक 09.09.2020 को हस्तान्तरण के कारण वृद्धि	400	0.08	400	0.08
	वर्ष के अन्त में	400	0.08	400	0.08
15.	श्री अखिल अरोरा				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	दिनांक 09.09.2020 को हस्तान्तरण के कारण वृद्धि	400	0.08	400	0.08
	दिनांक 05.12.2020 को हस्तान्तरण के कारण ह्रास	400	0.08	0	0
	वर्ष के अन्त में	-	-	0	0
16	डॉ वीना प्रधान				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	दिनांक 09.09.2020 को हस्तान्तरण के कारण वृद्धि	400	0.08	400	0.08
	दिनांक 04.02.2021 को हस्तान्तरण के कारण ह्रास	400	0.08	0	0



	वर्ष के अन्त में	-	-	0	0
17.	श्रीमती हेमपुष्पा शर्मा			-	-
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ह्रास	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
18.	श्री सिद्धार्थ महाजन				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	दिनांक 05.12.2020 को हस्तान्तरण के कारण वृद्धि	400	0.08	400	0.08
	वर्ष के अन्त में	400	0.08	400	0.08
19.	डॉ. राजेश शर्मा			-	-
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ह्रास	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
20.	डॉ. लक्ष्मण सिंह ओला				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	दिनांक 05.12.2021 को हस्तान्तरण के कारण वृद्धि	200	0.04	200	0.04
	वर्ष के अन्त में	200	0.04	200	0.04
21.	श्री आलोक रंजन			-	-
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	दिनांक 04.02.2021 को हस्तान्तरण के कारण वृद्धि	400	0.08	400	0.08
	वर्ष के अन्त में	400	0.08	400	0.08
22.	श्री सुरेश चन्द गुप्ता			-	-
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	दिनांक 04.02.2021 को हस्तान्तरण के कारण वृद्धि	400	0.08	400	0.08
	वर्ष के अन्त में	400	0.08	400	0.08
23.	डॉ. रवि प्रकाश शर्मा			-	-
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	दिनांक 04.02.2021 को हस्तान्तरण के कारण वृद्धि	400	0.08	400	0.08
	वर्ष के अन्त में	400	0.08	400	0.08

(V.) ऋणग्रस्तता

कम्पनी की अदत्त/उपार्जित किंतु भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित ऋणग्रस्तता

विवरण	निक्षेप रहित सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन राशि	-	16,22,40,000	-	16,22,40,000
ii) देय ब्याज किन्तु अदत्त	-			



iii) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं	-			
कुल (i+ii+iii)	-	16,22,40,000	-	16,22,40,000
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
• जोड़े	-	-	-	-
• घटाएँ	-	4,95,60,000	-	4,95,60,000
शुद्ध परिवर्तन	-	4,95,60,000	-	4,95,60,000
वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन राशि	-	11,26,80,000	-	11,26,80,000
ii) देय ब्याज किन्तु अदत्त	-	-	-	-
iii) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)		11,26,80,000		11,26,80,000

(VI.) निदेशक तथा मुख्य प्रबन्ध कार्यकर्ता का पारिश्रमिक

I. प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक एवं/अथवा प्रबन्धक का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक / प्रबन्धक का नाम	कुल राशि
		श्री आलोक रंजन प्रबन्ध निदेशक	
1.	सकल वेतन		
	01) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) के प्रावधान के अनुसार वेतन	3,23,712	3,23,712
	02) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत सुविधाओं का मूल्य	- -	- -
	03) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अन्तर्गत वेतन के बदले लाभ	- -	- -
2.	स्कंध विकल्प	-	-
3.	पारिश्रमिक समता	-	-
4.	कमीशन —लाभ के प्रतिशत रूप में — अन्य, निर्दिष्ट	- -	- -
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		
	अ. चिकित्सा भत्ता		
	ब. पेंशन अंशदान	-	-
	स. यात्रा भत्ता	78,460	78,460
	योग (A)	4,02,172	4,02,172
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा		



B. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक*

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम		कुल राशि
		नाम	नाम	
1.	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-
	• मण्डल/समिति की सभा में उपस्थिति का शुल्क	-	-	-
	• कमीशन	-	-	-
	• अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-
	योग (1)	-	-	-
2.	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक	-	-	-
	• मण्डल/समिति की सभा में उपस्थिति का शुल्क	-	-	-
	• कमीशन	-	-	-
	• अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-
	योग (2)	-	-	-
	योग (B)=(1+2)	-	-	-
	कुल प्रबन्धकीय पारिश्रमिक	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार सब तरह की अधिकतम सीमा	-	-	-

C. प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्धक/पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त मुख्य प्रबन्ध कार्यकर्ता को पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबन्ध कार्यकर्ता			
		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कुल
1.	सकल वेतन				
	1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) के प्रावधान के अनुसार वेतन	-	11,98,578	-	-
	2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत सुविधाओं का मूल्य	-	-	-	-
	3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अन्तर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-
2.	स्कंध विकल्प	-	-	-	-
3.	पारिश्रमिक समता	-	-	-	-
4.	कमीशन —लाभ के प्रतिशत रूप में — अन्य, निर्दिष्ट	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	7,530	-	-
	कुल	-	12,06,108	-	-



(VII.) अपराधों के लिए अर्थदण्ड/दण्ड/मिश्रण

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए अर्थदण्ड/दण्ड/मिश्रण के शुल्क का विवरण	अधिकृत (आरडी/एनसीएलटी न्यायालय)	यदि कोई अपील की गई हो (विवरण दे)
A. कम्पनी					
अर्थदण्ड					
दण्ड					
मिश्रण					
B. निदेशक					
अर्थदण्ड					
दण्ड					
मिश्रण					
C. अन्य दोषी अधिकारी					
अर्थदण्ड					
दण्ड					
मिश्रण					

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

ह./—

ह./—

स्थान : जयपुर
दिनांक : 02.02.2022

(अनुपमा जोरवाल)
प्रबंध निदेशक
डी आई एन-09331807

(डॉ वी.के माथुर)
निदेशक
डी आई एन-07138460



अनुलग्नक-III

सी.एम. बिन्दल एण्ड कम्पनी, कम्पनी सचिव

पता :- एफ न. 202, गणेश कृपा, बी 6, मोती मार्ग, बापू नगर, जयपुर-302015

दूरभाष नं० 0141-2707522

ईमेल आई डी-bindalcm@yahoo.com

सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

प्रपत्र क्र. एमआर-3

खकम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) एवं कम्पनी (प्रबन्ध कार्यकर्ताओं की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम क्र. 9 के परिप्रेक्ष्य में,

सेवा में,

सदस्यगण,

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,

सी स्कीम, जयपुर-302005।

हमने मैसर्स राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CIN: U24232RJ2011SGC035067) (इसमें इसके पश्चात् 'कम्पनी' नाम लिया जाएगा) का लागू वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना करते हुए एवं सफल निगम प्रणाली के अवलंबन से सचिवीय अंकेक्षण का कार्य किया है। सचिवीय अंकेक्षण इस रीति से किया गया कि वह निगम के संचालन/वैधानिक अनुपालना के मूल्यांकन के लिए तथा उन पर हमारी राय व्यक्त करने के संबंध में हमें युक्तिपूर्ण आधार प्रदान करें।

कम्पनी की पुस्तकों, पत्रों, मिनट बुक, प्रारूपों एवं दाखिल विवरणी तथा कम्पनी द्वारा संधारित अन्य रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण तथा कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंट्स, अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय अंकेक्षण करने के दौरान दी गई जानकारी, हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय एवं प्रतिभूति व विनियम बोर्ड के मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण दी गई छूट पर विचार करते हुए हम एतद् द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च, 2021 (अंकेक्षण अवधि) को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है तथा यह भी कि कम्पनी में उचित बोर्ड कार्यवाही तथा किसी एक सीमा तक अनुपालन तंत्ररचना है, इस विधि से एवं यहाँ इसके पश्चात् इस संबंध में रिपोर्ट दी है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हमने कम्पनी द्वारा बनाये गये पुस्तकों, पत्रों, सूक्ष्म पुस्तिका, प्रारूपों एवं दाखिल विवरणी तथा संधारित अन्य रिकॉर्ड का निम्नलिखित नियमों के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया है:-

- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाये गये नियम।
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए - Securities Contracts (Regulation) Act, 1956), और उसके तहत बनाये गये नियम (कम्पनी पर लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी है)।
- (iii). डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाये गये विनियम एवं उपनियम (कम्पनी पर लागू नहीं है क्योंकि

कम्पनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी है)।

- (iv). विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम, 1999 और इसके तहत बनाये गये नियम और विनियम कानून विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक किये गये (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- (v). भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत निर्धारित नियम और दिशानिर्देश (कम्पनी पर लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी है)।

(vi). कम्पनी ने निम्नलिखित कानून निश्चित किये हैं जो पूर्ण रूप से कम्पनी पर लागू होते हैं :-

- 01) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 और उसके अधीन बनाये गये नियम।
- 02) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के नियम 1998
- 03) स्वापक औषधि (नारकोटिक्स) और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
- 04) राजस्थान सरकार की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली एवं राज्य बीमा नियमावली
- 05) राजस्थान सेवा नियमावली
- 06) सार्वजनिक उपापन में पारदर्शी राजस्थान अधिनियम, 2012 एवं नियमावली, 2013
- 07) सामान्य वित्तीय एवं लेखांकन नियमावली
- 08) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- 09) कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं रोकथाम) अधिनियम, 2013

(vii) हमने निम्नलिखित लागू वाक्यों / विनियम के अनुपालन का भी परीक्षण किया है:-

- 01) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गमित सचिवीय मानक।
- 02) राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य नीतियाँ एवं कार्यक्रम जो कि कम्पनी पर लागू हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने उपर उल्लेखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, निर्देश, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया जो कि निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन है :-

कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास समीक्षाधीन वर्ष से संबंधित एमएसएमई रिटर्न दाखिल करने में विफल रही है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

- (i) कम्पनी का निदेशक मण्डल कार्यकारी निदेशकों एवं गैर कार्यकारी निदेशकों के साथ यथायोग्य रूप से उचित संतुलन में गठित है। समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मण्डल के गठन में जो परिवर्तन हुआ है, उपरोक्त बिन्दु सं0 01 व 02 को छोड़कर, अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना में हुआ है,।
- (ii) निदेशकों को बोर्ड और समिति की बैठकों के लिए समुचित नोटिस दिया गया है। सभी बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत विवरण अग्रिम में भेजे गए हैं, सात दिनों से कम समय के मामलों में कम्पनी ने बोर्ड/समितियों के निदेशकों/सदस्यों से कम सूचना सहमति (shorter notice consent) ली है एवं सभा के पूर्व एवं सभा में अर्थपूर्ण सहभागिता के लिए कार्यसूची की मदों पर आगे जानकारी और स्पष्टीकरण देखने एवं प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।



- (iii) निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है जबकि असन्तुष्ट सदस्यों के विचार मिनट्स में दर्ज किए जाते हैं जहाँ लागू होते हैं। सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं और बोर्ड बैठकों में कोई असंतोष दर्ज नहीं किया गया है।
- (iv) हम आगे सूचित करते हैं कि लागू सन्निधिम, नियमावली, विधान एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन का निर्देशन एवं स्थिरीकरण करने के लिए कम्पनी के आकार एवं संचालन के अनुरूप कम्पनी में पर्याप्त प्रणालियां व प्रक्रियाएं हैं। उपरोक्त कानून नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी द्वारा प्राप्त सभी नोटिस और आदेश को पर्याप्त रूप से/विधिवत उत्तर/अनुपालना के साथ सम्पादित किये गये हैं।

हम आगे सूचित करते हैं कि अंकक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर प्रभाव डालने वाली कोई भी विशिष्ट घटना/कार्रवाई, कानून, नियमों, विनियमों, दिशा निर्देशों एवं मानकों के अनुसरण में, घटित नहीं हुई है।

दिनांक : 16 दिसंबर 2021

स्थान : जयपुर

यूडीआईएन : F000103C001792366

कृते सी.एम.बिन्दल एण्ड कम्पनी

कम्पनी सचिव

sd/-

चान्दमल बिन्दल

(पार्टनर)

एफसीएस क्र. : 103

सीपी क्र. : 176

यह रिपोर्ट समदिनांक के हमारे पत्र के साथ पढ़ी जाए जो अनुलग्नक— I, जो इस रिपोर्ट का एकीकृत भाग बनता है, के रूप में संलग्न है।



अनुलग्नक-I

सी.एम. बिन्दल एण्ड कम्पनी, कम्पनी सचिव

पता :- एफ न. 202, गणेश कृपा, बी 6, मोती मार्ग, बापू नगर, जयपुर-302015

दूरभाष नं० 0141-2707522

ईमेल आई डी-bindalcm@yahoo.com

सेवा में,
सदस्यगण,
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
सी स्कीम, जयपुर-302005।

समदिनांक को हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व उन रिकॉर्ड पर हमारे अंकेक्षण पर आधारित एक अभिप्राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की विषयवस्तु के औचित्य के बारे में समुचित विश्वास प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है, सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं यह सुनिश्चित करने के लिये सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है वे हमारी राय के लिये एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्ड एवं लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन एवं घटित घटनाओं के संबंध में प्रबंध का प्रस्तुतिकरण प्राप्त किया है।
5. निगम के कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण प्रक्रियाओं के सत्यापन के परीक्षा परीक्षण तक सीमित था।
6. सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन न तो कम्पनी के भविष्य में विद्यमान रहने का एक आश्वासन है, न ही प्रभावकारिता अथवा क्रियाशीलता का जिसके साथ प्रबन्ध ने कम्पनी के मामले संचालित किए हैं।

दिनांक : 16 दिसंबर, 2021

स्थान : जयपुर

यूडीआईएन : F000103C001792366

कृते सी.एम.बिन्दल एण्ड कम्पनी
कम्पनी सचिव

sd/-
चान्दमल बिन्दल
(पार्टनर)

एफसीएस क्र. : 103

सीपी क्र. : 176



एस.एल. गंगवाल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

ऑफिस: अरिहन्त, एस-23, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर-302015

फोन नं. 0141-2710720

ईमेल slgangwal@hotmail.com

स्वतन्त्र अंकेक्षक प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण,

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने RAJASTHAN MEDICAL Services CORPORATION LIMITED ("कंपनी") के वित्तीय वक्तव्यों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2021 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके बाद नोट शामिल हैं। वित्तीय विवरण, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (बाद में वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित)

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण निम्नलिखित द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं अधिनियम को आवश्यक तरीके से और 31 मार्च, 2021 को कंपनी के मामलों की स्थिति, उसके लाभ और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के रूप में भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।

योग्य राय का आधार

हम अनुलग्नक डी में वर्णित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनके प्रभाव/संभावित प्रभाव और ऐसे मामले जहां हम व्यक्तिगत या समग्र रूप से उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं जो वित्तीय विवरणों के लिए सामग्री हैं।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसएसएस) के मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारे वित्तीय अनुभागों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण मामले

हम वित्तीय विवरणों में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में अपनी रिपोर्ट के अनुलग्नक ई की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिस पर उपयोगकर्ता का ध्यान आवश्यक है। इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्तीय सांख्यिकी और लेखा परीक्षा में अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है जिसमें निदेशक रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक शामिल हैं, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है या ऑडिट में प्राप्त हमारा ज्ञान अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

विवरणों के संबंध में कम्पनी के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी के प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं कंपनी आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो प्रभावी ढंग से लेखांकन रिकॉर्ड्स की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार चिंता के रूप में जारी रखने, खुलासा करने, लागू करने, चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि निदेशक मंडल या तो इरादा नहीं करता है। परिसमापन को रोकना या संचालन को रोकना, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

अंकेषक का वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण हेतु उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुरुव्यवहार से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि SAS के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, तो वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने

के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

SAS के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में व्यावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं। हम ये भी:

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (प) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का परिचालन प्रभावशील है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चल रहे चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला गया है, और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चिंता का विषय बन सकता है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें खुलासे भी शामिल हैं, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम अन्य मामलों में, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन :

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में और ऐसी जाँचों के आधार पर भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है। कंपनी के बही-खातों और अभिलेखों का जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम अनुबंध ए में उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
2. ऊपर दिए गए योग्य राय पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामले को छोड़कर, जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि,
 - a. हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की, जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।



- b. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित खाते की उचित पुस्तकों अभी तक रखी गई हैं, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।
- c. इस रिपोर्ट द्वारा दी गई बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, खाते की पुस्तकों के साथ हैं।
- d. ऊपर दिए गए क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामले को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- e. जैसा कि हमें बताया गया है, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) अधिसूचना संख्या जी.एस.आर के अनुसार लागू नहीं है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के 463 (ई) दिनांक 05-06-2015।
- f. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध बी में हमारी अलग रिपोर्ट देखें, और
- g. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05-06-2015 के अनुसार, और अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- h. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार
- (i) कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा अपने वित्तीय विवरणों में किया है (नोट संख्या 28 का खंड बी देखें), हालांकि कंपनी ने लंबित मुकदमों के प्रभाव के संकलन और पता लगाने के लिए उचित रिकॉर्ड और विवरण नहीं बनाए रखा है। ऐसे अभिलेखों और पर्याप्त विवरणों के अभाव में, हम स्वयं को सत्यापित/जांच/संतुष्ट करने में असमर्थ हैं कि सभी लंबित मुकदमों के प्रभाव को वित्तीय विवरणों में ठीक से प्रकट किया गया है या नहीं। ऐसी जांच और सत्यापन की संभावना के अभाव में, वित्तीय विवरणों पर कोई परिणामी प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।
- (ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई वास्तविक नुकसान हुआ था।
- (iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
3. हम अपनी रिपोर्ट, अधिनियम की धारा 143(5) के आधार पर कंपनी की बहियों और अभिलेखों ऐसी जांच जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों की पालना में अनुलग्नक सी में संलग्न कर रहे हैं।

स्थान : जयपुर

दिनांक : 02.02.2022

UDIN :22070644AATVBS3920

एस .एल. गंगवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
FRN No.-004649C
ह0/-

(एस .एल. गंगवाल)
पार्टनर
सदस्यता क्र. 070644

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ए

(31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) के सदस्यों को सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बाहर अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट्स अनुभाग के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

(I) कंपनी के संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के संबंध में

(ए) कंपनी प्रत्येक जिला ड्रग वेयरहाउस (डीडीडब्ल्यू) / मेडिकल कॉलेज ड्रग्स वेयरहाउस (एमसीडीडब्ल्यू) में मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित विवरण दिखाते हुए संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव कर रही है। उपरोक्त रजिस्ट्रों में प्रविष्टियों में कुछ चल संपत्ति जैसे फर्नीचर और फिक्सचर आदि जिन्हें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों द्वारा बिना किसी शुल्क के आरएमएससीएल को हस्तांतरित कर दिया गया है, हालांकि, उन्हें शून्य मूल्य पर दर्ज किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के हस्तांतरण में शामिल नगण्य मूल्य के कारण इन चल संपत्तियों के लिए खाते की वित्तीय पुस्तकों में लेखांकन प्रविष्टियां नहीं की गई हैं या मूल्य का उचित रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है इसके अलावा परिसंपत्ति रजिस्टर में वर्षवार विवरण शामिल नहीं है मूल्यहास / डब्लूडीवी और आगे, उपरोक्त का कोई मिलान खाते की वित्तीय पुस्तकों के साथ नहीं किया जाता है, जैसे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि सभी संपत्तियां वास्तव में उपरोक्त संपत्ति रजिस्टर में दर्ज की गई हैं या नहीं

(बी) वित्तीय वर्ष के अंत में उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के भौतिक सत्यापन पर देखी गई विसंगतियों को भौतिक नहीं माना जाता है, क्योंकि अधिकांश अनुपयोगी संपत्तियां संबंधित हैं फर्नीचर और फिक्सचर आदि बिना किसी शुल्क के आरएमएससीएल को हस्तांतरित कर दिए गए हैं जैसा कि ऊपर पैरा (ए) में उल्लेख किया गया है, जो खाते की वित्तीय पुस्तकों में शून्य मूल्य पर दिखाई देता है। जैसा कि हमें समझाया गया है, परिसंपत्तियों की लागत के लिए आवश्यक समायोजन, यदि कोई आवश्यक हो, भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतियों की विस्तृत जांच के बाद खाते की पुस्तकों में किया जाएगा।

(सी) मुख्यालय भवन का निर्माण एनआरएचएम द्वारा किया गया है जो कंपनी को कार्यालय आदेश संख्या एफ (10) आईपीएचएस/सिविल/2011-12/3070 दिनांक 30.05.2011 के तहत आवंटित किया गया है। और इसे खाते की किताबों में 1 रुपये के नाममात्र मूल्य पर दर्ज किया गया है। हालांकि किसी भी संपत्ति का कोई मालिकाना हक हमारे सामने पेश नहीं किया गया है और इस तरह के मालिकाना हक के अभाव में अचल संपत्तियों का विवरण पूरा करता है, हम इस खंड के तहत टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(ii) यह हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा हर महीने सभी एमसीडीडब्ल्यूएस/डीडीडब्ल्यू में इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है मार्च, 2021 को छोड़कर, जिसमें कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था, जैसा कि हमें समझाया गया है, ऐसे भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निष्पादित ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी/कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल, कोई भी ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान नहीं किया है। इसलिए खंड 3(ए), 3(बी) और 3(सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

- (iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं जिन पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू हैं और इसलिए हमारी कोई टिप्पणी नहीं है।
- (v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम 2013 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
- (vi) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।
- (vii) सांविधिक देय राशि के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार

(a) जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में आम तौर पर नियमित रही है। सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, माल और सेवा कर, उपकर और उस पर लागू अन्य भौतिक वैधानिक बकाया। इसके अलावा, पूर्वोक्त देय राशि के संबंध में देय अविवादित राशि के रूप में दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जो 31-03-2021 को बकाया होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थे, वे निम्नलिखित को छोड़कर देय थे

देयताओं का प्रकार	राशि रु.
Patrakar Kalyan Kosh	61,964/-
Goods & Service Tax	1,04,16,791/-
HFR	32,321/-
TDS	9,17,385/-

(b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और माल और सेवा कर का कोई बकाया नहीं है जो अपील के अलावा किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध 1,41,24,949 रुपये के आयकर की मांग के खिलाफ माननीय सीआईटी (अपील) -2, जयपुर के समक्ष लंबित है—निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए कुल मांग में से कंपनी ने 28,24,985 /— रुपये की शेष मांग पर अपील को समाप्त करने के समय जमा किया है, राशि रु. 1,12,99,964—की शेष मांग को बाद के वर्षों के रिफंड से समायोजित किया गया है।



(viii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सरकार या सरकार को दिए गए ऋण या उधार के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ix) लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) और सावधि ऋण के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।

(x) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे लिए, कंपनी द्वारा अपने अधिकारी या कर्मचारी द्वारा वर्ष के दौरान धोखाधड़ी नोटिस में नहीं आई है।

(xi) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची V धारा 197, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3 (xi) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत आवश्यक लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। स्वतंत्र निदेशकों की गैर-नियुक्ति को छोड़कर संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 की अनुपालना में हैं और वित्तीय विवरणों में विवरण का खुलासा किया गया है जैसा कि लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक है।

(xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों और पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन निजी प्लेसमेंट से नहीं किया है।

(xv) कंपनी ने निदेशकों या संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत कवर किया गया है।

(xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार, खंड 3 (xvi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

कृते एस .एल. गंगवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
FRN No.-004649C

दिनांक : 02.02.2022
UDIN :22070644AATVBS3920
स्थान : जयपुर

ह0 /—

(एस .एल. गंगवाल)
पार्टनर
सदस्यता क्र. 070644

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक बी

(31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) के सदस्यों को सम तारीख की हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 2(f) में संदर्भित मार्च 2021)

उप-धारा 3 के खंड (प) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 ("अधिनियम") हमने 31 मार्च, 2021 तक राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की है। उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधक की जिम्मेदारी

कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें अनुपालन भी शामिल है। कंपनी की नीतियां, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। लेखा परीक्षा पर मानक, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं और ऑडिट करते हैं और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और स्थायी प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के भौतिक अनिवार्यता के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं। (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के समय पर रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक सामग्री प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरसाइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री के गलत विवरण हो सकते हैं और पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की कमी कर सकता है।

योग्य राय के लिए आधार

योग्य राय के लिए आधार वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर 31 मार्च, 2021 को निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है।

- व्यापार प्राप्त और अल्पकालिक ऋण और अग्रिम पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली प्रभावी ढंग से संचालित नहीं हो रही है क्योंकि ये शेष समायोजन के लिए लंबित हैं। यह भौतिक कमजोरी संभावित रूप से वर्तमान परिसंपत्तियों, अनुदानों/इयरमार्क फंडों और कंपनी के खर्चों में गलत विवरण का परिणाम है। (नोट संख्या 28 के खंड एच के खंड जी और उप-खंड (1) देखें)।
- प्रमाणित दवाएं ई-औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिना प्रसंस्करण/पृष्टि किए बिना सीधे मेडिकल स्टोर से प्राप्त की गई थीं खरीद भी तब होती है जब आपूर्तिकर्ताओं को बिलों का भुगतान किया जाता है। इसलिए इन खरीद और संबंधित आय पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली प्रभावी ढंग से संचालित नहीं है। यह भौतिक कमजोरियां संभावित रूप से कंपनी की देनदारी, सूची और आय में सामग्री के गलत विवरण का परिणाम हो सकती हैं। (नोट संख्या 28 के खंड ए का उप-खंड (iii) देखें)।
- कंपनी को कभी-कभी सीधे अपने बैंक खाते में भुगतान प्राप्त होता है, जिसके लिए कोई जानकारी नहीं होती है कि किसने भुगतान किया है उचित जानकारी के अभाव में ऐसी रसीदें सस्पेंस क्रेडिट में जमा की जाती हैं, जैसा कि 31 मार्च, 2021 को बढ़कर 17,69,729/- हो गया जो कि मार्च, 2020 में रु. 15,53,744- था। इसलिए इन प्राप्तियों पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली प्रभावी ढंग से संचालित नहीं है, विवरण के अभाव में इसका प्रभाव अनिश्चित है। (नंबर 28 के खंड में उप-खंड जे देखें)।



31 मार्च, 2021 को 34 आपूर्तिकर्ताओं (लेनदारों) के खाते में 93,99,133 /— रुपये का डेबिट बैलेंस है, जो आपूर्तिकर्ताओं को अधिक भुगतान या लंबित समायोजन के कारण है, इसलिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली संचालित नहीं हो रही है। प्रभावी रूप से इस भौतिक कमजोरियों के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान संपत्ति, वर्तमान देयता और आय में महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकता है

भौतिक कमजोरी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी, या कमियों का एक संयोजन है, जैसे कि एक उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों की एक महत्वपूर्ण गलत सूचना को समय पर आधार पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

योग्य राय

हमारी राय में, नियंत्रण के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2021 तक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रभावी ढंग से संचालित हो रही थी। हमने कंपनी के 31 मार्च, 2021 के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में लागू किए गए ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताई गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है और इन भौतिक कमजोरियों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है। कंपनी और हमने वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय जारी की है

कृते एस .एल. गंगवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
FRN No.-004649C

दिनांक : 02.02.2022
UDIN :22070644AATVBS3920
स्थान : जयपुर

ह0 /—

(एस .एल. गंगवाल)
पार्टनर
सदस्यता क्र. 070644



स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक सी

(31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के खंड के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षक का उत्तर	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है	इस दिशा की हमारी समझ के अनुसार, हम कहते हैं कि कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी वित्तीय लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था नहीं है कंपनी के पास कोई केंद्रीय ईआरपी सिस्टम नहीं है हालांकि, कंपनी द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में अकाउंटिंग और इन्वेंट्री के लिए अलग स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वित्तीय खातों का रखरखाव किया जाता है। इसके अलावा कई लेन-देन मैनुअल रूप से संसाधित किए जाते हैं कंपनी इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए औषधि सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है ई-औषधि में बनाए गए सभी खरीद आदेश, खरीद, बिक्री, स्टॉक, समाप्ति स्टॉक आदि हैं कंपनी टैली नाम के अकाउंटिंग के लिए एक अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है। खरीद और बिक्री के लिए एक समेकित मासिक प्रविष्टि टैली में मैनुअल रूप से ई-औषधि से उत्पन्न रिपोर्ट से दर्ज की जाती है। कैश बुक मैनुअल रूप से तैयार की जाती है। हाथ से तैयार रोकड़ बही से। डेटा को आगे एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली में दर्ज किया जा रहा है वेतन के लिए आवंटन वाउचर और विभिन्न समायोजन जैसे पूंजीकरण, मूल्यहास और अन्य वर्ष के अंत समायोजन आदि के लिए जर्नल वाउचर मैनुअल रूप से किया जा रहा है अचल संपत्ति रजिस्टर भी मैनुअल रूप से बनाए रखा जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं

		चूंकि कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को आंशिक रूप से आईटी प्रणाली के माध्यम से और आंशिक रूप से मैनुअल प्रणाली के माध्यम से बनाए रखा है और इसलिए हमने आईटी प्रणाली से उत्पन्न पुस्तकों के साथ-साथ मैनुअल रूप से तैयार की गई पुस्तकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है।	
2	क्या मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन है या ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बड़े खाते में डालने के मामलें यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामले ऋण हैं। ठीक से हिसाब? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के ऋणदाता द्वारा किए गए मौजूदा ऋणों या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बड़े खाते में डालने के मामलों का कोई पुनर्गठन नहीं था।	
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब में रखा गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएं	कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन प्रणाली के अनुसार राज्य सरकारों/राज्य एजेंसियों से सभी विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त राशियों का कोई अलग से पहचाने जाने योग्य लेखांकन और विभाजन नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप हम प्राप्त राशि के उपयोग का मिलान करने में असमर्थ हैं। विशिष्ट योजनाओं के लिए परिणामस्वरूप, हम विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करने में असमर्थ हैं यदि कोई हो। हालांकि कंपनी ने हमें पुष्टि की है कि केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य सभी निधियों (अनुदान/सब्सिडी इत्यादि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था। इसके अलावा कंपनी ने दवाओं/उपकरणों आदि की लागत पर 5 प्रतिशत का अधिभार/मार्जिन लगाया है, और अपने परिचालन खर्चों के लिए सेवा अनुबंधों पर 3.5 प्रतिशत और इसे केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधि/अनुदान से वसूल किया जाता है (टिप्पणी संख्या 1 का खंड जी देखें)	



4	क्या कंपनी ने स्वास्थ्य संवर्धन, महामारी की रोकथाम, सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों को अंजाम दिया है?	जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान स्वास्थ्य संवर्धन, महामारी की रोकथाम, सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता गतिविधियों से संबंधित कोई गतिविधि नहीं की है।	
5	क्या कंपनी की लागत लेखा प्रणाली दवाओं / उपकरणों और मशीनरी की प्रत्येक श्रेणी के लिए लागत का सही लेखा-जोखा सुनिश्चित करती है।	जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी एक निर्माण कंपनी नहीं है और कैश श्रेणी की दवा/उपकरण के लिए कोई लागत लेखा प्रणाली नहीं है। कंपनी दवाओं, उपकरणों, सर्जिकल और टांके आदि की खरीद करती है और उन्हें रोगियों को मुफ्त वितरण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) सहित सरकारी अस्पतालों में वितरित / आपूर्ति करती है। कंपनी अपने परिचालन खर्चों के लिए दवाओं/उपकरणों आदि की लागत पर 5% का अधिभार/मार्जिन, सेवा संपर्कों पर 3.5% और परीक्षण और हैंडलिंग शुल्क पर 1.5% लगाती है। (वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 1 का खंड जी देखें।)	
6	क्या मूल्यांकन के लिए प्रणाली और हाँ, दवा सूची के मूल्यांकन और लेखांकन के लिए प्रणाली दवा सूची का लेखा-जोखा पर्याप्त है और उद्योग के मानक प्रथाओं के अनुसार पर्याप्त है?	हां, दवा सूची के मूल्यांकन और लेखांकन के लिए प्रणाली पर्याप्त है और उद्योग की मानक प्रथाओं के अनुसार है।	

कृते एस .एल. गंगवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
FRN No.-004649C

दिनांक : 02.02.2022
UDIN :22070644AATVBS3920
स्थान : जयपुर

ह0/—

(एस .एल. गंगवाल)
पार्टनर
सदस्यता क्र. 070644

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक डी

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMSCL) के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट के "योग्य राय" पैराग्राफ में संदर्भित)

1. संपत्ति और देनदारियों को चालू और गैर—वर्तमान में विभाजित न करने के संबंध में नोट संख्या 28 के खंड एफ का संदर्भ लें जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार नहीं है।
2. कंपनी ने निम्नलिखित मदों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार उपार्जित लेखांकन की नितियों का पालन नहीं किया है:
 - (i) अन्य उपयोगकर्ता विभागों को खरीदे और आपूर्ति किए गए उपकरणों की खरीद का लेखांकन/संस्थाएं (नोट संख्या 1 का खंड ए देखें)।
 - (ii) चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति पर अधिभार से आय का लेखा—जोखा (उपखंड (में) देखें नोट नंबर 1 का खंड जी उपखंड (iii))
 - (iii) ई—औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से लेनदेन में प्रवेश किए बिना कुछ दवाएं सीधे मेडिकल स्टोर से प्राप्त की गईं, इन अधिग्रहीत दवाओं के संबंध में उचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। इन खरीदों का आगे लेखांकन और इन खरीदों के प्रति अधिभार की आय के लिए जब आपूर्तिकर्ताओं को बिलों का भुगतान किया जाता है के आधार पर संगत लेखांकन किया जाता है (नोट संख्या 28 के खंड ए के उप—खंड (xiii) देखें) उपरोक्त वित्तीय विवरण का प्रभाव अनिश्चित है
3. कंपनी ने संपत्ति को नाममात्र मूल्य पर दर्ज नहीं किया है जिसमें मुख्य रूप से फर्नीचर और फिक्स्चर शामिल हैं विभिन्न जिला औषधि भण्डार गृहों (डीडीडब्ल्यू), आरएमएससीएल में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों से स्थानांतरित को बिना किसी शुल्क के जो कि लेखा मानक 12 - के अनुसार नहीं है "सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन" (नोट संख्या 1 के खंड डी के उप—खंड (iv) देखें)। इसकी राशि अनिर्धारित है।
4. कंपनी ने लेखा मानक—15 "कर्मचारी लाभ" के संदर्भ में अपने पेरॉल पर एक कर्मचारी के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों को प्रदान नहीं किया है (नोट संख्या 1 के खंड एच के उप—खंड (ii) देखें)। इसकी राशि अनिर्धारित है।
5. कंपनी ने AS—28 "संपत्ति की हानि के लिए लेखांकन" के संदर्भ में परिसंपत्तियों की हानि का परीक्षण नहीं किया है। अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन से कुछ विसंगतियां/परिसंपत्तियों की हानि का पता चला है, हालांकि, आगे विस्तृत मिलान/जांच नहीं की गई है। इसलिए तकनीकी—आर्थिक मूल्यांकन और विस्तृत समाधान/जांच के अभाव में, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं लेखा मानक—28 "पसम्पत्तियों की हानि" के अनुसार मूल्यांकन/उपलब्ध नहीं कराई गई।
6. कंपनी के पास 87,72,027 रुपये की व्यापार प्राप्य राशि और 174,70,147 रुपये के अल्पकालिक ऋण और अग्रिम हैं, जो समायोजन के लिए लंबित हैं (नोट संख्या 28 के खंड जी और एच देखें)। आवश्यक समायोजन की सटीक प्रकृति पर पहुंचने के लिए विवरण के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
7. कंपनी केवल भुगतान करते समय उपकरणों के खरीद बिलों का लेखा—जोखा कर रही है, कंपनी के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत कवर किए गए बकाया बकाया की सटीक मात्रा को निर्धारित करने के लिए उचित रिकॉर्ड और सिस्टम नहीं है। संख्या 28 और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार देय डिफॉल्ट और ब्याज की मात्रा की पहचान करने के लिए रुपये का डेबिट शेष है।
8. 31 मार्च, 2021 को 93,99,133/— की स्थिति के अनुसार 34 आपूर्तिकर्ताओं (लेनदारों) को या तो आपूर्तिकर्ताओं को जारी किए गए अधिक भुगतान या लंबित समायोजनों के कारण आरोपित किया गया। विवरण और समाधान के अभाव में हम कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।



9. 1,37,81,062 रुपये जैक्सन लेबोरेटरीज प्राइवेट को देय है। दवाओं की खरीद के लिए खरीदे गए सामान को एनओएसक्यू के रूप में माना जाता था हालांकि कुछ दवाएं कंपनी द्वारा एनओएसक्यू घोषित करने से पहले ही बेची जा चुकी हैं। बाद में कुछ सामान भी समाप्त हो गए थे, कंपनी को उन दवाओं का हिसाब देना चाहिए था जिनका उपयोग किया गया था और जो समाप्त हो गई थीं। हालांकि उसी के संबंध में कोई दायित्व प्रदान किया है। पूर्ण विवरण के अभाव में हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को मापने में असमर्थ हैं

स्थान : जयपुर

दिनांक : 02 फरवरी, 2022

UDIN :22070644AATVBS3920

कृते एस .एल. गंगवाल एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार

FRN No.-004649C

ह0/—

(एस .एल. गंगवाल)

पार्टनर

सदस्यता क्र. 070644



स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ई

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMSCL) के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट के "महत्वपूर्ण बिन्दु" पैराग्राफ में संदर्भित)

1. कंपनी के पास 6 मेडिकल कॉलेज ड्रग वेयरहाउस (MCDWs) और 34 डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयरहाउस (डीडीडब्ल्यू) पूरे राजस्थान में जिसके लिए उसने मंडलवार चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आंतरिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया है लेखा परीक्षक जो आवक और जावक आपूर्ति, स्टॉक, समाप्त होने वाली दवाओं और किए गए खर्चों, अग्रदाय भुगतान प्रणाली आदि का सत्यापन कर रहे हैं। ये सभी आंतरिक लेखा परीक्षक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रबंधन नियमित रूप से इन मासिक रिपोर्टों की समीक्षा/मूल्यांकन कर रहा है। हमने इन आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया है (नोट संख्या 28 के खंड ए के उप-खंड (xi) देखें)।
2. कंपनी निर्दिष्ट दवाओं, शल्य चिकित्सा, टांके और उपकरण आदि की खरीद के लिए अन्य सरकारी विभागों से अग्रिम रूप से निर्धारित धन प्राप्त करती है। आरएमएससीएल के पास 31 मार्च, 2021 को 3,18,70,03,338 रुपये की राशि का अप्रयुक्त शेष है, जो कि वर्तमान देनदारियों (नोट संख्या 28 के खंड जे के उप-खंड (1) देखें) के तहत दिखाया गया है।
3. कंपनी निर्दिष्ट दवाओं, शल्य चिकित्सा, टांके और उपकरणों की खरीद के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करती है। 31 मार्च, 2021 को इस तरह के अनुदान की राशि 4,20,83,36,270 की अप्रयुक्त शेष राशि है, जिसे वर्तमान देनदारियों के शीर्ष के तहत आस्थगित सरकारी अनुदान के रूप में दिखाया गया है (नोट संख्या 9 और नोट संख्या 28 का खंड एम देखें)।
4. राजस्थान सरकार की अधिसूचना और कैबिनेट आदेश 49/2011 दिनांक 04.04.2011 के अनुसार, आरएमएससीएल प्राथमिक सहित सरकारी अस्पतालों को वितरित / आपूर्ति की जाने वाली दवाओं / सर्जिकल / सूचर्स/उपकरण आदि की लागत पर 5% की दर से अधिभार मार्जिन लगाकर प्रशासनिक लागत का हकदार है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कंपनी इस अधिभार/मार्जिन को आवंटित निर्धारित निधियों/सरकारी अनुदानों से वसूल कर रही है (नोट नंबर 1 खंड जी उप-खंड ii) देखें)।
5. कंपनी को कभी-कभी सीधे अपने बैंक खाते में भुगतान प्राप्त होता है, जिसके लिए यह जानकारी नहीं है कि किसने भुगतान किया है, उचित जानकारी के अभाव में ऐसी प्राप्तियों को जमा किया जाता है, उचंती खाता क्रेडिट 31 मार्च, 2021 को बढ़कर 17,69,729 रुपये हो गया, जबकि यह रु. 31 मार्च 2020 तक 15,53,744 था (नोट संख्या 28 के खंड जे के उप-खंड (ii) देखें)।

कृते एस .एल. गंगवाल एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार

FRN No.-004649C

स्थान : जयपुर

दिनांक : 02.02.2022

UDIN :22070644AATVBS3920

ह0/—

(एस .एल. गंगवाल)

पार्टनर

सदस्यता क्र. 070644



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं. : 0141-2228062, फैक्स नं. : 0141-2228065 ई-मेल mdrmsc@nic.in

CIN- U24232RJ2011SGC035067

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए यथास्थिति तुलन पत्र

क्र.सं	विवरण	टिप्पणी क्रमांक	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
			(₹)	(₹)
अ	अंश एवं दायित्व			
1.	अंशधारकों की निधियाँ			
	(अ) अंशपूँजी	2	50,000,000	50,000,000
	(ब) संचय एवं अधिशेष	3	610,852,952	517,255,614
	(स) अंश अधिपत्र के विरुद्ध प्राप्त राशि		—	—
			660,852,952	567,255,614
2.	अंश आवेदन राशि, आवंटन विचाराधीन		—	—
3.	अचल दायित्व		—	—
	(अ) दीर्घावधि ऋण	4	63,120,000	112,680,000
	(ब) आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)		—	—
	(स) अन्य दीर्घावधि दायित्व	5	498,088,301	449,141,512
	(द) दीर्घावधि प्रावधान		—	—
			561,208,301	561,821,512
4.	चल दायित्व			
	(अ) अल्पावधि ऋण		—	—
	(ब) व्यापारिक देयताएँ	6	3,100,185,232	1,938,608,390
	(स) अन्य चल दायित्व	7	3,508,510,638	1,554,003,167
	(द) अल्पावधि प्रावधान	8	162,395,301	174,980,207
	(य) आस्थगित सरकारी अनुदान	9	4,215,645,534	930,106,884
			10,986,736,705	45,97,698,649
	योग		12,208,797,959	5,726,775,775



ब	सम्पत्ति			
1.	अचल सम्पत्ति			
	(अ) स्थायी सम्पत्तियाँ			
	(i) मूर्त सम्पत्तियाँ	10.A	110,049,579	121,086,409
	(ii) अमूर्त सम्पत्तियाँ	10.B	6,793	6,793
	(iii) कार्यशील पूँजी	11	1,951,782	1,699,516
	(iv) उन्नतिशील अमूर्त सम्पत्तियाँ		-	-
			112,008,154	122,792,718
	(ब) अचल निवेश			—
	(स) आस्थगित कर सम्पत्तियाँ (शुद्ध)	26	3,760,601	27,982,605
	(द) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		-	—
	(य) अन्य अचल सम्पत्तियाँ	12	361,413	361,413
			116,130,167	151,136,736
2.	चल सम्पत्ति			
	(अ) चल निवेश		—	—
	(ब) इन्वेन्ट्री (सामग्री)	13	2,705,904,101	2,643,468,063
	(स) व्यापारिक प्राप्तियाँ		8,772,027	15,500,262
	(द) नकद एवं नकद समतुल्य	14	8,738,738,004	2,284,903,714
	(य) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	15	273,963,750	348,454,530
	(र) अन्य चल सम्पत्तियाँ	16	365,289,910	283,312,470
			12,092,667,791	5,575,639,039
	योग		12,208,797,959	5,726,775,775
	महत्वपूर्ण लेखा पद्धतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	1&28		

दिनांक को हमारे प्रतिवेदन के
अनुसार
एस.एल. गंगवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन क्र. : 004649सी

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

ह0 / —
(एस.एल. गंगवाल)
पार्टनर
सदस्यता क्र. 070644

ह0 / —
(ममता अग्रवाल)
कम्पनी सचिव
M.No-A23444

ह0 / —
(मनोज शांडिल्य)
कार्यकारी निदेशक
(वित्त)

ह0 / —
(वी.के.माथुर)
निदेशक
DIN-07138460

ह0 / —
(अनुपमा जोरवाल)
प्रबन्ध निदेशक
DIN-09331807

स्थान : जयपुर
दिनांक : 02.02.2022



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं. : 0141-2228062, फैक्स नं. : 0141-2228065 ई-मेल mdrmsc@nic.in

CIN- U24232RJ2011SGC035067

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण पत्र

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी क्रमांक	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
			(₹)	(₹)
1.	संचालन से राजस्व (सकल)	17	8,334,083,306	8,402,826,429
2.	अन्य आय	18	311,525,571	285,971,177
3.	कुल आगम (1+2)		8,645,608,877	8,688,797,606
4.	व्यय			
	(अ) उपयोग की गई सामग्री की लागत		—	—
	(ब) व्यापारिक स्कन्ध का क्रय	19	8,078,719,835	8,131,569,763
	(स) सामग्री में परिवर्तन	20	(62,436,038)	30,844,043
	(द) कर्मचारी कल्याणार्थ व्यय	21	224,082,368	208,611,781
	(य) वित्तीय लागत	22	8,724,000	14,461,421
	(र) अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय	10A	13,626,739	14,151,872
	(ल) अन्य व्यय	23	118,629,299	166,083,140
	कुल व्यय		8,381,346,204	8,565,722,018
5.	असामान्य तथा असाधारण मदों तथा कर के पूर्व लाभ (हानि) (3 - 4)		264,262,673	123,075,587
6.	पूर्ववर्ती वर्ष मद	24	(55,091,778)	(7,711,794)
7.	असामान्य मदें	25	-	-
8.	असाधारण मदों तथा कर के पूर्व लाभ / (हानि) (5+6+7)		209,170,896	115,363,793
9.	असामान्य मदें		-	-
10.	कर पूर्व लाभ / (हानि) (8+9)		209,170,896	115,363,793
11.	कर व्यय			



	(अ) चालू वर्ष के लिए चालू कर व्यय		93,521,000	65,483,000
	(ब) पूर्व वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय		(2,169,448)	(298,625)
	(स) शुद्ध चालू कर व्यय		91,351,552	65,184,375
	(द) आस्थगित कर	26	24,222,005	(23,404,476)
			115,573,557	41,779,899
12.	निरन्तर संचालन से लाभ/(हानि) (10±11)		93,597,339	73,583,894
13.	असतत संचालन		-	-
14.	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (12±13)		93,597,339	73,583,894
15.	प्रति अंश अर्जन (100/- प्रत्येक)			
	(अ) मूल	27	187.19	147.17
	(ब) तनुकृत (डाइल्यूटेड)		187.19	147.14
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	1-28		

दिनांक को हमारे प्रतिवेदन के
अनुसार
एस.एल. गंगवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन क्र. : 004649सी

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/-
(एस.एल. गंगवाल)
पार्टनर
सदस्यता क्र. 070644

ह0/-
(ममता अग्रवाल)
कम्पनी सचिव
M.No-A23444

ह0/-
(मनोज शांडिल्य)
कार्यकारी निदेशक
(वित्त)

ह0/-
(वी.के.माथुर)
निदेशक
DIN-07138460

ह0/-
(अनुपमा जोरवाल)
प्रबन्ध निदेशक
DIN-09331807

स्थान : जयपुर
दिनांक : 02.02.2022



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं. : 0141-2228062, फैक्स नं. : 0141-2228065 ई-मेल mdrmsc@nic.in

CIN- U24232RJ2011SGC035067

31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण पत्र

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
		(₹)		(₹)	
अ	संचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		209,170,896		115,363,793
	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि				
	समायोजन				
	टेक्स प्रावधान	(93,521,000)		(65,483,000)	
	मूल्यहास एवं ऋण परिशोधन	13,626,739		14,151,872	
	वित्तीय लागत	8,724,000		14,461,421	
	ब्याज आय	(73,992,921)		(108,203,689)	
	मूल्य हास खर्च	-		869,856	
		(145,163,182)		(144,203,540)	
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व संचालन गतिविधियों से लाभ एवं हानि		64,007,714		(28,839,747)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन				
	संचालन परिसंपत्तियों में घटत/बढ़त हेतु समायोजन				
	सामग्री	(62,436,038)		30,844,042	
	व्यापारिक प्राप्य	6,728,235		-	
	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	74,490,780		(255,418,093)	
	अन्य चल संपत्तियाँ	(81,977,440)		(10,228,647)	
	अन्य अचल संपत्तियाँ	-		-	
	संचालन दायित्व में घटत/बढ़त हेतु समायोजन				
	व्यापारिक देयताएँ	1,161,576,842		(127,270,675)	
	अन्य चल दायित्व	1,954,507,470		-162,039,990	
	अन्य दीर्घावधि दायित्व	48,946,789		103,588,062	
	अन्य दीर्घावधि दायित्व	(12,584,906)		71,670,627	
	अल्पावधि प्रावधान	3,285,538,650		(627,243,558)	
	आस्थगित सरकारी अनुदान	-		-	
	दीर्घावधि प्रावधान	6,374,790,382		-976,098,232	
	असामान्य मदों से नकद प्रवाह				
	सामान्य संचालन से नकद				
	शुद्ध आयकर(भुगतान)/रिफंड		6,438,798,096		-1,004,937,979
	विगत वर्षों से संबंधित आयकर व्यय		(2,169,448)		(298,625)
	संचालन गतिविधियों से शुद्ध नगद				



	प्रवाह (अ)		6,440,967,544		-1,004,639,354
ब	विनियोजन गतिविधियों से नकद प्रवाह स्थायी परिसम्पत्तियों पर व्यय मय पूंजीगत अग्रिम ब्याज प्राप्ति विनिवेश गतिविधियों से (में प्रयुक्त) शुद्ध नकद प्रवाह (ब)	(2,842,175) 73,992,921		(6,921,959) 108,203,689	
			71,150,746		101,281,730
स	वित्त पोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह प्रदत्त अंश पूंजी के निर्गम से प्राप्तियाँ प्राप्त कॉरपस फण्ड रिडंमशन/प्रतिदान/ईक्विटी शेयर शेयर वॉरन्ट जारी करने से प्राप्तियाँ अंश आवेदन पत्र से प्राप्ति (भुगतान) दीर्घावधि उधार से प्राप्तियाँ वित्तीय लागत	— — — — — (49,560,000) (8,724,000) (58,284,000)		— — — — — (49,560,000) (14,461,421) (64,021,421)	
	असामान्य मदों से नकद प्रवाह वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (स)		(58,284,000)		(64,021,421)
	नकद एवं नकद तुल्य गतिविधियों से शुद्ध नकद बढ़ोतरी (कमी) (अ+ब+स) वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नगद तुल्य पुनः विवरण अंतर का प्रभाव विदेशी मुद्रा नकद वर्ष समाप्ति पर नकद एवं नकद तुल्य वर्ष के अन्त में नकद एवं नकद तुल्य		6,453,834,290 2,284,903,714 — 8,738,738,004		(967,379,045) 3,252,282,757 — 2,284,903,714

दिनांक को हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

एस.एल. गंगवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन क्र. : 004649सी

ह0/—
(एस.एल. गंगवाल)
पार्टनर
सदस्यता क्र. 070644

ह0/—
(ममता अग्रवाल)
कम्पनी सचिव
M.No-A23444

ह0/—
(मनोज शांडिल्य)
कार्यकारी निदेशक
(वित्त)

ह0/—
(वी.के.माथुर)
निदेशक
DIN-07138460

ह0/—
(अनुपमा जोरवाल)
प्रबन्ध निदेशक
DIN-09331807

स्थान : जयपुर
दिनांक : 02.02.2022

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं. : 0141-2228062, फैक्स नं. : 0141-2228065 ई-मेल mdrmisc@nic.in

CIN- U24232RJ2011SGC035067

टिप्पणी 1 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

(क) लेखांकन का आधार :

निगम के वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (इण्डियन जीएएपी लागत की ऐतिहासिक अवधारणा के अधीन उपार्जन आधार पर, सिवाय जिला औषधि भण्डार गृहों में हुए व्यय के मामले में, जिसका उनके दावे के आधार लेखा किया गया है) के अनुसार बनाए गए हैं। जीएएपी सम्मिश्रण है— कम्पनी अधिनियम, 2013 अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत निर्दिष्ट आज्ञासूचक लेखा मानक तथा साथ पढ़े कम्पनी (लेखांकन) नियमावली, 2014 के नियम 7, अधिनियम के प्रावधान (प्रकाशन की सीमा तक)।

आरएमएससीएल दवाओं, सर्जिकल, टांके और उपकरणों आदि की खरीद करता है। ड्रग्स, सर्जिकल, टांके की खरीद का लेखा—जोखा खाता—बही के आधार पर किया जाता है, लेकिन खरीदी गई वस्तुओं की गुणवत्ता की सफल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। अन्य उपयोगकर्ता विभागों/संस्थानों को खरीदे और आपूर्ति किए जाने वाले उपकरणों की खरीद के मामले में, लेखांकन भुगतान के आधार पर खाते की पुस्तकों में किया जाता है, अर्थात् भुगतान की स्वीकृति के बाद RMSCL के उपकरण खरीद अनुभाग से भुगतान की रसीद प्राप्त करने के बाद, जो भुगतान को मंजूरी देता है संबंधित संस्थान/विभाग से उपयोगकर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही, जिसकी ओर से उपकरण खरीदे गए हैं।

(ख) प्राक्कलन का उपयोग :

सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के साथ अनुरूपता से वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए प्राक्कलन तथा कल्पना करने की आवश्यकता होती है जो कि सम्पत्ति और दायित्वों की सूचित राशि एवं संदिग्ध दायित्वों के वित्तीय विवरण की तिथि पर प्रकटन तथा आगम एवं व्ययों के सूचित अवधि के दौरान सूचित राशि पर प्रभाव डालती है। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं तथा वास्तविक परिणाम और प्राक्कलन में अन्तर उस अवधि में निर्धारित की जाती है जिसमें परिणाम जाने/कार्यान्वित कर होते हैं।

(ग) ऋण लागत :

अर्हक सम्पत्ति के संबंध में ऋण लागत विशिष्ट परियोजना ऋणों एवं/या अन्य ऋणों जो अर्हक सम्पत्ति से संबंध कर पहचाने जाते हैं, में से कोष के वास्तविक प्रयुक्त होने के आधार पर की जाती है तथा अर्हक सम्पत्ति की लागत से पूँजीगत किया जाता है। अवधि के दौरान उत्पन्न अन्य ऋण लागतें लाभ एवं हानि विवरण में प्रभावित की जाती हैं।

(घ) स्थायी सम्पत्तियाँ एवं अवक्षयण :

- स्थायी सम्पत्तियों को उनके अर्जन या निर्माण लागत में से संकलित अवक्षयण तथा क्षति घटाकर प्रकट किया जाता है।

- ii. सम्पत्तियों को उनके स्थान पर लाने तथा सम्पत्तियाँ उपयोग में ली जाने की तिथि तक कार्यशील अवस्था में लाने तक उत्पन्न सभी लागतें अभिग्रहण लागत बनाती है। निर्माण लागत उन लागतों से बनती हैं जो प्रत्यक्ष में विशिष्ट सम्पत्ति से संबंधित है तथा सामान्यतया उनको निर्माण गतिविधि से संबंधित माना जा सकता है एवं सम्पत्ति को उपयोग में लिए जाने की तिथि तक निर्दिष्ट सम्पत्ति को आवंटित किया जा सकता है। वसूल की गई क्षतिपूर्ति हानि की राशि को संपत्ति की लागत में से कम किया जाता है।
- iii. राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भवन का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा किया गया है। कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.(10) आईपीएचएस/सिविल/2011-12/3070 दिनांक 30.05.2011 के अनुसार उक्त भवन राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित किया गया है। लेखा मानक-12 के अनुच्छेद 7.1 की अनुपालना के अनुसार इसे ₹ 1.00 के नाममात्र के मूल्य पर दर्ज किया गया है।
- iv. मुख्य रूप से RMSCL को बिना किसी शुल्क के विभिन्न जिला औषधि भण्डार गृह (DDW) में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों द्वारा हस्तांतरित फर्नीचर और जुड़नार आदि से संबंधित परिसंपत्तियों का हिसाब किताब के हिसाब से मामूली मूल्य पर नहीं दिया गया है। ऐसे स्थानान्तरण या मूल्य में शामिल मूल्य का यथोचित पता नहीं लगाया जा सकता है। इन परिसंपत्तियों और मात्रा आदि का विवरण “अन्य परिसंपत्तियों” के तहत अचल संपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया गया है।
- v. अवक्षयण का प्रावधान संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के अनुसार घटती मूल्य पद्धति पर उपयोग की अवधि के अनुपातिक कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची- II के भाग C के अन्तर्गत निर्देश किए अनुसार होगा।
- vi. अवशिष्ट मूल्य से अधिक घटती मूल्य पद्धति का संतुलन, किसी भी परिसंपत्ति के जीवन को समाप्त करने पर बनाए रखा जाता है।
- vii. स्थायी सम्पत्तियों को अस्तित्व में रखना, खाते की पुस्तकों में उनके लिखित मूल्य के मूल्य को कम किया जाता है और नोटबंदी पर कोई लाभ/हानि लाभ और हानि खाते में समायोजित की जाती है।

(ङ) विनियोग :

- i. लेखा मानक 13 “विनियोगों का लेखांकन” के अनुसार विनियोगों को चल व दीर्घावधि विनियोगों में वर्गीकृत किया गया है।
- ii. चल विनियोग न्यूनतम लागत एवं उचित मूल्य पर वर्णित हैं। वहनीय राशि में कोई कमी या उस कमी कटौती का कोई उलटाव लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित या क्रेडिट किया गया है।
- iii. दीर्घावधि विनियोग लागत पर वर्णित है। उक्त विनियोगों के मूल्य में, अस्थायी के अलावा गिरावट की पहचान के लिए, कमी के लिए प्रावधान बनाया गया है।

(च) सामग्री :

लेखा मानक-2 के अनुच्छेद 5 के अनुसार औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स सामग्री न्यूनतम वास्तविक लागत एवं शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यांकित की गई है। प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन पद्धति से लागत निर्धारित की गई है।

(छ) आगम स्वीकृति :

- i. आगम मान्य किया जाता है, जब यह अर्जित होता है तथा इसकी वसूली या संग्रहण में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चित मौजूद नहीं है।
- ii. राजस्थान सरकार की अधिसूचना और कैबिनेट के आदेश 49/2011 दिनांक 04-04-2011 के अनुसार RMSCL प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHCs) सहित सरकारी अस्पतालों वितरित/आपूर्ति की जाने वाली दवाओं/सर्जिकल/सूचर्स/उपकरण आदि की लागत पर अधिभार/ मार्जिन 5% वसूलने का हकदार है। ई-औषधी सॉफ्टवेयर में बिल वार और हेल्थ सेंटर की ड्रग्स / सर्जिकल / सिवनी का ब्योरा रखा जाता है और डिस्पैच की एक समेकित मासिक प्रविष्टि खाते की पुस्तकों में पारित की जाती है। उपकरणों के मामले में, विशेष रूप से डीजीएसएंडडी रेट कॉन्ट्रैक्ट्स पर आइटमों की खरीद से संबंधित, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 19.07.2012 को आयोजित अपनी 21 वीं बैठक में 5% के बजाय लागत का 1% अधिभार लगाने का फैसला किया। RMSCL गैर-सरकारी संगठनों, ट्रस्टों और विभिन्न अन्य केंद्रीय सरकार को भी दवाएं जारी करती है। इकाइयाँ जिन पर भी इस तरह की आपूर्ति की लागत पर एक अधिभार @ 5% वसूला जाता है, समान रूप से। बैच फॉर्म विधि का उपयोग करके दवा की लागत पर वसूल किए गए अधिभार की आय का हिसाब लगाया जाता है।
- iii. चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति पर निगम सरचार्ज की वसूली करता है जिसका समायोजन/लेखांकन आपूर्तिकर्ता बिल के भुगतान के समय किया जाता है।
- iv. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान के आदेश क्रमांक एफ/02(08)/5/2013 दिनांक 12.06.2013 की अनुपालना में वित्तीय वर्ष 2012-13 से परिसमापित नुकसानी (एल.डी.) को आय नहीं माना गया है एवं निगम द्वारा परिसमापित नुकसानी को औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स के लिए प्राप्त अनुदान में क्रेडिट किया जाकर शुद्ध अनुदान के उपयोग में से कम किया गया है।
- v. जुर्माने की राशि का लेखांकन जब-जब जुर्माने की वसूली होती है, तब किया जाता है।
- vi. RMSCL ई-बोली दस्तावेजों के संदर्भ में आपूर्तिकर्ताओं के बिल से 1.50 प्रतिशत की कटौती और प्रत्येक बैच से आपूर्ति के दौरान, प्रत्येक बैच से आपूर्ति के दौरान अलग-अलग अनुभवहीन प्रयोगशालाओं से नमूने की जांच के लिए आपूर्तिकर्ताओं के बिलों में कटौती कर रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 तक, वास्तव में होने वाले खर्चों के परीक्षण के लिए RMSCL द्वारा किए गए खर्चों को केवल पूर्वोक्त परीक्षण और प्राप्त शुल्कों को काट दिया गया था और शेष राशि को "अन्य आय" के प्रमुख के तहत "परीक्षण प्रभार से आय" के रूप में दिखाया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, वास्तव में किए गए हैंडलिंग, परिवहन और अन्य शुल्कों की भी पहचान की गई जो नमूनों के परीक्षण और हैंडलिंग से संबंधित हैं और इस प्रकार, प्राप्त किए गए पूर्वोक्त परीक्षण और हैंडलिंग शुल्कों से कटौती की गई है और शेष राशि को "परीक्षण प्रभार से आय" के रूप में दिखाया गया है। "अन्य आय" का प्रमुख।

(ज) कर्मचारी कल्याण :

- i. कर्मचारी कल्याण के लिए वेतन, भत्ते, अंशदान परियोजनाएँ जैसे प्रोविडेंट या अन्य कोष जिनका भुगतान सेवा देने के पश्चात् के बारह माह की अवधि में देय होता है, के रूप में परिभाषित अमौद्रिक सुविधाएँ, सेवाकाल में लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में प्रभारित की गई हैं।
- ii. निगम में पदस्थापित एक कर्मचारी को छोड़कर समस्त स्टाफ अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर है तथा सेवानिवृत्ति लाभ

आदि का भुगतान उनके मूल विभाग द्वारा किए जाएंगे तथा राज्य सरकार के नियमानुसार उक्त के क्रम में निगम द्वारा किसी भी प्रकार का लेखांकन नहीं किया गया है, जबकि समस्त स्टाफ का पेंशन अंशदान निदेशक पेंशन को भेजा जा रहा है। निगम में पदस्थापित एक कर्मचारी जो कि नवीन पेंशन योजनान्तर्गत है, का अंशदान निगम द्वारा वहन किया जा रहा है तथा सेवानिवृत्ति लाभ आदि का लेखांकन नवीन पेंशन योजनान्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए बनने वाले नियमों के अनुरूप होगा।

- iii. निगम में पदस्थापित व प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों को समस्त वेतन भत्ते राजस्थान सेवा नियमों के तहत दिये जाते हैं।

(झ) सॉफ्टवेयर व्यय :

सॉफ्टवेयर सिस्टम एवं विकास व्यय तथा उपयोगकर्ता के अनुज्ञप्ति शुल्क उसी वर्ष में व्यय किए गए हैं जब ये उत्पन्न हुए हैं।

(ञ) करारोपण :

- i. लेखा मानक 22 "आय पर कर का लेखा" के अनुसार आयकर का लेखा किया जाता है। करों में चालू एवं आस्थगित कर दोनों सम्मिलित हैं।
- ii. लागू कर की दरों और कर कानून के उपयोगानुसार राजस्व अधिकारियों को चुकाई / वसूली प्रत्याशित राशि पर चालू कर मापा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए के प्रावधान के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) क्रेडिट अधिकार पत्र उपलब्ध हैं जो उस मात्रा तक मान्य किया गया है जितना भविष्य में सामान्य कर दायित्व से निवृत्ति के लिए उपयोग किया जा सके।
- iii. आयकर के लिए निरूपित लाभ एवं वित्तीय विवरण पत्र के अनुसार ज्ञात लाभ के मध्य जो अन्तर है उसके परिणामस्वरूप एवं तत्पश्चात् समय के अन्तराल के लिए एक आस्थगित कर संपत्ति अथवा आस्थगित कर दायित्व का रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि समय के अन्तराल में एकीकृत राशि के कर प्रभाव पर आधारित एक लेखा अवधि में विभिन्नता उत्पन्न होती है तथा अन्य में परिवर्तित होती है। अधिनियमन या विशेष विधान अधिनियमन के आधार पर एक लेखांकन अवधि के अन्त में संचयी अवधि अन्तराल पर कर प्रभाव का आंकलन किया जाता है। अशोषित ह्रास एवं आगे लाई गई व्यावसायिक हानि की विद्यमानता की स्थिति में यदि वास्तविक निश्चय प्रमाणित करें, निर्णयात्मक साक्ष्य द्वारा कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके लिए ऐसी आस्थगित कर संपत्ति सवूल की जा सके, केवल तभी आस्थगित कर संपत्तियाँ प्रमाणित मानी जाती हैं। अशोषित ह्रास एवं आगे लाई गई व्यावसायिक हानि के अलावा अन्य स्थिति में आस्थगित कर संपत्तियाँ केवल तभी प्रमाणित मानी जाएँगी यदि युक्तियुक्त रूप से उनके वसूले जाने का निश्चय है। आस्थगित कर संपत्तियों उनके लिए गए मूल्य से क्रमशः समुचित है, इसके लिए प्रत्येक विवरण की तिथि को पुनरीक्षण किया जाता है। आस्थगित कर संपत्तियों एवं आस्थगित कर दायित्वों की क्षतिपूर्ति कर दी गई है जहाँ पर कि कम्पनी चल कर दायित्व का चल कर संपत्ति से क्षतिपूर्ति का कानूनी तौर पर क्रियान्वयन योग्य अधिकार रखती है तथा जहाँ आस्थगित कर संपत्तियाँ एवं आस्थगित कर दायित्व समान करारोपण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आयकर से संबंधित हों।
- iv. अधिसूचना क्रमांक 54 दिनांक 30.09.2011 के अनुसार राज्य में औषधियों और चिकित्सकीय औजारों के विक्रय तथा क्रय, यदि कोई हो, पर राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दायित्व के भुगतान से मुक्त है। अधिसूचना क्रमांक 55 दिनांक 30.09.2011 के अनुसार दवाइयाँ एवं चिकित्सकीय औजार राजस्थान के स्थानीय क्षेत्रों में ले जाने पर, स्थानीय क्षेत्र में माल के आगमन पर, राजस्थान कर 1999 के अन्तर्गत

निगम कर दायित्व के भुगतान से मुक्त है।

v. निगम द्वारा सभी दवाइयों/उपकरणों एवं अन्य खर्चों पर जीएसटी अधिनियम के तहत देय होते हैं।

(ट) सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन :

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने औषधियों के उपापन एवं संवितरण के लिए राजस्थान सरकार से अनुदान प्राप्त किया है। इसके अलावा, राजस्थान सरकार की अधिसूचना और कैबिनेट आदेश 49/2011 दिनांक 04.04.2011 के अनुसार, आरएमएससीएल दवाओं/ सर्जिकल/सिवनी/ उपकरणों आदि की लागत पर अधिभार/मार्जिन @ 5% वसूल रहा है। इसलिए, सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली राशि का उपयोग वर्ष के दौरान वितरित दवाओं (@ 5% अधिभार) आदि की लागत के लिए किया जाता है और वर्ष के दौरान सरकारी अनुदान के रूप में उपयोग किए जाने वाले लाभ और हानि के विवरण में दिखाया गया है तथा शेष अप्रयुक्त अनुदान पृथक् से तुलन पत्र में प्रकट किया गया है।

(ठ) प्रति अंश उपार्जन :

लेखा मानक 20 “प्रति अंश उपार्जन” के अनुसार निगम ने मूल एवं डाइल्यूटेड प्रति अंश उपार्जन (ईपीएस) की रिपोर्ट दी है। मूल प्रति अंश उपार्जन की गणना, समता अंशधारियों के लिए मानी जा सकने वाली, वर्ष के शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के अदत्त समता अंशों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की गई है। समता अंशधारियों के लिए मानी जा सकने वाली तनुकृत (डाइल्यूटेड) प्रति अंश उपार्जन की गणना वर्ष के शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के अदत्त समता अंशों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की गई है, जहाँ परिणाम अनुकृत हैं छोड़कर, सभी अनुकृत संभावी समता अंशों के परिणाम के लिए समायोजित किए गए हैं।

(ड) संदिग्ध दायित्व :

लेखा मानक 29 “प्रावधान, संदिग्ध दायित्व एवं संदिग्ध सम्पत्तियाँ” में जैसा कि परिभाषित है संदिग्ध दायित्वों को लेखों पर टिप्पणी द्वारा प्रकट किया है। यदि भविष्य में आर्थिक कल्याण के परिणाम की संभावना दूरस्थ है तो प्रकटन नहीं किया जाता। यदि यह संभावना है कि बाध्यता का निपटारा करने के लिए भविष्य में आर्थिक कल्याण का परिणाम आवश्यक होगा तो इसका प्रावधान किया गया है।

(ढ) नकद प्रवाह विवरण :

निगम द्वारा ‘नकद प्रवाह विवरण’ लेखा मानक-3 के अनुच्छेद 18(ब) में निर्धारित ‘अप्रत्यक्ष विधि’ से तैयार किया गया है। ‘नकद प्रवाह विवरण’ लेखा मानक-3 ‘नकद प्रवाह विवरण’ के अनुसरण में तैयार किया गया है।

(ण) खण्ड रिपोर्टिंग :

लेखा मानक — 17 के अनुच्छेद 5.1 एवं 5.2 में वर्णनानुसार निगम ना तो व्यापारिक खण्ड एवं ना ही भौगोलिक खण्ड रखता है। अतः एस — 17 अनुसार किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(त) कम्प्यूटरीकरण हेतु प्राप्त राशि के संबंध में नीति :

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अस्पतालों के उप भण्डारों एवं औषधि वितरण केन्द्रों के कम्प्यूटराइजेशन हेतु प्राप्त ऋण राशि रुपये 25.00 करोड़ रहती है। यह अस्पतालों के उप भण्डारों एवं औषधि वितरण केन्द्रों के कम्प्यूटराइजेशन के लिए उपयोग में ली गई है जो कि आयगत एवं पूँजीगत प्रकृति का व्यय है। यद्यपि, इसका निगम के कार्य पर सीधा असर नहीं है और इसका भविष्य में कोई लाभ न मिलने के कारण पूँजीकरण नहीं किया जा सकता है।

ऋण राशि के राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान में परिवर्तन के संबंध में अस्वीकृति के पश्चात् एवं सामान्य ज्ञान की



सकल्पना एवं पूर्व वर्षों की नीति के अनुसरण में जो अस्वीकृति वाले वर्ष में व्यय राशि के पूर्ण अपलेखन का प्रावधान करती है। चालू वर्ष में कोई अपलेखन नहीं किया गया है।

(थ) एनआरएचएम को राशि वापसी पर नीति:

आरएमएससीएल को एनआरएचएम तथा राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसाईटी से विविध योजनाओं अन्तर्गत उपकरणों व अन्य विविध आइटम्स के उपापन एवं सप्लाई हेतु राशि प्राप्त की जाती है। अनुपयोजित कोषों को 4 प्रतिशत ब्याज के साथ एनआरएचएम को लौटायी जाती है। यदि राशि बैंक अकाउंट में प्राप्त होती है हालांकि निजी निक्षेप खाते में प्राप्त होने वाली राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण पत्र का भाग होंगी
टिप्पणी 2 : अंश पूँजी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
		अंश संख्या	राशि (₹)	अंश संख्या	राशि (₹)
अ	अधिकृत : मताधिकार के साथ समता अंश ₹ 100 / – प्रति	5,00,000	5,00,00,000	5,00,000	5,00,00,000
ब	निर्गमित मताधिकार के साथ समता अंश ₹ 100 / – प्रति	5,00,000	5,00,00,000	5,00,000	5,00,00,000
स	अभिदत्त एवं पूर्णदत्त मताधिकार के साथ समता अंश ₹ 100 / – प्रति	5,00,000	5,00,00,000	5,00,000	5,00,00,000
	योग	500,000	50,00,00,000	500,000	50,00,00,000
टिप्पणी 2.1 अंश संख्या का समाधान					
	विवरण	31 मार्च, 2021 को अंश संख्या	31 मार्च, 2020 को अंश संख्या		
	अंशों की प्रारम्भिक संख्या	500,000	500,000		
	जोड़िए : वर्ष के दौरान निर्गमित अंश	—	—		
	अंशों की अन्तिम संख्या	500,000	500,000		
टिप्पणी 2.2 : निगम द्वारा सिर्फ एक तरह के अंश – समता अंश मय वोटिंग अधिकार जारी किए हैं।					
टिप्पणी 2.3 : 5 प्रतिशत से अधिक अंश संख्या धारण करने वाले प्रत्येक अंशधारक के धारित अंश					
	अंशधारक का नाम	31 मार्च, 2021 को (₹)		31 मार्च, 2020 को (₹)	
		अंशधारण की संख्या	धारित प्रतिशत	अंशधारण की संख्या	धारित प्रतिशत
	महामहिम राज्यपाल	5,00,000	100.00	5,00,000	100.00
	योग	5,00,000	100.00	5,00,000	100.00

टिप्पणी 3 : संचितियाँ एवं अतिरेक

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
		(₹)	(₹)
अ	पूँजी संचय प्रारम्भिक शेष जोड़िए : वर्ष के दौरान वृद्धि घटाईये : वर्ष के दौरान प्रयुक्त / हस्तान्तरित	50,000,001 — —	50,000,001 — —
	अन्तिम शेष	50,000,001	50,000,001
ब	लाभ-हानि खाता प्रारम्भिक शेष जोड़िये : वर्ष का लाभ	467,255,613 93,597,339	393,671,719 73,583,894
स	अंतिम बैलेंस कुल संचय एवं आधिक्य प्रारम्भिक शेष जोड़िये- वर्ष के लिये लाभ अन्तिम शेष	560,852,951 517,255,614 93,597,339 610,852,952	467,255,613 443,671,720 73,583,894 517,255,614
	योग	610,852,952	517,255,614

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण पत्र का भाग होंगी

टिप्पणी 4 : दीर्घावधि ऋण

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
		(₹)	(₹)
अ	सावधि ऋण		
	अ—(1) सुरक्षित	—	—
	अ—(2) असुरक्षित राजस्थान सरकार से ऋण		
	(i) WIC के लिए ऋण	10,000,000	15,000,000
	घटाइये—दीर्घावधि ऋण में से परिपक्व वर्तमान देयता	5,000,000	5,000,000
	(ऋण का पुनर्भुगतान 10 समान किश्तों में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से होगा जो 31 मार्च, 2014 से प्रारम्भ होगा)	5,000,000	10,000,000
	(ii) जिला औषधि भंडार गृहों के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए ऋण	22,000,000	33,000,000
	घटाइए — दीर्घावधि ऋण में से परिपक्व वर्तमान देयता	11,000,000	11,000,000
	(ऋण का पुनर्भुगतान 10 समान किश्तों में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से होगा जो 31 मार्च, 2014 से प्रारम्भ होगा)	11,000,000	22,000,000
	(iii) कम्प्यूटराईजेशन के लिए ऋण	50,000,000	75,000,000
	घटाइए— दीर्घावधि ऋण में से परिपक्व वर्तमान /आस्थगित देयता	25,000,000	25,000,000
	(यह ब्याजमुक्त ऋण है। ऋण का पुनर्भुगतान 10 समान किश्तों में किया जाएगा जो 31 मार्च, 2014 से प्रारम्भ होगा)	25,000,000	50,000,000
	(iv) जिला औषधि भंडार गृहों के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए ऋण	10,680,000	14,240,000
	घटाइए — दीर्घावधि ऋण में से परिपक्व वर्तमान देयता	3,560,000	3,560,000
	(ऋण का पुनर्भुगतान 10 समान किश्तों में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से होगा जो 31 मार्च, 2015 से प्रारम्भ होगा)	7,120,000	10,680,000
	(v) जिला औषधि भंडार गृहों के सुसज्जीकरण एवं सुदृढीकरण के लिए ऋण	20,000,000	25,000,000
	घटाइए — दीर्घावधि ऋण में से परिपक्व वर्तमान देयता	5,000,000	5,000,000
	(ऋण का पुनर्भुगतान 10 समान किश्तों में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से होगा जो 31 मार्च, 2016 से प्रारम्भ होगा)	15,000,000	20,000,000
	योग	63,120,000	112,680,000

टिप्पणी 5 : अन्य दीर्घावधि दायित्व

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
		(₹)	(₹)
अ	प्रतिभूति निक्षेप	498,088,301	449,141,512
	योग	498,088,301	449,141,512

टिप्पणी 6 : व्यापारिक देयताएँ

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
		(₹)	(₹)
अ	औषधियों की आपूर्ति के लिए लेनदार	2,966,146,626	1,871,664,110
ब	उपकरणों की आपूर्ति के लिए लेनदार	107,338,405	57,659,541
स	खर्चों के लिए लेनदार	26,700,201	9,284,739
	योग	3,100,185,232	1,938,608,390



31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण पत्र का भाग होंगी

टिप्पणी 7 : अन्य चल दायित्व

(रु. में)

क्र.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अ	(क) सांविधिक बकाया	2,834,279	8,306,571
	(ख) बकाया खर्च	25,453,431	24,964,710
	(ग) बयाना	201,829,164	189,250,575
	(घ) दूसरों से प्राप्त धन	3,187,003,338	1,269,192,499
	(ङ) आरआईएसएल प्रोसेसिंग फीस	167,380	133,980
	लघु अवधि परिपक्वता (राजस्थान सरकार से ऋण)		
	G-1 WIC के लिए ऋण	5,000,000	5,000,000
	G-2 डीडीडब्ल्यू के सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण के लिए ऋण	11,000,000	11,000,000
	G-3 कम्प्यूटरीकरण के लिए ऋण	25,000,000	25,000,000
	G-4 डीडीडब्ल्यू के सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण के लिए ऋण	3,560,000	3,560,000
	G-5 डीडीडब्ल्यू के फर्निशिंग और मजबूती के लिए ऋण	5,000,000	5,000,000
		49,560,000	49,560,000
	(च) पुरस्कार देयताएँ	-	125,200
	(छ) सीएसआर के लिए प्राप्त धन	-	50,497
	(ज) अन्य भुगतान	3,799,861	51,858
	(झ) डिडक्शन रिस्क एंड कॉस्ट रखरखाव।	-	26,551
	(ञ) उचन्ती खाता	1,769,729	1,553,744
	(ट) जीएसटी टीडीएस	25,463,801	9,365,930
	(ठ) सीएमएचओ जैसलमेर स्थानीय खरीद	-	10,899
	(ड) मुख्यमंत्री सहायता कोष	27,193	1,300,218
	(ड) जीएसटी देय 2019-20	10,416,791	-
	(ण) आरसीएम जीएसटी देय	185,672	109,936
	योग (A)	3,508,510,638	1,554,003,167

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण पत्र का भाग होंगी

टिप्पणी 8 : अल्पकालीन प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को (₹)	31 मार्च, 2020 को (₹)
अ	आयकर प्रावधान	93,521,000	65,483,000
ब	लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक प्रावधान	306,000	170,000
स	खर्च का प्रावधान	1,297,219	4,755,918
द	आपूर्तिकर्ताओं के संदिग्ध डेबिट बैलेंस के लिए प्रावधान	-	37,300,207
य	अन्य प्रावधान	67,271,082	67,271,082
	योग	162,395,301	174,980,207



31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण पत्र का भाग होंगी
टिप्पणी 9 : आस्थगित सरकारी अनुदान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
		(₹)	(₹)
अ	औषधियों के लिए अनुदान		
	प्रारम्भिक शेष	922,797,620	1,550,041,178
	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	4,627,102,000	5,045,344,000
	घटाईये : वर्ष के दौरान प्रयुक्त अनुदान	1,341,563,350	5,672,587,558
	अन्तिम शेष	4,208,336,270	922,797,620
ब	दवा वितरण केन्द्र चलाने के लिए अनुदान		
	प्रारम्भिक शेष	7,309,264	7,309,264
	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	—	—
	घटाईये : वर्ष के दौरान प्रयुक्त अनुदान	—	—
	अन्तिम शेष	7,309,264	7,309,264
स	एससी/एसटी के लिए अनुदान		
	दवा वितरण केन्द्र चलाने के लिए अनुदान	—	—
	प्रारम्भिक शेष	—	—
	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	—	—
	घटाईये : वर्ष के दौरान प्रयुक्त अनुदान	—	—
	अन्तिम शेष	—	—
	कुल	4,215,645,534	930,106,884

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण पत्र का भाग होगी

टिप्पणी 10(अ) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

सकल ब्लॉक					मूल्यहास और परिशोधन					शुद्ध ब्लॉक		
1 अप्रैल, 2020 को शेष	अभिवृद्धियाँ	निपटारा	आग से नूकसान	31 मार्च 2021 को शेष	1 अप्रैल 2020 तक का अवकाश	समायोजन	पहले की अवधि के मूल्यहास	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वर्ष के दौरान मूल्यहास	निपटारा	31 मार्च 2021 तक का मूल्यहास	31 मार्च 2021 को शेष	31 मार्च 2020 को शेष
₹	₹	₹		₹	₹	₹		₹	₹	₹	₹	₹
7,094,337	832,469	-	-	7,926,806	6,413,589	-	-	199,274	-	6,612,863	1,313,943	680,748
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
114,747,642	-	-	-	114,747,642	32,571,519	-	-	4,075,587	-	36,647,106	78,100,536	82,176,123
9,100	-	-	-	9,100	8,918	-	-	-	-	8,918	182	182
1,541,746	-	-	-	1,541,746	1,302,405	-	-	65,635	-	1,368,040	173,706	239,341
3,814,699	-	-	-	3,814,699	1,422,493	-	-	175,055	-	1,597,548	2,217,151	2,392,206
449,557	-	-	-	449,557	410,855	-	-	12,152	-	423,007	26,550	38,702
1,887,286	-	-	-	1,887,286	717,976	-	-	82,436	-	800,412	1,086,874	1,169,310
27,030	-	-	-	27,030	25,678	-	-	-	-	25,678	1,352	1,352
1,135,331	-	-	-	1,135,331	1,051,896	-	-	16,809	-	1,068,705	66,626	83,435
270,162	-	-	-	270,162	256,654	-	-	-	-	256,654	13,508	13,508
1,255,270	-	-	-	1,255,270	1,192,506	-	-	-	-	1,192,506	62,764	62,764
68,137	-	-	-	68,137	21,120	-	-	20,384	-	41,504	26,633	47,017
313,549	-	-	-	313,549	262,075	-	-	23,409	-	285,484	28,065	51,474
2,037,117	-	-	-	2,037,117	1,809,498	-	-	64,925	-	1,874,424	162,693	227,618
56,068	-	-	-	56,068	46,546	-	-	3,707	-	50,253	5,815	9,522
6,305,496	-	-	-	6,305,496	6,000,720	-	-	-	-	6,000,720	304,776	304,776
39,800	-	-	-	39,800	37,810	-	-	-	-	37,810	1,990	1,990
1,376,569	83,931	-	-	1,460,500	1,045,931	-	-	172,539	-	1,218,470	242,030	330,638
78,307	-	-	-	78,307	74,391	-	-	-	-	74,391	3,916	3,916
796,656	-	-	-	796,656	733,780	-	-	12,547	-	746,327	50,329	62,876
22,873	-	-	-	22,873	21,729	-	-	-	-	21,729	1,144	1,144
164,804	-	-	-	164,804	157,994	-	-	-	-	157,994	6,810	6,810
161,587	-	-	-	161,587	145,437	-	-	4,892	-	150,329	11,258	16,150
324,514	-	-	-	324,514	167,404	-	-	15,405	-	182,809	141,705	157,110
72,590	-	-	-	72,590	69,540	-	-	-	-	69,540	3,050	3,050
47,000	-	-	-	47,000	31,808	-	-	6,981	-	38,789	8,211	15,192
184,272	-	-	-	184,272	133,817	-	-	9,661	-	143,478	40,794	50,455
9,535,630	-	-	-	9,535,630	6,362,051	-	-	2,157,587	-	8,519,638	1,015,982	3,173,579
45,390,571	-	-	-	45,390,571	30,969,377	-	-	2,045,542	-	33,014,919	12,375,652	14,421,194
98,343,547	34,590	-	-	98,378,137	84,327,932	-	-	3,808,562	-	88,136,494	10,241,643	14,015,615
2,174,414	-	-	-	2,174,414	1,078,609	-	-	558,439	-	1,637,048	537,366	1,095,805
26,573	-	-	-	26,573	22,102	-	-	2,201	-	24,303	2,270	4,471
348,434	-	-	-	348,434	321,441	-	-	12,706	-	334,147	14,287	26,993
5,664	21,356	-	-	27,020	2,688	-	-	4,243	-	6,931	20,089	2,976
13,920	-	-	-	13,920	7,638	-	-	1,694	-	9,332	4,588	6,262
17,872	-	-	-	17,872	7,395	-	-	2,846	-	10,241	7,631	10,477
44,735	-	-	-	44,735	11,586	-	-	9,009	-	20,607	24,128	33,137
3,388	-	-	-	3,388	2,439	-	-	415	-	2,854	534	949
4,500	-	-	-	4,500	3,516	-	-	513	-	4,029	471	984
200,000	-	-	-	200,000	157,169	-	-	22,135	-	179,304	20,696	42,831
1,279	-	-	-	1,279	1,039	-	-	116	-	1,155	124	240
3,749	-	-	-	3,749	434	-	-	907	-	1,341	2,408	3,315
70,800	-	-	-	70,800	1,757	-	-	19,410	-	21,167	49,633	69,043
5,900	-	-	-	5,900	3,211	-	-	1,402	-	4,613	1,287	2,689
1,652	-	-	-	1,652	1,093	-	-	476	-	1,569	83	559
13,000	9,000	-	-	22,000	3,441	-	-	1,857	-	5,298	16,702	9,599
47,304	-	-	-	47,304	30,209	-	-	8,254	-	38,463	8,841	17,095
-	1,608,563	-	-	1,608,563	-	-	-	6,383	-	6,383	1,602,180	-
2,439	-	-	-	2,439	1,234	-	-	644	-	1,878	561	1,205
300,536,872	2,589,909	-	-	303,126,781	179,450,464	-	-	13,626,739	-	193,077,203	110,049,579	121,086,409
296,009,322	5,988,578	8,650	1,452,378	300,536,872	165,808,494	1,379,759	-869,856	14,151,872	-	179,450,464	121,086,409	130,200,828

- संकेत : 1. मूर्त परिसंपत्तियों की अभिवृद्धि में गत वित्तीय वर्ष में क्रय की गई संपत्तियाँ शामिल है परन्तु लेखांकन चालू वित्तीय वर्ष में किया गया है।
2. वर्ष के दौरान आग में नष्ट हो गई सम्पत्तियों के संबंध में मूर्त संपत्ति में मूल्यहास मद के तहत समायोजन संचित मूल्यहास को दर्शाता है।
3. कंपनी अधिनियम की अनुसूची II में आवश्यक रूप से अपवर्तन की गणना करते समय, 2013 में परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आंकड़ों को नीचे की तरफ पूर्णांक किया गया है।

टिप्पणी 10ब :अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

क्र. सं.	10-ब मूर्त परिसम्पत्तियाँ	सकल ब्लॉक				अवक्षयण एवं अपाकरण						शुद्ध ब्लॉक	
		1 अप्रैल, 2020 को शेष	अभिवृद्धि	31 मार्च, 2020 को शेष	1 अप्रैल, 2020 तक का अवक्षयण	समायोजन	वर्ष के दौरान अवक्षयण	निपटारा (व्ययन)	31 मार्च, 2021 तक का अवक्षयण	31 मार्च, 2021 को शेष	31 मार्च, 2020 को शेष		
		₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
1	टैली एवं जिनियास सॉफ्टवेयर	40,500	-	-	38,475	-	-	-	38,475	2,025	2,025	2,025	2,025
2	वेबसाइट	95,350	-	-	90,582	-	-	-	90,582	4,768	4,768	4,768	4,768
	योग	135,850	-	-	129,057	-	-	-	129,057	6,793	6,793	6,793	6,793
	पिछला वर्ष	135,850	-	-	129,057	-	-	-	129,057	6,793	6,793	6,793	6,793

टिप्पणी 11 : कार्यशील पूँजी (रु.में)

क्र. सं.	11 कार्यशील पूँजी	सकल ब्लॉक				अवक्षयण एवं अपाकरण						शुद्ध ब्लॉक	
		1 अप्रैल, 2020 को शेष	अभिवृद्धियाँ	31 मार्च, 2020 को शेष	1 अप्रैल, 2020 तक का अवक्षयण	समायोजन	वर्ष के दौरान अवक्षयण	निपटारा (व्ययन)	31 मार्च, 2021 तक का अवक्षयण	31 मार्च, 2021 को शेष	31 मार्च, 2020 को शेष		
		₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
1	भवन निर्माण के लिए अभिम	1,699,516	252,266	1,951,782	-	-	-	-	-	1,951,782	1,699,516	1,699,516	1,699,516
	योग	1,699,516	252,266	1,951,782	-	-	-	-	-	1,951,782	1,699,516	1,699,516	1,699,516
	पिछला वर्ष	693,516	121,200	1,699,516	-	-	-	-	-	1,699,516	693,516	693,516	693,516



31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण पत्र का भाग होंगी
टिप्पणी 12 : अन्य अचल सम्पत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
		(₹)	(₹)
अ	विद्युत कनेक्शन हेतु प्रतिभूति	361,413	361,413
	योग	361,413	361,413

टिप्पणी 13 : इन्वेन्ट्री (सामग्री)

(न्यूनतमत लागत तथा शुद्ध प्राप्य मूल्य पर)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
		(₹)	(₹)
अ	जिला औषधि भण्डार गृह पर स्कन्ध (देखें परिशिष्ट-‘A’)	2,674,462,844	2,626,184,771
ब	मुख्यालय पर स्कन्ध	9,136,192	6,806,989
स	मार्गस्थ स्कन्ध	20,756,187	9,169,853
द	मार्गस्थ स्कन्ध (मुख्यालय)	1,548,878	1,306,451
	योग	2,705,904,101	2,643,468,063

टिप्पणी 14 : नकद एवं नकद समतुल्य

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
		(₹)	(₹)
अ	हस्तस्थ रोकड़		
	अ.1 स्थायी पेशगी निगम मुख्यालय	5,000	15,000
	अ.2 स्थायी पेशगी DDW/MCDW	1,320,779	1,339,820
ब	बैंकों में शेष		
	ब.1 पंजाब नेशनल बैंक	1,329,506,188	1,331,427,112
	ब.2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	29,369,846	47,245,445
स	पी.डी. खाते में शेष	7,185,516,055	700,124,182
द	स्थायी निक्षेप	193,020,136	204,752,154
	योग	8,738,738,004	2,284,903,712



31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण पत्र का भाग होंगी
टिप्पणी 15 : अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को (₹)	31 मार्च, 2020 को (₹)
क	स्थानीय क्रय अग्रिम	152,751	152,751
ख	दवा वितरण केन्द्र चलाने का अग्रिम	2,075,000	2,075,000
ग	फार्मासिस्ट प्रशिक्षण अग्रिम	87,873	87,873
घ	व्यय हेतु अग्रिम	4,006,586	4,177,607
ङ	विविध अग्रिम	1,142,093	1,142,093
च	उप.भण्डार कम्प्यूटराईजेशन अग्रिम	8,021,099	8,025,036
छ	आर.एम.आर.एस. पंजीयन अग्रिम	70,000	70,000
ज	अन्य अग्रिम	1,902,622	424,555
झ	आपूर्तिकर्ता से प्राप्ति योग्य	73,170,221	80,092,247
ञ	बयाना राशि	560,000	-
ट	प्रतिभूति राशि प्राप्य	-	400,000
ठ	चिन्हित राशि प्राप्य	182,775,505	251,807,368
	योग	273,963,750	348,454,530

टिप्पणी 16 : अन्य चल परिसम्पत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को (₹)	31 मार्च, 2020 को (₹)
अ	टीडीएस प्राप्य	5,654,049	10,694,112
ब	जीएसटी प्राप्य	197,527,538	169,684,186
स	प्रीपेड व्यय	5,230,560	5,221,439
द	अग्रिम टैक्स	109,140,000	63,600,000
य	विविध प्राप्य	720	17,720
र	अर्जित ब्याज	10,946,974	12,163,229
ल	निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए वापसी	17,380,150	17,380,150
व	आयकर अपील निर्धारण वर्ष 16-17	14,169,907	-
स	निर्धारण वर्ष 2020-2021 के लिए रिफंड	688,379	-
श	निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए रिफंड	3,181,795	3,181,795
ष	बीमा दावा प्राप्य	1,369,838	1,369,838
	योग	365,289,910	283,312,470

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण पत्र का भाग होंगी
टिप्पणी 17 : संचालन से आय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
		(₹)	(₹)
अ	औषधियों का प्रेषण (समायोजन पश्चात् शुद्ध)	7,454,388,809.78	7,614,204,478
ब	उपकरणों का प्रेषण	879,694,496	788,621,951
	योग	8,334,083,306	8,402,826,429

टिप्पणी 18 : अन्य आय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
		(₹)	(₹)
क	बैंकों से ब्याज	73,992,921	108,203,689
ख	निविदा शुल्क से आय	2,560,280	1,588,800
ग	ईएमडी जब्त	850,000	600,000
घ	परिसमापित नुकसान	138,432	710,366
ङ	शास्ति	127,335,923	134,967,955
च	प्रतिभूति राशि समपहरण	-	1,194,414
छ	परीक्षण प्रभार से आय (नेट)	17,447,204	34,048,736
ज	विविध आय	3,842,557	1
झ	डेमरेज चार्ज	3,417,749	3,334,455
ञ	एमप्लमेंट चार्जेज	80,000	145,000
ट	छूट प्राप्त	-	19,120
ठ	एक्सपायर्ड स्टॉक के खिलाफ रिकवरी	-	902,289
	जोखिम लागत खरीद के खिलाफ वसूली	-	162,727
	ऑडिट के तहत एन.ओ.एस.क्यू के खिलाफ वसूली	-	93,625
	एन.ओ.एस.क्यू रिटेस्टिंग वसूली	80,703,006	-
ड	स्टॉक प्रशंसा आय	49,670	-
ड	आयकर रिफंड पर ब्याज	1,107,830	-
	योग	311,525,571	285,971,177

टिप्पणी 19 : व्यापार में स्टॉक खरीद

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
		(₹)	(₹)
अ	क्रय	5,946,510,704	7,411,881,141
ब	मुख्यालय पर स्टॉक उपयोग	2,236,747	2,289,250
		5,948,747,451	7,414,170,391
	घटाइए — क्रय वापसी	4,752,156.00	-
	घटाइए अवमानक औषधियाँ	54,017,529.76	68,233,280.74
स	कोविड-19 खरीद	1,347,689,552.14	31,560,000.00
द	उपकरणों की खरीद (समायोजन से शुद्ध)	841,052,517.43	754,072,652.35
	योग	8,078,719,835	8,131,569,763

टिप्पणी 20 : इन्वेट्री में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
		(₹)	(₹)
अ	प्रारम्भिक रहतियाँ		
	1 जिला औषधि भण्डार गृहों पर स्कन्ध	2,626,184,771	2,662,635,067
	2 मुख्यालय पर स्कन्ध	6,806,989	7,570,996
	3 मार्गस्थ स्कन्ध	9,169,853	2,195,561
	4 मार्गस्थ स्कन्ध (मुख्यालय)	1,306,451	1,910,482
		2,643,468,063	2,674,312,106
ब	घटाईए—अन्तिम रहतियाँ		
	1 जिला औषधि भण्डार गृहों पर स्कन्ध	2,674,462,844	2,626,184,771
	2 मुख्यालय पर स्कन्ध	9,136,192	6,806,989
	3 मार्गस्थ स्कन्ध	20,756,187	9,169,853
	4 मार्गस्थ स्कन्ध (मुख्यालय)	1,548,878	1,306,451
		2,705,904,101	2,643,468,063
	शुद्ध परिवर्तन	(62,436,038)	30,844,043

टिप्पणी 21 : कर्मचारी कल्याणार्थ व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
		(₹)	(₹)
अ	वेतन एवं मजदूरी	217,038,945	207,299,424
ब	पेंशन अंशदान	6,407,885	1,244,354
स	चिकित्सा व्यय	635,538	68,003
	योग	224,082,368	208,611,781

टिप्पणी 22 : वित्तीय लागत

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
		(₹)	(₹)
अ	ऋण पर ब्याज व्यय	8,724,000	14,461,421
	योग	8,724,000	14,461,421

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण पत्र का भाग होंगी

टिप्पणी 23 : अन्य व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
		(₹)	(₹)
क	विज्ञापन व्यय	3,446,766	1,360,533
ख	विधि एवं पेशा शुल्क	8,588,710	9,468,444
ग	कार्यालय व्यय	5,066,700	4,995,653
घ	टेलीफोन एवं इन्टरनेट व्यय	1,773,142	1,671,290
ङ	टूट फूट एवं नष्ट	24,071	66,723
च	कम्प्यूटर संचालन शुल्क	5,088,175	5,435,645
छ	वाहन किराया शुल्क	13,722,010	10,910,726
ज	विविध व्यय	394,100	14,827
झ	पोस्टल एवं कोरियर शुल्क	1,133,958	1,630,596
ञ	प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी	1,467,648	1,228,905
ट	मरम्मत एवं रखरखाव	2,546,450	2,580,650
ठ	सुरक्षा सेवाएँ	10,344,165	8,440,704
ड	ओ पी डी स्लिप की आपूर्ति	22,353,320	21,559,200
ढ	यात्रा भत्ता व्यय	288,298	638,935
ण	वाहन संचालन एवं रखरखाव	58,720	87,350
त	विद्युत व्यय	18,266,431	16,550,229
थ	मनोरंजन एवं आतिथ्य व्यय	143,171	180,239
द	बैंक शुल्क	4,607	15,895
ध	पुस्तकें एवं प्रतिरूपक	13,001	48,814
न	डीजल व्यय	289,782	289,437
प	बीमा व्यय	5,419,343	1,316,102
फ	टीडीएस पर ब्याज	370,966	164,317
ब	जीएसटी पर ब्याज	194,691	-
भ	अवधिपार सामग्री	7,344,907	4,752,810
म	सीएसआर	5,542,083	2,611,000
य	सॉफ्टवेयर व्यय	4,120,890	1,062,000
र	स्टॉक प्रशंसा व्यय	-	1,912
ल	अंकेक्षक पारिश्रमिक व्यय		
	वैधानिक अंकेक्षक	130,000	130,000
	टेक्स अंकेक्षक	40,000	40,000
व	औषधि निपटान व्यय	151,518	429,177
श	अन्य व्यय	234,877	94,547
ष	ई फाईलिंग व्यय	66,800	35,400
स	टेस्टिंग चार्ज	-	-
ह	राज्य नवीकरण निधि में योगदान	-	1,000,000
त्र	आपूर्तिकर्ताओं के संदिग्ध डेबिट शेष के लिए प्रावधान	-	67,271,082
	योग	118,629,299	166,083,140



टिप्पणी 24: पर्ववर्ती मद

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
		(₹)	(₹)
क	अवक्षयण/मुल्यहास	-	869,856
ख	राज्य नवीकरण निधि में योगदान	-	3,000,000
ग	विज्ञापन खर्च	-	51,423
घ	अन्य खर्च	7,161,467	(44,507)
ङ	पूर्व अवधि ब्याज		376,323
च	पूर्व अवधि वेत खर्च	-	3,458,699
छ	पूर्व अवधि जीएसटी व्यय	10,416,793	-
ज	पूर्व अवधि खरीदारी	37,513,517	-
	योग	55,091,778	7,711,794

टिप्पणी 25 : अपवादस्वरूप सामग्री

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
		(₹)	(₹)
		—	—
	योग	—	—

टिप्पणी 26 : विलम्बित कर सम्पत्ति (दायित्व)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
	(₹)	(₹)
विलम्बित कर सम्पत्ति/(दायित्व)		
आयकर के अनुसार स्थायी सम्पत्ति का WDV	120,818,164	133,900,546
कम्पनी एक्ट के अनुसार स्थायी सम्पत्ति का WDV	110,056,372	121,093,202
विलम्बित कर सम्पत्ति निर्मित करने वाली मदें		
स्थायी सम्पत्तियों के पुस्तक शेष एवं कर शेष के बीच अन्तर पर	10,761,792	12,807,344
आपूर्तिकर्ताओं के संदिग्ध डेबिट शेष के प्रावधान पर	-	67,271,082
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार हानि	-	-
विलम्बित कर सम्पत्ति/(दायित्व) निर्मित करने वाली मदें	10,761,792	80,078,426
तुलन पत्र में हस्तांतरित शुद्ध विलम्बित कर सम्पत्ति/(दायित्व)	3,760,601	27,982,605



पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन पत्र में विलंबित कर सम्पत्ति / (दायित्व)	27,982,605	4,578,129
लाभ एवं हानि खाते में हस्तान्तरित शुद्ध विलम्बित कर सम्पत्ति / (दायित्व)	24,222,005	-23,404,476

टिप्पणी 27 : प्रति अंश अर्जन (मूल एवं तनुकृत)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
	(₹)	(₹)
टैक्स पश्चात शुद्ध लाभ	93,597,339	73,583,894
समता अंशों की संख्या (मूल एवं तनुकृत)	500,000	5,00,000
प्रति अंश अर्जन		
(अ) मूल	187.19	147.17
(ब) तनुकृत (डाइल्यूटेड)	187.19	147.17
अंकित मूल्य प्रति अंश	100	100

टिप्पणी 28 : लेखों पर टिप्पणियाँ

(क) सामान्य (संचालन की प्रकृति) :

- (I). चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान के आदेश क्रमांक F.20(3)MH/2/2011 दिनांक 31.03.2011 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन गुणवत्तापूर्ण जैनरिक औषधियों, सर्जिकल्स, सूचर्स एवं उपकरणों इत्यादि के उपापन करने एवं भंडारित करने एवं इन्हें राजस्थान के सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, इत्यादि एवं मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में वितरित करने हेतु किया गया है जिससे रोगियों को निःशुल्क वितरित कि जा सके।
- (ii). राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 4 मई, 2011 को ₹5.00 करोड़ की अधिकृत पूँजी के साथ हुआ। आर.एम.एस.सी.एल. के 100 प्रतिशत अंश (साधारण) पर राजस्थान सरकार का स्वामित्व है। केबिनेट मेमो के खण्ड XII के अनुसार आर.एम.एस.सी.एल. को ₹ 10.00 करोड़ की अधिकृत पूँजी से गठित होना आवश्यक है, जिसमें ₹5.00 करोड़ की पूँजी का अंशदान राज्य सरकार का होगा और शेष ₹5.00 करोड़ का अंशदान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा होगा। हालांकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा 19 दिसम्बर 2012 को सूचित कि अनुसार राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ₹5.00 करोड़ का कोष हस्तान्तरित किया गया, जो कॉर्पस (समग्र) कोष के रूप में है न कि अंश पूँजी के भाग के रूप में। इसलिए, इसे सरकारी अनुदान के लिए AS-12 के पैरा 10 के अनुसार कैपिटल रिजर्व माना जाता है।
- (iii). राज्य के प्रत्येक जिले में स्थित जिला औषधि भण्डार गृह (डीडीडब्ल्यू) को आपूर्ति करने हेतु क्रयादेश (पी.ओ.) केन्द्रीयकृत रूप से जयपुर से निर्गमित कि जाते हैं। राज्य सरकार की योजना के अनुरूप मरीजों को औषधियों के निःशुल्क वितरण के लि स्वास्थ्य संस्थानों अर्थात् जिला अस्पताल/ उपजिला अस्पताल/ सेटेलाइट अस्पताल/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि द्वारा माँग पत्र प्रस्तुत करने तथा उपलब्ध होने पर औषधियाँ निर्गमित की जाती हैं। इन सभी प्राप्तियों एवं निर्गमन का वेब आधारित सॉफ्टवेयर “ई-औषधि” द्वारा तिथि क्रमानुसार लेखा रखा जाता है।
- (iv). उपकरणों के संबंध में भी आपूर्तिकर्ता को क्रयादेश (पी.ओ.) सम्बन्धित चिकित्सा संस्थानों एवं उपयोगकर्ता विभागों के भण्डार पर सीधे आपूर्ति करने के निर्देशों के साथ केन्द्रीयकृत रूप से निर्गमित कि जाते हैं।
- (v). प्रत्येक चिकित्सा संस्थान अर्थात् मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध अस्पतालों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स प्राप्त करने हेतु जिला औषधि भण्डार गृह से प्रत्यक्ष संपर्क किया जाता है। जिला औषधि भण्डार गृहों से इन चिकित्सा संस्थानों को निर्गमित की गई औषधियों की कीमत का तिथि क्रमानुसार “ई-औषधि” सॉफ्टवेयर के द्वारा लेखा रखा जाता है। आवश्यक सांकेतिक बजट का निर्धारण संबंधित चिकित्सा संस्थान के रोगी भार एवं शैय्या क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
- (vi). संचालन का शुरुआती वर्ष होने से समस्त व्यवहार जैसे औषधियों की प्राप्ति/निर्गमन, औषधियों के अन्तर भण्डार गृह हस्तान्तरण इत्यादि का “ई-औषधि” सॉफ्टवेयर की सहायता से विभिन्न सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के द्वारा सामग्री (इन्वेन्ट्री) प्रबन्धन प्रणाली में सुधार किया गया है।
- (vii). निर्माता द्वारा आपूर्ति किए गए प्रत्येक बैच को DDWsमें संगरोध क्षेत्र में रखा जाता है जब तक कि बैच को प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण नहीं किया जाता है और मानक गुणवत्ता की घोषणा नहीं की जाती है। यदि बैच मानक गुणवत्ता का नहीं (NOSQ) पाया जाता है, तो आपूर्ति की गई NOSQ ड्रग्स की पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और निषिद्ध क्षेत्र में रखा गया है जिसे अंततः आपूर्तिकर्ता द्वारा वापस बुलाया जाना है।
- (viii). समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान ₹7,20,52,196 मूल्य के औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स को अवमानक घोषित किए गए

(पिछले वर्ष ₹ 8,18,42,213)। उपरोक्त में, ₹1,08,08,433 मूल्य की ड्रग्स / सर्जिकल / सूचर्स बाद में दूसरे परीक्षण (रिवर्स एनओएसक्यू) (पिछले वर्ष ₹1,36,08,932) में मानक गुणवत्ता के रूप में घोषित किए गए थे। खरीद मूल्य में NOSQ लेनदेन के लिए आवश्यक प्रविष्टियां की गई हैं और तदनुसार स्टॉक के मूल्यांकन में इलाज किया गया है।

- (ix). राजस्थान चिकित्सा सेवायें निगम द्वारा समस्त चिकित्सा संस्थानों को डबल कार्बन रोगी उपचार पत्रक निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है जिसका व्यय निगम द्वारा वहन किया जाता है। भूतकाल में ऐसे व्ययों का संचालक मंडल/वार्षिक साधारण सभा से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। अब कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोशियेशन में इस पत्रक के मुद्रण व वितरण कार्य को उद्देश्य वाक्य में शामिल कर लिया गया है। दिनांक 27 अगस्त, 2018 को आयोजित असाधारण सामान्य सभा में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था। इस परिवर्तन को कंपनी पंजीयक के यहां दिनांक 13 सितंबर, 2018 को पंजीकृत करा लिया गया है।
- (x). निगम को एनआरएचएम/आरएसएचएस से प्राप्त राशि में से अनुपयोजित राशि पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि ₹ 32,81,421 का भुगतान किया गया है। (पूर्व वित्तीय वर्ष में ₹ 2,32,86,266 का भुगतान किया गया है।)
- (xi). कंपनी के पूरे राजस्थान में छः (6) मेडिकल कॉलेज ड्रग वेयरहाउस (एमसीडीडब्ल्यू) और चौतीस (34) जिला ड्रग वेयरहाउस (डीडीडब्ल्यू) हैं, जिसके लिए उसने आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में डिबीजन वार चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त किया है जो आवक और जावक आपूर्ति, स्टॉक, समाप्त होने वाली दवाओं और अग्रदाय भुगतान प्रणाली आदि के खिलाफ खर्च आदि सत्यापन कर रहे हैं। ये सभी आंतरिक लेखा परीक्षक मासिक रिपोर्ट प्रबंधन को प्रस्तुत कर रहे हैं जो नियमित आधार पर इन मासिक रिपोर्टों की समीक्षा/मूल्यांकन कर रहे हैं।
- (xii). कंपनी सभी एमसीडीडब्ल्यू और डीडीडब्ल्यू की केंद्रीकृत निगरानी के लिए प्रधान कार्यालय में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। जबकि इन्वेंटरी मैनेजमेंट यानी खरीद, बिक्री, स्टॉक आदि की निगरानी ई-औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है, वित्तीय लेखांकन को प्रधान कार्यालय में केंद्रीकृत किया जाता है जिसका रखरखाव टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है।
- (xiii). कोविड-19 महामारी की आपात स्थितियों में, ई-औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से लेनदेन में प्रवेश किए बिना कुछ दवाएं सीधे मेडिकल स्टोर से प्राप्त की गईं। इन खरीद का लेखा-जोखा भुगतान के आधार पर होता है। इसके अलावा इन खरीदों के लिए अधिभार आय के लिए संबंधित लेखांकन आपूर्तिकर्ताओं को बिलों के भुगतान के समय किया जाता है।

(ख) संदिग्ध दायित्वः

(i) आयकर अपील

निगम ने आयकर आयुक्त (अपील) – 2, जयपुर के समक्ष 17.11.2018 डीसीआईटी सर्किल –6 के मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी। निर्धारण वर्ष 2016–17 राशि रुपये 1,41,24,919 के आयकर की मांग को उठाते हुए कर योग्य आय के रूप में विलंबित आपूर्ति आदि के लिए वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ताओं से वसूले गए हर्जाने को घटाकर राशि रुपये 5,83,64,598.76 के रूप में जोड़कर, जैसा कि निगम ने राज्य सरकार की नीति के संदर्भ में सरकारी अनुदान के लिए किया है और यह आदेश है। निगम ने सीआईटी (अपील) –2, जयपुर द्वारा अपील के निपटान तक आयकर की मांग पर स्टे के लिए डीसीआईटी, सर्किल –6, जयपुर के साथ एक आवेदन भी दायर किया है और जमा के खिलाफ रुपये 28,24,985 की राशि जमा की है जो कि आयकर की मांग का 20 प्रतिशत होगा। आयकर विभाग ने बाद के मूल्यांकन वर्षों के रिफंड को समायोजित कर दिया है, जो बकाया आयकर की मांग के मुकाबले ₹ 1,41,69,907 है।

(ii) कानूनी मामले

आरएमएससीएल के खिलाफ दवाओं और उपकरणों आदि के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कुछ कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं। और कुछ

मामलों में, RMSCL ने विभिन्न मामलों : एनओएसक्यू दवाइयां, दर अंतर, जुर्माना, जोखिम और लागत की खरीद, तरल नुकसान, ईएमडी जब्ती आदि, पर सक्षम न्यायपालिका द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी है। ये मामले माननीय उच्च न्यायालय / एनसीएलटी आदि के समक्ष लंबित हैं और इसमें शामिल कुल विवादित राशि ₹19.68 करोड़ (जिसमें शिवेक लेब्स लिमिटेड से वसूल राशि ₹. 2.61 करोड़ शामिल है) है जिसे आकस्मिक देयता माना जाता है।

(iii) गारण्टी – शून्य

(iv) अन्य संदिग्ध राशि के दावित्व जिसके लिए कम्पनी उत्तरदायी है—शून्य

(v) पूँजी खाते पर निष्पादित होने वाले अनुबन्ध की अनुमानित राशि – शून्य

निर्माण के संबंध में नोट संख्या 11 में दिखाए गए निर्माण कार्य के संबंध में प्रगति में रुपये 19,51,782 / – तक की राशि 31.03.2021 (पिछले वर्ष 16,99,516) तक, क्योंकि ऐसी शेष राशि के रूप में कोई अनुबंध नहीं है जो उसी के लिए खर्च किया जा सकता है।

(ग) सामग्री (इन्वेन्ट्री) :

(I). सामग्री विवरण ई-औषधि सॉफ्टवेयर में रखा जाता है। ई-औषधि सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट के आधार पर क्रय एवं भेजने की प्रविष्टि मासिक आधार पर सम्मिलित प्रविष्टि द्वारा की जाती है। लागतसूत्र की प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन पद्धति के स्थान पर बैच अनुसार लागत का निर्धारण किया जाता है। इस तरह की विसंगतियों का प्रभाव निश्चित नहीं है।

(अ) 31.03.2021 को लेखा पुस्तकों तथा भौतिक सत्यापन के अनुसार सामग्री में राशि ₹49,669 का अन्तर पाया गया जिसे लाभ हानि खाते में स्टॉक शॉर्टेज खर्च नामे लिखा गया है। (पिछले वर्ष ₹ 1.912(अतिरिक्त) स्टॉक प्रशंसा आय के माध्यम से अन्य आय में दिखाया गया)

(ब) चूंकि, पहले जिला औषधि भण्डार गृह, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नियन्त्रण में कार्य कर रहे थे, जो आरएमएससीएल को हस्तान्तरित किए गए हैं इसलिये इन जिला औषधि भण्डार गृहों को 'चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग' राजस्थान सरकार; भारत सरकार से विभिन्न विशिष्ट कार्यक्रमों के अन्तर्गत तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आरएमएससीएल के आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त औषधियों के साथ मिश्रण की सम्भावना कुछ प्रकरणों में नकारी नहीं जा सकती। यद्यपि प्राप्त औषधियाँ अलग रखी जा रही हैं एवं उनका अभिलेख संधारण पृथक से रखा जा रहा है।

(स) उच्च कुशल सामग्री प्रबन्धन के लिए सतत् प्रयत्नों के बावजूद कुछ प्रतिशत औषधियाँ अवधि पार, नष्ट हो गईं, जो कि भारत सरकार के कुछ कार्यक्रमों में प्रचलित दिशा निर्देशों के समान हैं, जिसे निदेशक मण्डल की 30वीं बैठक दिनांक 30.01.2013 द्वारा अनुमोदित किया गया।

(ii) आलोच्य वर्ष में राशि ₹207,56,187 (पिछले वर्ष ₹91,69,852) की औषधियों का अन्तर जिला औषधि भण्डार गृह हस्तान्तरण किया गया। राशि ₹15,48,878(पिछले वर्ष ₹13,06,451) की औषधियों का मुख्यालय से जिला औषधि भण्डार गृह हस्तान्तरण मार्गस्थ स्कन्ध के रूप में निरूपित किया गया है, जो कि संबंधित जिला औषधि भण्डार गृह द्वारा सत्यापन/प्रमाणीकरण का विषय है।

(घ) 31 मार्च, 2021 तक देय व्यापार, अन्य चालू देनदारियों, व्यापार प्राप्तियों, अल्पकालिक ऋणों और अग्रियों और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों की शेष राशि पुष्टि और / या सामंजस्य के अधीन है।

(ङ) निदेशक मण्डल की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों और ऋणों और अग्रियों को व्यापार के साधारण पाठ्यक्रम में कम से कम उस राशि के बराबर मूल्य का एहसास होता है जिस पर उन्हें कहा जाता है। सभी ज्ञात और निर्धारित देनदारियों का प्रावधान पर्याप्त रूप से खाते की पुस्तकों में किया जाता है और समान रूप से आवश्यक राशि से अधिक नहीं है। सभी ऋण और अग्रिम



और अन्य वर्तमान संपत्ति असुरक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा अच्छी तरह से माना जाता है, विशेष रूप से अन्यथा को छोड़कर।

(च) परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्तमान और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों में विभाजित नहीं किया गया है क्योंकि लगभग सभी लेनदेन नियमित प्रकृति के हैं और धन खाते पर प्राप्त होते हैं, इसलिए, ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है। लगभग सभी खातों को वर्तमान संपत्ति और वर्तमान देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(छ) व्यापार प्राप्तियां

31.03.2021 तक ₹ 87,72,027 (पिछले वर्ष ₹ 1,55,00,262) पर दिखाए गए व्यापार प्राप्य विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को आपूर्ति किए गए उपकरणों से संबंधित हैं, लेकिन फिर भी पहले से प्राप्त संबंधित धन के खिलाफ डेबिट किया जाना है।

— भुगतान के लिए देय तारीख से छ: महीने से अधिक की

अवधि के लिए व्यापार प्राप्य बकाया 87,72,027

— अन्य रुपये शून्य

— व्यापार प्राप्य अच्छा माना जाता है — सुरक्षित: शून्य

— व्यापार प्राप्य अच्छा माना जाता है — असुरक्षित: रुपये 87,72,027

— व्यापार स्वीकार योग्य जिनमें क्रेडिट रिस्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है: शून्य

— व्यापार प्राप्य — ऋण क्षीण: शून्य

(झ) शॉर्ट टर्म ऋण और अग्रिम

I. ₹ 174,70,147 (पिछले वर्ष ₹ 1,61,54,915) की अग्रिम के खिलाफ, अधिकांश मामलों में व्यय किए गए हैं, लेकिन उपयोगकर्ता की पुष्टि / बिल आदि के लिए आवश्यक समायोजन लंबित हैं। —

(राशि ₹ में)

एक वर्ष तक बकाया	18,59,949
दो साल तक एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	30,04,775
तीन साल तक दो वर्ष से अधिक के लिए बकाया	10,52,182
तीन साल से अधिक के लिए बकाया	1,15,53,241

II. आपूर्तिकर्ता डेबिट शेष बकाया राशि के ₹ 7,31,70,221 (पिछले वर्ष ₹ 8,00,92,247) आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्य के विरुद्ध निम्नानुसार है:—

(राशि ₹ में)

एक वर्ष तक बकाया	25,14,017
दो साल तक एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	38,939
तीन साल तक दो वर्ष से अधिक के लिए बकाया	6,57,31,543
तीन साल से अधिक के लिए बकाया	48,85,722

ये खाते सिक्योरिटी डिपॉजिट / ईएमडी आदि के किसी भी लंबित समायोजन / क्रेडिट के लिए पुनः जाँचे की जा रही हैं और सटीक स्थिति का पता लगाने के बाद, वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।



(ज) अन्य चालू परिसंपत्तियां

1. जीएसटी प्राप्य

जीएसटी प्राप्य राशि ₹ 19,75,27,538 (पिछले वर्ष ₹ 16,96,84,186) सुलह और जीएसटी ऑडिट के अधीन है। जीएसटी ऑडिट पूरा होने के बाद अंतर, यदि कोई हो, को समायोजित किया जाएगा।

2. बीमा दावा प्राप्य

बीमा दावा प्राप्य ₹ 13,69,838 की राशि आरएमएससीएल के मुख्य कार्यालय भवन के प्रथम तल पर आग के कारण 28.11.2019 को नुकसान के विरुद्ध है। बीमा कंपनी को प्रस्तुत दावा अभी तक तय नहीं हुआ है। अंतर, यदि कोई हो, दावा राशि और प्राप्त राशि में, अंतिम निपटान प्राप्त करने पर समायोजित किया जाएगा।

(ट) अन्य चालू देनदारियां

1- Earmarked Funds प्राप्य

आरएमएससीएल सरकारी चिकित्सा संस्थानों और अन्य विभागों से दवा, शल्य चिकित्सा, सूचर्स और उपकरण आदि की खरीद के लिए अग्रिम धनराशि प्राप्त करता है।

31 मार्च, 2021 तक आरएमएससीएल के पास पूंजी ₹ 321,92,62,570 (पिछले वर्ष ₹ 126,91,92,499) की राशि के साथ ऐसे फंडों का क्रेडिट बैलेंस है, जो **Earmarked** फंड अकाउंट में रखा गया है।

2. सस्पेंस खाता

आरएमएससीएल बैंक खाते में सीधे कुछ क्रेडिट प्राप्त होते हैं, जिनके लिए कोई जानकारी नहीं है कि किसने भुगतान किया है। भुगतानकर्ता के बारे में उचित जानकारी के अभाव में, ₹ 17,69,729 की राशि, जिसमें ₹ 15,53,744 पहले के वर्षों में प्राप्त हुए थे, को वर्तमान देयताओं के प्रमुख के तहत सस्पेंस खाते में जमा कर दिया गया है और भुगतानकर्ता के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने पर इसे रिवर्स कर दिया जाएगा।

(ठ) प्रकटीकरण

सूक्ष्म, छोटा तथा मध्यम उपक्रमों के विकास का अधिनियम, 2006 :

व्यापार देनदारियां:-

1. सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों का कुल बकाया ₹ 36,35,31,432 (पिछले वर्ष ₹ 23,92,61,216)
2. सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया बकाया ₹ 273,66,53,799
(पिछले वर्ष ₹ 169,93,47,174)

Sl. No	Particulars	As at	
		31.03.2021	31.03.2020
1	वर्ष के अंत तक एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजी कृत आपूर्तिकर्ताओं और शेष अवैतनिक के कारण मूल राशि	36,35,31,432	23,92,61,216
2	एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजी कृत आपूर्तिकर्ताओं के कारण ब्याज और वर्ष के अंत में अवैतनिक शेष	0	0

3	वर्ष के दौरान नियत दिन से परे, एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई मूल राशि	0	0
4	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत, एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए ब्याज का भुगतान, वर्ष के दौरान नियत तिथि पश्चात	0	0
5	वर्ष के दौरान नियत तिथि पश्चात, एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत ब्याज का भुगतान किया जाता है	0	0
6	पहले से किए गए भुगतान के लिए एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं के लिए देय	0	0
7	आगे का ब्याज शेष देय और पहले के वर्षों के लिए देय है	0	0

निगम ने सभी लेनदारों के विवरण का पता लगाया है, चाहे वे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों के आधार पर एमएसएमईडी अधिनियम के तहत कवर किए गए हों या भुगतान में देरी, यदि कोई हो, स्थापना रिपोर्ट, मूल बिलों, गुणवत्ता की शिकायतों, कोविड-19 आदि की पेंडेंसी के कारण होती है, जिसके लिए देरी की अवधि, आपूर्तिकर्ताओं को कोई ब्याज देय नहीं है।

(ड)टेस्टिंग चार्ज

विवरण	वर्ष 2020—21	वर्ष 2019—20
आपूर्तिकर्ता से प्राप्त परीक्षण प्रभार	9,82,50,269	10,29,73,215
Less: परीक्षण शुल्क अदा किया	5,30,38,504	4,93,84,144
Less: परिवहन शुल्क पेड	65,27,621	25,10,977
Less : पैकर्स चार्ज पेड	2,12,36,941	170,29,358
परीक्षण शुल्क से शुद्ध आय	1,74,47,203	3,40,48,736



नोट नंबर 18 में दिखाए गए परीक्षण प्रभार से आय अन्य आय के तहत नमूने के परीक्षण से संबंधित खर्चों का शुद्ध है।

(ढ)लेखामानक—12 की आवश्यकतानुसार प्रकटन 'सरकारी अनुदानोंका लेखांकन स्वीकृत अनुदान के विस्तार तक' :

Particulars	2020-2021		2019-2020	
	औषधियों के लिए अनुदान(₹)	औषधि वितरण केन्द्र (DDCs) संचालन हेतु अनुदान (₹)	औषधियों के लिए अनुदान (₹)	औषधि वितरण केन्द्र (DDCs) संचालन हेतु अनुदान (₹)
अनुदान का प्रारम्भिक शेष	92,27,97,620	73,09,264	155,00,41,178	73,09,264
प्राप्त अनुदान की राशि	462,71,02,000	Nil	504,53,44,000	Nil
प्रयुक्त अनुदान की राशि	134,15,63,350	Nil	567,25,87,558	Nil
अनुदान का अन्तिम शेष	420,83,36,270	73,09,264	92,27,97,620	73,09,264

डीडीसी को चलाने के लिए ₹ 4,90,00,000 का कुल अनुदान RMSCL द्वारा 19.09.2011 को प्राप्त किया गया था, जिसमें से ₹4,16,90,736 का उपयोग 03.11.2016 तक किया गया था और उपयोग के लिए उपलब्ध शेष राशि ₹ 73,09,264 है।

(ण) ए एस 18 के अनुसार प्रकटन "सम्बद्ध व्यक्तियों से संबंधित प्रकटन"

सम्बद्ध व्यक्तियों से संबंधित प्रकटन निम्नानुसार है:—

i. संबंधित पक्ष/संस्थाओं का नाम, जिनके साथ लेनदेन वर्ष के दौरान किया गया था:—

(अ) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी :

- डॉ प्रीतम बी. यशवन्त, प्रबंध निदेशक
- डॉ राजेश शर्मा, प्रबंध निदेशक
- श्री आलोक रंजन, प्रबंध निदेशक
- श्रीमती ममता अग्रवाल, कम्पनी सचिव

(ब) पार्टी एवं संस्थाओं के बीच संबंधों का विवरण मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

- डॉ प्रीतम बी. यशवन्त, प्रबंध निदेशक (29/03/2020 से 04/11/2020 तक)
- डॉ राजेश शर्मा, प्रबंध निदेशक (04/11/2020 से 01/12/2020 तक)
- श्री आलोक रंजन, प्रबंध निदेशक (01/12/2020 से 20/09/2021 तक)
- श्रीमती ममता अग्रवाल, कम्पनी सचिव (01/04/2020 से 31/03/2021 तक)

(स) लेनदेन की प्रकृति का विवरण: पारिश्रमिक।

(द) लेन—देन की मात्रा :

प्रबन्ध निदेशक को पारिश्रमिक :

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
प्रदीप केशोराऊ गवांडे:			
1	वेतन	शून्य	1,45,106
2	मेडिकल भत्ता	शून्य	शून्य
3	यात्रा भत्ता	78,460	शून्य
आलोक रंजन :			
1	वेतन	3,23,712	शून्य
2	मेडिकल भत्ता	शून्य	शून्य
3	यात्रा भत्ता	शून्य	शून्य
ममता अग्रवाल, कम्पनी सचिव			
1	वेतन	11,98,578	11,30,858
2	मेडिकल भत्ता	7,530	7,530
3	यात्रा भत्ता	शून्य	शून्य
कुल		16,08,280	12,83,494

- (v) संबंधित पक्षों के अन्य तत्व जो कि वित्तीय विवरणों की समझ के लिये आवश्यक है—शून्य
- (vi) संबंधित पक्षों के बकाया आयटम की राशि जो कि बैलेंस शीट में है और ऐसे पक्षकारों के संदिग्ध ऋण— शून्य
- (vii) ऋणों के संबंध में या संबंधित पक्षों को देय अवधि के दौरान लिखी या वापस लिखी गई राशियाँ — शून्य
- (viii) वेतन भुगतान का लेखा—जोखा किताबों के क्रमिक आधार पर किया जाता है, हालाँकि, सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म GA-55 में वार्षिक वेतन प्रमाण पत्र और सभी कर्मचारियों को नकद आधार पर वेतन भुगतान पर विचार करते हुए आयकर फॉर्म 16 जारी किया जाता है यानी सरकारी विभागों में सिस्टम के अनुसार मार्च से फरवरी तक का वेतन भुगतान। पार्टी से संबंधित उपरोक्त विवरण अप्रैल से मार्च तक लिए गए पारिश्रमिक के लिए हैं और तदनुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को सही किया गया है, ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक बनाया जा सके।



(त) अंकेक्षकों को भुगतान :

अंकेक्षकों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21 (₹)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (₹)
वैधानिक अंकेक्षण फीस	1,30,000	1,30,000
टैक्स ऑडिट फीस	40,000	40,000
अन्य	-	-
कुल योग	1,70,000	1,70,000

(थ) चालू कर दायित्व के प्रावधान की गणना के संबंध में लेखा मानक-22 "आय पर कर का लेखा" का अनुपालन कर अंकेक्षण प्रतिवेदन का विषय है।

(न) जिला औषधि भण्डार गृह (डीडीडब्ल्यू) द्वारा पुरस्कार देयताओं के कारण खरीदी गई परिसंपत्तियों का मूल्य के लिए हिसाब लगाया गया है, जो मुख्य कार्यालय द्वारा स्वयं वहन किया जाता है।

(प) आंकड़े रुपये के निकटतम स्तर पर पूर्णांक किए गए हैं।

(फ) आवश्यकतानुसार पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुनर्गठित / पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं. : 0141-2228062, फैक्स नं. : 0141-2228065 ई-मेलrmsc@nic.in

परिशिष्ट : A

अन्तिम स्टॉक का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	(₹)	(₹)
जिला औषधि भण्डार गृहों पर अन्तिम स्टॉक	2,692,940,788	2,640,403,396
घटाईएँ : अवधि पार स्टॉक	113,201,420	108,132,237
जोड़िएँ : निस्तारित स्टॉक	94,723,476	93,913,611
जिला औषधि भण्डार गृहों पर शुद्ध अवधि पार स्टॉक	18,477,944	14,218,626
लेखों में दर्शाया स्टॉक	2,674,462,844	2,626,184,770



सं./AMG-II/S-II/I-13011/K-139/P-258/2021-22/प्रे-77

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- I) राजस्थान

जनपथ, जयपुर-302005

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I) RAJASTHAN

Janpath, Jaipur-302005

दिनांक / Date 11.04.2022

प्रबंध निदेशक,

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम,

जयपुर।

विषय : राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के संशोधित लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

मुझे इस पत्र के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के संशोधित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ वार्षिक आम सभा के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत प्रस्तुत करने हेतु जारी करने का निर्देश हुआ है।

उपरोक्त अवधि के संशोधित वार्षिक लेखे एवं लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन की सात प्रतियाँ जैसी की साधारण सभा में रखी जाए तथा स्वीकृत की जाए, कृपया इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय

ह0/

उपमहालेखाकार

(ए.एम.जी.- I I)

संलग्न : उपरोक्तानुसार



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED, JAIPUR FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021.

The preparation of financial statements of RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED, JAIPUR for the year ended 31 March 2021 in accordance with financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 2nd February 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Rajasthan Medical Services Corporation Limited, Jaipur for the year ended 31 March 2021 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. The financial statements of the Company have been revised by the management, as indicated in Note No. S of Notes to Accounts (Note-28) of the financial statement, to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit.

In addition, I would like to highlight the following significant matters under section 143 (6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

A. Comment on Profitability

1. Profit and Loss Statement

Expenses

Other Expenses (Note No. 18): ₹ 31,15,25,571

Recovery due to drug nosq in retesting: ₹ 8,07,03,006

The above is overstated by ₹ 2,33,67,037 as the 'recovery due to drug nosq in retesting' was taken in excess under other income. This has resulted in understatement of trade payables and overstatement of Profit ₹ 2,33,67,037

B. Comments on financial position

1 balance sheet

Equity and liabilities

Current liabilities

Short term provision (Note-8): ₹ 16,23,95,301



The above does not include ₹ 65,87,059 on account of value added tax (vat) liability. This has resulted in understatement of short term provisions and overstatement of Profit ₹ 65,87,059.

2. **balance sheet**

Assets

Non-Current Assets

Fixed Assets

Capital work-in-progress (Note-11): ₹ 19,51,782

the company did not adjust the utilization amount of ₹11,63,981 against advance despite receipt of the utilization certificate. This has resulted in understatement of capital work-in-progress and overstatement of short term loans and advances by ₹ 11,63,981

A. Comments on disclosure

1 Significant accounting policies and notes to accounts

notes to accounts (Note-28)

above note states that RMSCL has been formed to procure and store medical drugs and equipments for is distribution to government hospital medical colleges in Rajasthan for onward free distribution to patients. However, medicines amounting to ₹ 4,25,69,576 were supplied (March 2021) free of cost to mission director, NHM, Chandigarh Panjab Government (Outside Rajasthan). This fact has not been disclosed in the notes to accounts.

**For and on the behalf of
the Comptroller and Auditor General of India**

Place : Jaipur

Date : 11.04.2021

Sd/-

(Anadi Misra)

Accountant General (Audit-I)

Rajasthan, Jaipur

वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अवलोकन पर उत्तर/स्पष्टीकरण

S. NO.	सांविधिक लेखा परीक्षकों से योग्यता मामले	आरएमएससीएल उत्तर
Annexure-“B”		
01	(ए) व्यापार प्राप्य और अल्पकालिक ऋण अग्रिमों पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही है क्योंकि ये शेष राशि समायोजन के लिए लंबित हैं। यह भौतिक कमजोरी संभावित रूप से कंपनी की वर्तमान परिसंपत्तियों, अनुदानों/इयरमार्क फंडों और खर्चों में महत्वपूर्ण गलत विवरण का परिणाम हो सकती है। (टिप्पणी संख्या 28 के खंड एच के खंड जी और उप-खंड (i) देखें)।	व्यापार प्राप्य रुपये पर दिखाया गया है। 87,72,027 (पिछले वर्ष 1,55,00,262 रुपये) 31.03.2021 को व्यापार प्राप्तियों के अनुसार— ये विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को आपूर्ति किए गए उपकरणों से संबंधित हैं, लेकिन राशि अभी भी पहले से प्राप्त संबंधित निधियों के खिलाफ डेबिट की जानी है। इन खातों की दोबारा जांच की जा रही है और सही स्थिति का पता लगाने के बाद आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
02	(बी) ई-औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से लेनदेन को संसाधित/प्रविष्ट किए बिना कुछ दवाएं सीधे मेडिकल स्टोर से प्राप्त की गईं। इन अधिग्रहीत दवाओं के संबंध में उचित अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया जाता है। भुगतान के आधार पर इन खरीदों का आगे लेखांकन और इन खरीदों के प्रति अधिभार की आय के लिए संबंधित लेखांकन भी जब और जब आपूर्तिकर्ताओं को बिलों का भुगतान किया जाता है। इसलिए इन संबंधित आय पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही है। इन भौतिक कमजोरियों के परिणामस्वरूप कंपनी की देयता, सूची और आय में महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकता है (नोट संख्या 28 के खंड ए के उप-खंड (xiii) देखें)।	चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति पर अधिभार से होने वाली आय का लेखा-जोखारू हम AS-9 (RevenueReco-) का पालन कर रहे हैं और उसका पालन भी कर रहे हैं। हम ई-औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रक्रिया द्वारा उसी के लेखांकन की प्रणाली को बदलने की कोशिश कर रहे हैं
03	(सी) कंपनी को कुछ सीधे उसके बैंक खाते में भुगतान प्राप्त हुआ जिसके लिए कोई जानकारी नहीं है कि किसने भुगतान किया है। उचित सूचना के अभाव में ऐसी प्राप्तियों को उचित खाते में जमा कर दिया जाता है। 31 मार्च, 2021 को सस्पेंस क्रेडिट बढ़कर 17,69,729 रुपये हो गया, जबकि यह रु. 31 मार्च, 2020 तक 15,53,744। इसलिए इन प्राप्तियों पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही है। विवरण के अभाव में इसका प्रभाव अनिश्चित है। (नोट संख्या 28 के खंड जे के उप-खंड (ii) देखें)	आरएमएससीएल इस पर विचार करेगी और चालू वित्त वर्ष में आवश्यक कार्रवाई करेगी।

04	(घ) 31 मार्च, 2021 को 34 आपूर्तिकर्ताओं (लेनदारों) के खाते में या तो आपूर्तिकर्ताओं को अधिक भुगतान या समायोजन लंबित होने के कारण 93,99,133 /— रुपये का डेबिट शेष है। इसलिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही है। कंपनी की वर्तमान संपत्ति, वर्तमान देयता और आय/व्यय में ये महत्वपूर्ण गलत विवरण।	ज्यादातर मामलों में ये डेबिट बैलेंस नोस्क रिकवरी, रिस्क एंड कॉस्ट रिकवरी, अन्य पेनल्टी रिकवरी, नॉन सप्लाइ पेनल्टी के कारण होते हैं। यदि वसूली होती है तो यह जुर्माना चालू वित्त वर्ष में अगले भुगतान/एसडी/ईएमडी/बीजी द्वारा वसूल किया जाएगा। वसूली राशि जमा करने हेतु पत्र। कुछ खातों की फिर से जांच की जा रही है? और सटीक स्थिति का पता लगाने के बाद। आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
----	---	--

05	पैरा 1 नोट संख्या 28 के खंड एफ को वर्तमान और गैर-वर्तमान में परिसंपत्तियों और देयता के गैर-विभाजन के संबंध में देखें जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ष के अनुसार नहीं है।	लगभग सभी लेन-देन नियमित प्रकृति के होते हैं और खाते में धन प्राप्त होता है, इसलिए ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है। लगभग सभी खातों को चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमने पहले ही विभाजित कर दिया था जो था करना संभव है।
06	पैरा 2 कंपनी ने निम्नलिखित मदों के लिए कंपनी अधिनियम द्वारा आवश्यक लेखांकन के प्रोद्भवन आधार का पालन नहीं किया हैरू (i) अन्य उपयोगकर्ता विभागों/संस्थानों को खरीदे और आपूर्ति किए गए उपकरणों की खरीद का लेखा (टिप्पणी संख्या 1 का खंड ए देखें) (ii) चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति पर अधिभार से आय का लेखांकन (नोट संख्या 1 के खंड जी के उप-खंड (पपप) देखें) (iii) ई-औषधि के माध्यम से लेन-देन में प्रवेश किए बिना सीधे मेडिकल स्टोर से सेराइडन दवाएं प्राप्त की गईं, इन अधिग्रहित दवाओं के संबंध में रखरखाव नहीं किया जाता है। आगे इन खरीदों का लेखा-जोखा भुगतान के आधार पर किया जाता है और इन खरीदों के प्रति अधिभार की आय के लिए संगत लेखांकन भी जब और जब आपूर्तिकर्ताओं को बिलों का भुगतान किया जाता है। (नोट संख्या 28 के खंड ए के उप-खंड (अपपप) देखें) वित्तीय विवरण पर उपरोक्त का प्रभाव अनिर्धारित है।	आरएमएससीएल चालू वित्त वर्ष के दौरान लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर कार्य कर रहा है। आरएमएससीएल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128(1) द्वारा अनिवार्य लेखांकन के प्रोद्भवन आधार का पालन करने की व्यवस्था करेगा। (i) उपकरणों की खरीद के लेखांकन के लिए हम ष्ट्रै के अनुसार GAAP का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में हम लेखांकन के प्रोद्भवन आधार का पूरी तरह पालन करेंगे (ii) चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति पर अधिभार से आय का लेखा-जोखा रू हम – 9 (राजस्व वसूली) के रूप में निम्नलिखित हैं। और उसी का पालन भी। (iii) हम ई-औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रक्रिया द्वारा उसी के लेखांकन की प्रणाली को बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
	पैरा 3 कंपनी ने नाममात्र मूल्य पर संपत्ति दर्ज नहीं की है जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न जिला दवा गोदामों (डीडीडब्ल्यू) में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों से आरएमएससी को बिना किसी शुल्क के स्थानांतरित फर्नीचर और फिक्स्चर शामिल हैं जो लेखांकन मानक –12 के अनुसार नहीं है ष्के लिए लेखांकन सरकारी अनुदानश् (टिप्पणी संख्या 1 के खंड डी के उप-खंड (पअ) का संदर्भ लें। इसमें शामिल राशि अनिर्धारित है।	आरएमएससीएल इस पर काम करेगा और चालू वित्त वर्ष में आवश्यक कार्रवाई करेगा। आरएमएससीएल एस –12 का पालन करेगा जहां पूंजी अनुदान या परिचालन अनुदान में करना आवश्यक है।

07	पैरा 3 कंपनी ने नाममात्र मूल्य पर संपत्ति दर्ज नहीं की है जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न जिला दवा गोदामों (डीडीडब्ल्यू) में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों से आरएमएससी को बिना किसी शुल्क के स्थानांतरित फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं जो लेखांकन मानक -12 के अनुसार नहीं है "के लिए लेखांकन सरकारी अनुदानश् (टिप्पणी संख्या 1 के खंड डी के उप-खंड (iv) का संदर्भ लें। इसमें शामिल राशि अनिर्धारित है।	आरएमएससीएल इस पर काम करेगा और चालू वित्त वर्ष में आवश्यक कार्रवाई करेगा। आरएमएससीएल एस -12 का पालन करेगा जहां पूंजी अनुदान या परिचालन अनुदान में करना आवश्यक है।
08	पैरा 4 कंपनी ने लेखा मानक-15 "कर्मचारी लाभ" के संदर्भ में अपने पेरॉल पर एक कर्मचारी के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान नहीं किया है। (नोट नंबर 1 के खंड एच के उप-खंड (ii) देखें। शामिल राशि अनिर्धारित है।	कर्मचारी, कंपनी सचिव को दिनांक 02.07.2013 को नियुक्त किया गया था 01.01.2004 को और उसके बाद नियुक्त कर्मचारी नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत हैं। इस योजना के तहत मूल + डीए का 10% एनपीएस/10% काटा जाता है और वही नियोक्ता द्वारा काटा जाता है। 01.02.2004 को और उसके बाद नियुक्त कर्मचारी के लिए ऐसा कोई सेवानिवृत्ति लाभ नहीं है
09	पैरा-5 कंपनी ने AS&28 "संपत्ति की हानि के लिए लेखांकन" के संदर्भ में परिसंपत्तियों की हानि परीक्षण नहीं किया है। अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन से कुछ विसंगतियां / संपत्ति की हानि का पता चला है, हालांकि, आगे विस्तृत मिलान/जांच नहीं की गई है। इसलिए तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और विस्तृत समाधान/जांच के अभाव में, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई हानि हानि, लेखांकन मानक-28 "परिसंपत्तियों की हानि" के अनुसार अनिर्धारित और उपलब्ध नहीं थी।	आरएमएससीएल संपत्ति का विस्तृत भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करेगा और संपत्ति की हानि के सभी मापदंडों का पालन करना सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो सभी आवश्यक लेखांकन व्यवहार को तदनुसार खातों की पुस्तकों में शामिल किया जाएगा। आरएमएससीएल जहां संभव हो, प्रत्येक पुराने का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन भी करेगा।

10	पैरा -6 कंपनी ने 87,72,027 /— रुपये की प्राप्य राशियों और 174,70,147 /— रुपये के अल्पावधि ऋण और अग्रिम का व्यापार नहीं किया है जो समायोजन के लिए लंबित हैं (नोट संख्या 28 के खंड जी और एच देखें)। आवश्यक समायोजन की सटीक प्रकृति पर पहुंचने के लिए विवरण के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	व्यापार प्राप्य रुपये पर दिखाया गया है। 87,72,027 (पिछले वर्ष रु.1,55,00,262) व्यापार प्राप्तियों के रूप में — ये विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को आपूर्ति किए गए उपकरणों से संबंधित हैं, लेकिन राशि अभी भी प्राप्त होने वाले संबंधित धन के खिलाफ डेबिट की जानी है। इन खातों की दोबारा जांच की जा रही है और सही स्थिति का पता लगाने के बाद आवश्यक कारवाई शुरू की जाएगी। 174,70,147 रुपये के अल्पावधि ऋण और अग्रिम अधिकांश मामलों में उपयोगिता प्रमाण पत्र/बिल आदि के अभाव में आवश्यक समायोजन लंबित हैं।
11	पैरा-7 कंपनी केवल भुगतान के समय उपकरणों के खरीद बिलों का लेखा-जोखा कर रही है। इसके अलावा कंपनी के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत कवर की गई पार्टियों की बकाया राशि की सही मात्रा निर्धारित करने के लिए उचित रिकॉर्ड और प्रणाली नहीं है। नोट संख्या 28 के खंड के में और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार देय डिफॉल्ट और ब्याज की मात्रा की पहचान करने के लिए।	एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार किसी भी कानूनी परिणाम से बचने और एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान के लिए एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं के लिए उचित लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा।
12	पैरा 8 रुपये का डेबिट बैलेंस है। 93,99,133 /— 31 मार्च, 2021 को 34 आपूर्तिकर्ता लेनदारों के खाते में या तो आपूर्तिकर्ताओं को जारी किए गए अधिक भुगतान या लंबित समायोजन के कारण। विवरण और समाधान के अभाव में हम कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	ज्यादातर मामलों में ये डेबिट बैलेंस एनओएसक्यू रिकवरी, रिस्क एंड कॉस्ट रिकवरी, अन्य पेनल्टी रिकवरी, नॉन सप्लाइ पेनल्टी के कारण होते हैं। यदि वसूली होती है तो यह जुर्माना चालू वित्त वर्ष में अगले भुगतान/एसडी/ईएमडी/बीजी द्वारा वसूल किया जाएगा। इसके लिए फर्मों को वसूली राशि जमा करने के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। कुछ खातों की फिर से जांच की जा रही है? और सही स्थिति का पता लगाने के बाद आवश्यक कारवाई शुरू की जाएगी।

13	पैरा-9 दवाओं की आपूर्ति के लिए रविवार के लेनदारों में मेसर्स जैक्सन लेबोरेटरीज प्राइवेट को देय 1,37,81,062 / – रुपये शामिल हैं। लिमिटेड, अमृतसर दवाओं की खरीद के लिए। मेसर्स जैक्सन जैक्सन लेबोरेटरीज प्राइवेट का उत्पाद। लिमिटेड को मानक गुणवत्ता (एनओएसक्यू) के नहीं होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। इन खरीदों में से, कुछ दवाओं का उपयोग किया गया था और शेष राशि समाप्त हो गई थी। आदेश निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर (08-09-2015), माननीय उच्च न्यायालय के आदेश (30-08-2016) और निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), चिकित्सा के बाद के आदेश के आलोक में और स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर (22-03-2018), कंपनी को उन दवाओं का स्पष्ट रूप से हिसाब देना था जिनका उपयोग किया गया था और जो समाप्त हो गई थीं, हालांकि कंपनी ने ऐसा नहीं किया है और यहां तक कि तथ्यों का खुलासा भी नहीं किया है। पूर्ण विवरण के अभाव में हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को मापने में असमर्थ हैं।	
----	--	--

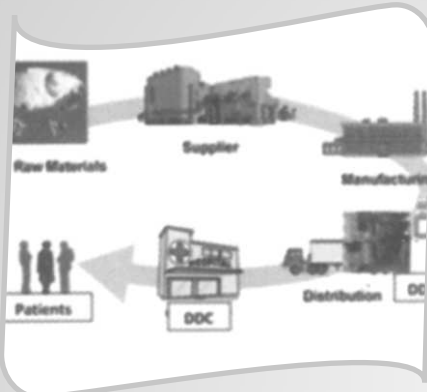




उपापन प्रकोष्ठ



उपकरण उपापन प्रकोष्ठ



आपूर्ति प्रकोष्ठ



॥सर्वे सन्तु निरामयाः॥



आई.टी. प्रकोष्ठ



गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ



वित्त प्रकोष्ठ



लॉजिस्टिक प्रकोष्ठ

दुरभाष

0141-2228066

फैक्स

0141-2228065

ई-मेल

mdrmisc@nic.in

वेबसाईट

rmisc.health.rajasthan.gov.in

डाक पता

प्रबंध निदेशक

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर-302005